IV क्रेडिट बाज़ार

4.1 आधुनिक देश सहित,जहां कि पूर्णतया विकसित पूंजी बाजार हैं, लगभग सभी देशों में वृद्धि को बनाए रखने में क्रेडिट बाजारों ने ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्रेडिट बाजार बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच निधियों के मध्यस्थन का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं और संसाधनों की आबंटन दक्षता में सुधार लाते हैं। बैंक, जोकि क्रेडिट बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जोखिमों की हेजिंग करने सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मौद्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी क्रेडिट बाजारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

4.2 तथापि, क्रेडिट देने में भी कुछ जोखिम रहती है जो पूरी तरह से क्रेडिट जोखिम से लेकर अधिक उधार देने की जोखिम तक फैली हुई है। जहाँ शुद्ध क्रेडिट जोखिम उधारकर्ता द्वारा चुकौती न करने के कारण होने वाली हानि की जोखिम है, चाहे ऋण देते समय पर्याप्त सावधानियां क्यों न बरती गयी हों, वहीं अधिक उधार देने की जोखिम तब पैदा होती है जब बैंक बिना उचित क्रेडिट मूल्यांकन और भावी ग्राहक के बारे में बहुत ज्यादा आशावादिता के कारण भरोसा करते हैं। जहां एक ओर हो सकता है कि शुद्ध क्रेडिट जोखिम बहुत ज्यादा न फैले और सामान्यतया प्रणालीगत समस्याएं पैदा न करे, वहीं बहुत अधिक उधार देना प्रणाली के लिए बर्दाश्त के बाहर और अस्थिरता लाने वाला होता है। अतएव, सभी देशों में पर्याप्त वृद्धि को बनाए रखने की कोशिश में नियंत्रक इसके लिए विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियां बनाकर तथा विवेकसम्मत मानदंडों को सुदृढ़ बनाकर विपरीत प्रभावों से इसे बचाने में लगे रहते हैं।

4.3 भारत में क्रेडिट बाजार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में पारंपरिक रूप से प्रमुख भूमिका अदा की है। ऋण संस्थानों में सुविकसित और बड़े आकार वाले वाणिज्य बैंकों से लेकर स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली छोटी-छोटी सहकारी विकास वित्त संस्थाएं हैं। ये विभिन्न प्रकार की क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करती हैं जैसे कि कंपनियों को अल्पावधि के कार्यशील पूंजी ऋण, बड़ी बुनियादी परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण तथा विभिन्न प्रयोजन हेतु फुटकर ऋण। वित्तीय बाजार के अन्य खंडों के विपरीत क्रेडिट बाजार पूरे देश में अच्छी तरह से फैला है और यह आबादी के सभी वर्गों के जीवन को छूता है।

4.4 1990 के दशक के शुरूआती वर्षों में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व भारत में ऋण बाजार कठोर रूप से नियंत्रित था। 1967-68 में अपनाये गए क्रेडिट योजना दृष्टिकोण के अंतर्गत मौद्रिक नीति का मुख्य फोकस बैंक ऋण था। औपचारिक मध्य लक्ष्य के अभाव में बैंक ऋण सकल रूप के साथ-साथ खंडवार रूप में मौद्रिक नीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे आया। 1980 के दशक के मध्य तक मौद्रिक नीति मुख्य रूप से बैंकों के लिए क्रेडिट बजटों वाले प्रत्यक्ष लिखतों के माध्यम से संचालित की जाती थी जो मौद्रिक बजट निर्माण के अनुरूप तैयार किए जाते थे (मोहन, 2006क)। क्रेडिट बाजार की विशेषता यह थी कि उसमें क्रेडिट नियंत्रण और निर्देशित उधार कार्यक्रम होते थे। उधार देने संबंधी खंडवार सीमाएं, व्यक्तियों द्वारा लिए जाने वाले उधार संबंधी सीमाएं, मार्जिन आवश्यकताओं का निर्धारण, यदि (ऋण प्राधिकार योजना के अंतर्गत) उधार निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाए तो रिज़र्व बैंक से पूर्वअनुमोदन लेने की आवश्यकता और संवेदनशील वस्तुओं के मामले में चयनित क्रेडिट नियंत्रण के रूप में विभिन्न प्रकार के क्रेडिट नियंत्रण मौजूद थे। सभी प्रकार की ऋण संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले उधारों पर ब्याज की दरें नियंत्रित थीं। क्रेडिट बाजार भी कठोर रूप से अलग-अलग खंडों में बंटे हुए थे। वाणिज्यिक बैंक अधिकांशतः उद्योग की अल्पावधि कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते थे और विकास वित्त संस्थाओं का फोकस मुख्यतः दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने पर केंद्रित था। क्रेडिट बाजार में स्पर्धा भी सीमित थी। जिसकी वजह से क्रेडिट बाजार में अनेक अकुशलताएं घर कर गयीं।

4.5 अतएव, ऋण बाजार की दक्षता बढ़ाने के लिए 1990 के दशक के शुरूआती वर्षों में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के एक अंग के रूप में विनियामक सुधारों की एक व्यापक श्रृंखला प्रारंभ की गयी। परिणामस्वरूप, भारत में क्रेडिट बाजार संरचनागत रूपांतरण के दौर से गुजरा। यद्यपि दो विकास वित्त संस्थाओं के बैंकों में विलय/ परिवर्तित हो जाने के कारण, अक्षम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छांट कर निकाल बाहर करने और शहरी सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनःसंरचना की वजह से ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या में काफी कमी आयी है लेकिन फिर भी क्रेडिट बाजार अत्यंत स्पर्धी हो गया है। क्रेडिट संस्थाएं अब तरह-तरह के उत्पाद प्रस्तुत करती हैं। अब वे अपनी जोखिम संभावनाओं के आधार पर अपने उत्पादों का मूल्य तय करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

4.6 उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में इस अध्याय में हाल ही के वर्षों में तेज क्रेडिट वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रकाश डालने के साथ-साथ भारत में क्रेडिट बाजार की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है। यह अध्याय छह खंडों में विभाजित है। खंड-I में आर्थिक वृद्धि में क्रेडिट बाजार के महत्व की व्याख्या की गई है। खंड-II में भारत में क्रेडिट बाजार की संरचना प्रतिपादित की गई है। 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से क्रेडिट बाजार से संबंधित नीतिगत गतिविधियों का उल्लेख खंड-III में किया गया है। सुधारोत्तर अवधि में भारत में क्रेडिट वृद्धि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण खंड-IV में किया गया है। बैंक क्रेडिट में वृद्धि की हाल ही की प्रवृत्तियों

और उनके निहितार्थों का भी विश्लेषण इस खंड में किया गया है। खंड-V में भारत में ऋण बाजार की भूमिका को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कुछ उपाय सुझाए गए हैं। खंड-VI में निष्कर्षात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं।

I. क्रेडिट बाजार का महत्त्व

4.7 शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं दोनों के बीच इस बात पर व्यापक सहमति है कि विकसित वित्तीय प्रणाली अनेक चैनलों के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है : (i) फर्मों से संबंधित सूचना का अर्जन; (ii) कड़ाई जिसके साथ ऋणदाता कंपनी नियंत्रण रखते हैं; (iii) जोखिम घटाऊ व्यवस्थाओं का प्रावधान; (iv) पूंजी समूहन और (v) लेनदेन करने में आसानी (लेविन, 2004)। बचत संग्रह करने और उन्हें निवेश की दिशा में ले जाने की दो व्यवस्थाएं हैं यथा बैंक आधारित और बाजार आधारित, जिनका अध्याय I में वर्णन किया गया है। अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि ज्यादा विकसित वित्तीय क्षेत्र उच्च आय स्तरों से जुड़ा रहा है जबकि वित्तीय संरचना के संबंध में कोई स्पष्ट ढांचा नहीं है।

4.8 अधिकांश देशों में दोनों प्रणालियां साथ-साथ रहती हैं यहां तक कि उनमें से एक प्रणाली दूसरे से ज्यादा प्रबल रहती है। तथापि, इन दो प्रणालियों में से क्रेडिट संस्थाओं को परियोजनाओं की दक्षता और उत्पादकता की निगरानी करने के लिए सूचना इकट्ठी करने और उसे प्रॉसेस करने में स्पष्ट रूप से लाभ मिलता है। वास्तव में, हाल के वर्षों में बैंक, जोकि क्रेडिट बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं, की मौजूदगी का श्रेय बचत जुटाने और उनका प्रवाह निवेश की दिशा में करने की उनकी योग्यता से संबंधित विशिष्ट व्याख्या की तुलना में विषम सूचना और नैतिक बाधा की समस्याओं की मौजूदगी से उपजी उनकी सूचना जुटाने की क्षमता को दिया जा सकता है। बचतकर्त्ताओं के पास कंपनियों के कामकाज के बारे में सामान्यतः आधी-अधूरी सूचना रहती है जिसकी वजह से कंपनियों को बाजार से सीधे वित्त प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। बैंकों का मध्यस्थन ऐसी एजेंसी समस्याओं को घटाता है। जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने वालों को किसी कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की लागत ज्यादा पड़ रही हो और यदि भावी निवेशक ऐसी सूचना इकट्ठी करने का कार्य किसी विशेषज्ञ संगठन को सौंप सकें तो वित्तपोषक कंपनियों का काम और भी दक्षतापूर्वक किया जा सकता है (डायमंड, 1984)। इस प्रकार, बैंकों द्वारा जानकारी जुटाने और कंपनी की निगरानी करने के कार्य के आधार पर वित्तीय मध्यस्थन को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। सूचना इकट्ठी करके उसे संसाधित करने की लागतों को घटाकर वित्तीय संस्थाएं बचत संग्रहण को प्रोत्साहित करती हैं तथा संसाधनों की व्यवस्था में सुधार लाती हैं। बैंक अपनी जोखिम का विशाखन अनेक कंपनियों के बीच भी कर सकते हैं।

4.9 विकासशील देशों में फर्मों की प्रवृत्ति सामान्यतया बैंक क्रेडिट सहित ऋण वित्तपोषण पर ज्यादा निर्भर रहने की रहती है। ईक्विटी के बजाय क्रेडिट पर जोर विभिन्न कारणों से पैदा होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ईक्विटी की लागत अक्सर ऋण की लागत से ज्यादा होती है क्योंकि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जोखिम प्रीमियम ज्यादा है। बनावटी रूप से दमित ब्याज दरों की मौजूदगी समस्याओं को और बढ़ा देती है। विकासशील देशों में ऋण पर बहुत ज्यादा निर्भरता के अन्य कारणों में शामिल है उनके ईक्विटी बाजारों की कमजोरी, योग्य लेखांकन प्रथाओं की कमी और पर्याप्त कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धति का अभाव। बैंक ऋण पर ज्यादा निर्भरता और बाह्य वित्त के लिए विकल्पों के अभाव को देखते हुए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में फर्मे ऋण की लागत और उसके प्रभावों में परिवर्तनों के प्रति सामान्यतया बेहद संवेदनशील होती हैं।

4.10 विकासशील देशों में ऋण बाजार विशेष तौर पर वहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जहाँ उद्योगों के अलावा कृषि भी अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण खंड है। इसके अलावा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में ढेर सारे छोटे और मझौले उद्यम भी हैं जो पूंजी बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें अपनी निधीयन आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार विकासशील देशों में बैंकों और अन्य उधारदात्री संस्थाओं के महत्त्व को शायद ही दोहराने की आवश्यकता है।

4.11 वाणिज्य बैंक विनियमित वित्तीय क्षेत्र में अपनी इस सर्वश्रेष्ठ स्थिति के कारण क्रेडिट बाजार पर अपना वर्चस्व बनाये रखते हैं। बैंकिंग प्रणाली द्वारा सृजित ऋणों की मात्रा सामान्यतया बैंकों की इच्छा और योग्यता दोनों का कार्य है। उधार दरों पर उच्चतम और न्यूनतम सीमाओं वाली अर्थव्यवस्था में बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक क्रेडिट मांग का सामना करना पड़ता है जितनी कि वे वास्तव में आपूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार क्रेडिट राशनिंग व्यवस्था पर निर्भरता की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी ओर, अदमित वित्तीय प्रणाली में सैद्धांतिक रूप से जोखिम की विशेषताओं के आधार पर उधारकर्ताओं के बीच अंतर किया जाता है और चूक की संभावनाओं को हिसाब में रखते हुए और ज्यादा जोखिम वाले उधारकर्ताओं पर ऊँची ब्याज दरें प्रभारित की जाती हैं। हालांकि, इससे गलत चयन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यद्यपि, जोखिम वाली परियोजनाओं से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, लेकिन, बैंकों को वहनीयता के विचार से अपने निवेश संविभाग की जोखिमों को इष्टतम रखने की आवश्यकता है।

4.12 क्रेडिट आपूर्ति को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण कारक बैंकिंग प्रणाली से केंद्रीय बैंक को मिलने वाली आरक्षित राशि है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक के धन का भारी पूर्वक्रय करने से बैंकिंग प्रणाली को आरक्षित की आपूर्ति में बाधा पड़ सकती है और इस प्रकार क्रेडिट निर्माण के लिए उनकी क्षमता प्रभावित होती है। तथापि, क्रेडिट विस्तार एक अंतर्जात प्रक्रिया हो सकती है अर्थात्, यह क्रेडिट के लिए मांग है जो अर्थव्यवस्था में क्रेडिट सृजित करने की बैंकिंग प्रणाली की योग्यता को बढ़ा सकती है।

4.13 मौद्रिक प्रेषण व्यवस्था में क्रेडिट बाजार का विकास एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 'मौद्रिक दृष्टिकोण' द्वारा दर्शाया जानेवाला पारंपरिक ब्याज दर चैनल मुख्यतः देयता पक्ष पर केंद्रित रहता है क्योंकि बैंक चेक से आहरण करने योग्य जमाराशियों के माध्यम से धन का सृजन करते हैं।

इसमें आस्ति पक्ष पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्मों की वित्तीय संरचना बैंकों से लिए गये उधारों अथवा प्रतिभूतियों के निर्गम से जुटाये गये उधारों के प्रति तटस्थ रहती है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न वित्तीय आस्तियां जैसे कि बांड और बैंक ऋण सही विकल्प हैं। फिर भी 'क्रेडिट दृष्टिकोण' के अर्थ में सूचना की विषमता के कारण बांडों और बैंक ऋणों को मूलतःसही ऐवजी के रूप में नहीं देखा जाता है। सूचना की समस्याओं से जूझ रही फर्में बैंकों से ऋण लेने की जगह बांडों के माध्यम से उधार लेने को ज्यादा खर्चीला पाती हैं।

4.14 'क्रेडिट दृष्टिकोण' के अनुसार उसी दिशा में बाह्य वित्त प्रीमियम (ईएफपी) में परिवर्तनों के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव विवर्धित किया जाता है। बाह्य वित्त प्रीमियम (ईक्विटी अथवा ऋण निर्गम करके) बाहर से निधियां जुटाने की लागत तथा (आय को रोक कर) आंतरिक रूप से सृजित निधियों के बीच अंतर है। इस प्रकार मौद्रिक कठोरता से बाह्य वित्त प्रीमियम बढ़ता है जबकि मौद्रिक नीति में ढील मिलने पर बाह्य वित्त प्रीमियम घटता है। परिणामस्वरूप, मांग और उत्पादन पर ब्याज दरों से संबंधित अल्पावधि नीति में परिवर्तनों के प्रभावों को देखते हुए जो ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रभावों को मजबूत बनाता है, विवर्धित होता है (बेर्नान्के और जेर्टलर, 1995)। इस संदर्भ में 'क्रेडिट दृष्टिकोण' का सर्वाधिक प्रतिनिधिक सैद्धांतिक मॉडल बेर्नान्के और ब्लाइंडर (1988) का है। यह IS/LM ढांचे का आशोधन है और इसमें वे सभी तत्व रहते हैं जो एक ओर क्रेडिट और दूसरी ओर बांड और प्रतिभूतियों के बीच अपूर्ण प्रतिस्थापन की सैद्धांतिक परिभाषा की गुंजाइश रखते हैं (बॉक्स IV.1)। नीति मार्गदर्शक के रूप में बेर्नान्के और ब्लाइंडर का निष्कर्ष यह है कि मुद्रा की मांग का आघात क्रेडिट की मांग के आघात से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो संभवतः क्रेडिट लक्ष्य की नीति मौद्रिक लक्ष्य की नीति से बेहतर है।

4.15 यह देखते हुए कि विकसित वित्तीय मध्यस्थन प्रणाली वृद्धि को सुसाध्य बनाती है, नीति निर्माता वित्तीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रणाली को उदार बनाने की ओर झुकते हैं। तथापि, साहित्य संकेत करता है कि वित्तीय क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से उदारीकृत नीतिगत ढांचा अपनाने में प्राधिकारियों को पर्याप्त सावधानियां बरतनी चाहिए (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2006)। हाल ही में उदार बनाई गई वित्तीय संस्थाओं का शिथिल पर्यवेक्षण और अल्पविकसित विनियमन, जिसके साथ अक्सर अस्थिर समष्टि आर्थिक वातावरण जुड़ा रहता है, से प्रणाली संकट पैदा हुआ है (लिंडग्रेन, आदि, 1996 तथा कॅप्रिओ और क्लिंजेबिएल, 2003)। इसी प्रकार, अर्थमिति साक्ष्य जो दर्शाता है कि उन देशों में बैंकिंग संकट पैदा होने के ज्यादा आसार हैं जो कमजोर संस्थागत वातावरणों में काम करनेवाले उदार क्रेडिट बाजारों से जुड़े हैं। पूर्व-एशियाई संकट ने यह रेखांकित किया है कि कमजोर या जोखिम के प्रति संवेदनशील वित्तीय क्षेत्र किस प्रकार से आर्थिक स्थिरता के सामने जोखिमें खड़ी कर सकता है।

II. भारत में क्रेडिट बाजार का संस्थागत ढांचा

4.16 भारत में क्रेडिट बाजार ढांचे को विकसित होने में वर्षों का समय लगा है। देश में वित्तीय संस्थाओं की व्यापक श्रेणियां मौजूद हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को क्रेडिट उपलब्ध कराती है। इनमें वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाएं (इसके अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, राज्य सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास बैंक आते हैं), वित्तीय संस्थाएं (केंद्र और राज्य, दोनों स्तर की मीयादी उधारदात्री संस्थाएं तथा पुनर्वित्त संस्थाएं) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आती हैं (प्रदर्श IV.1)।

4.17 भारत में क्रेडिट बाजार का प्रमुख हिस्सा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बनता हैं। मार्च 2006 के अंत में कुल मिलाकर 83 अनुसूचित वाणिज्य बैंक काम कर रहे थे। वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र समेकन के दौर से गुजर रहा है। 1999 से 12 विलय/समामेलन हो चुके हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनका गठन कृषि और ग्रामीण वित्त उपलब्ध कराने के लिए 1970 के दशक में किया गया था, भारत सरकार की पहल पर पुनर्गठित किए जा रहे हैं। 31 अक्तूबर 2006 तक 43 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने के लिए 137 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया जा चुका था और इस प्रकार देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या मार्च 2005 के अंत में 196 से घटकर 103 पर आ गई।

4.18 शहरी और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के दो विशद खण्डों के साथ सहकारी बैंकिंग प्रणाली भारतीय वित्तीय प्रणाली के एक अभिन्न अंग का निर्माण करती है। शहरी सहकारी बैंक, जिन्हें प्राथमिक सहकारी बैंक भी कहा जाता है, देश के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शहरी सहकारी बैंकों ने जिनकी संख्या 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में तेजी से बढ़ी, ने सुदृढ़ कंपनी अभिशासन के अभाव, अनैतिक उधार देने, अनर्जक ऋणों के अपेक्षाकृत ऊँचे स्तरों और उदारीकृत वातावरण में काम कर पाने की अपनी अयोग्यता से उत्पन्न कतिपय कमजोरियां दर्शाईं। तदनुसार, कुछ कमजोर शहरी सहकारी बैंक या तो बंद कर दिए गए या फिर उनका अन्य बैंकों में विलय कर दिया गया। परिणामस्वरूप, शहरी सहकारी बैंकों की संख्या मार्च 2001 के अंत के 1,942 से घटकर मार्च 2006 के अंत में 1,853 रह गई।

4.19 ऐतिहासिक रूप से, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को संस्थागत ऋण प्रदान करने में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनके उधार देने के कार्यों के स्वरूप के आधार पर इन ऋण संस्थाओं को विशेष रूप से दो स्पष्ट खंडों में विभाजित किया गया है जिन्हें सामान्यतः अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा और दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा कहा जाता है। अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा, जिसमें ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, मध्य स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं, अल्पावधि प्रयोजनों के लिए किसानों और ग्रामीण दस्तकारों को फसल ऋण और

बॉक्स IV.1
मौद्रिक नीति का क्रेडिट चैनल

वास्तविक अर्थव्यवस्था पर मौद्रिक नीति का प्रभाव विभिन्न चैनलों के माध्यम से कार्य करता है। पारंपरिक दृष्टिकोण जिसे 'मौद्रिक दृष्टिकोण' कहते हैं, के अंतर्गत मौद्रिक नीति ब्याज दर के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। वैकल्पिक चैनल जो मौद्रिक प्रेषण के मार्ग के रूप में क्रेडिट स्थितियों पर जोर देता है, अपेक्षाकृत हाल ही की उपज है और इसे 'क्रेडिट दृष्टिकोण' कहा जाता है। क्रेडिट दृष्टिकोण की उत्पत्ति की रूपरेखा बेरनांके और ब्लाइंडर (1988) के चर्चित कार्य में प्रस्तुत की गई है जिसमें बैंक मध्यस्थक ऋणों की सहायता से बढ़ाया गया निवेश/बचत साम्य - चलनिधि विकल्प/मुद्रा आपूर्ति साम्य (IS-LM) प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋण और बांड सटीक विकल्प नहीं है और मौद्रिक नीति न केवल पारंपरिक मौद्रिक चैनल के माध्यम से कार्य करती है बल्कि यह क्रेडिट चैनल के माध्यम से भी कार्य करती है। 'क्रेडिट दृष्टिकोण' के अनुसार मौद्रिक नीति में परिवर्तन जो उसी दिशा में बाह्य वित्त प्रीमियम को बदलने के लिए खुला बाजार ब्याज दरों को घटाता या बढ़ाता है, बाह्य वित्त प्रीमियम बाह्य रूप से जुटाई गई निधियों की लागत और आंतरिक रूप से जुटाई गई निधियों के बीच का अंतर है। बाह्य वित्त प्रीमियम पर नीति के इस अतिरिक्त प्रभाव के कारण उधार लेने की लागत पर मौद्रिक नीति के प्रभाव और परिणामस्वरूप वास्तविक खर्च और वास्तविक गतिविधि कई गुना बढ़ गई है (बेरनान्के और जेर्टलर, 1995)। ऐसे तीन कारण हैं जिनकी वजह से क्रेडिट चैनल महत्वपूर्ण है। पहला, साक्ष्य बताते हैं कि क्रेडिट चैनल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के क्रेडिट बाजार की अपूर्णताएं (imperfection) वास्तव में फर्मों के नियोजन और खर्च करने के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। दूसरा, साक्ष्य बताते हैं कि छोटी फर्में, जिनके क्रेडिट से त्रस्त रहने की संभावनाएं अधिक हैं, अपने बड़े विरोधियों (काउंटर पार्ट) की तुलना में कठोर मौद्रिक नीति से ज्यादा आहत होती हैं। तीसरा, विषम सूचना - क्रेडिट चैनल विश्लेषण की मुख्य वस्तु - कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं यथा वित्तीय मध्यस्थ क्यों रहते हैं; वित्तीय क्षेत्र की संरचना और वित्तीय संकट क्यों पैदा होते हैं, की व्याख्या करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है (मिश्किन, 1996)।

ऐसे दो चैनल हैं जिनके माध्यम से मौद्रिक प्रेषण को क्रेडिट स्थितियों द्वारा प्रभावित करना प्रत्याशित है। पहला, 'बैंक उधार' देने वाला चैनल जो बैंक प्रारक्षितों के मॉडुलेशन से कार्य करता है, मौद्रिक नीति से प्रभावित होता है। संकुचक / विस्तारक नीति बैंकों की उधार देने की योग्यता को सीमित करती है या बढ़ाती है और इस प्रकार निवेश और उत्पादन को घटाता / बढ़ाता है। दूसरा, 'तुलनपत्र' चैनल जो उधारकर्ताओं की निवल मालियत के माध्यम से कार्य करता है। संकुचक नीति ब्याज दरें बढ़ा देती है और इसप्रकार उधारकर्ताओं की संपार्श्विक प्रतिभूतियां और निवल मालियत का मूल्य कम कर देती है। तदनुसार, यह उधारकर्ता की उधार लेने और निवेश करने की योग्यता को सीमित कर देती है। इसके अलावा साहित्य भी तत्काल भुगतान अपेक्षाओं, सामने-सामने लेन-देन की लागतों और न्यूनतम आय-ब्याज भुगतान अनुपात जैसी विशेषताओं के द्वारा तुलनपत्र और आवासन की मांग के बीच सीधे संबंध की ओर संकेत करता है। तथापि, अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि क्रेडिट चैनल की कारगरता बैंक पर निर्भर रहने वाले उधारकर्ताओं उदाहरण के लिए छोटी और कम मालियत वाली फर्मों की मौजूदगी (जेर्टलर और गिलक्रिस्ट, 1993 और 1994), खुदरा और थोक जमाराशियों के बीच प्रतिस्थापन और उधार देने की बैंकों की क्षमता को बाधित करने की केंद्रीय बैंक की योग्यता जैसी स्थितियों पर निर्भर करती है ।

भारत में क्रेडिट चैनल की मौजूदगी से आशय निकालनेवाला अनुभवजन्य कार्य काफी सीमित है। वित्तीय उदारीकरण के प्रभाव की जांच करने के लिए हाल ही में किया गया अध्ययन दर्शाता है कि बीमाकृत जमाराशियों की उपलब्धता से अपने उधार परिचालन चलाने वाले बैंक सामान्य रूप से बाधित होते हैं और ये बाधाएं उन बैंकों के लिए ज्यादा गंभीर होती हैं जो जमानतों की बिना पर बहुत ज्यादा ऋण देते हैं। भारत में पचासी प्रतिशत से अधिक बैंक द्वारा दिए गए उधार जमानतों की बिना पर हैं। इसका निहितार्थ यह है कि बैंक उधार चैनल का प्रभाव महत्वपूर्ण है। बैंक उधार चैनल का अनुमान लगाने के लिए किए गये एकदम हाल ही के प्रयास से प्रेषण व्यवस्था के अनेक पहलू सामने आये हैं - इसके लिए सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अप्रैल 1993 से लेकर अप्रैल 2002 तक के मासिक आंकड़ों पर संरचनागत वीएआर पद्धति का उपयोग किया गया है (पंडित और अन्य, 2006)। पहला, यह अध्ययन भारतीय सदंर्भ में बैंक उधार चैनल की मौजूदगी को सही ठहराता है। इसका निहितार्थ यह है कि इस बात की संभावना है कि मौद्रिक नीति बनाते समय केंद्रीय बैंक के समक्ष ऋण आपूर्ति में होनेवाले स्वतंत्र परिवर्तन सामने आयें। दूसरा, साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं कि व्यापक संसाधन आधार वाले बड़े बैंक छोटे बैंकों की तुलना में संकुचक नीति के आघातों से अपनी ऋण आपूर्ति को ज्यादा सफलतापूर्वक नीतिरोधी बना लेते हैं। तीसरी, नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जैसे मात्रात्मक लिखत बैंक दर जैसे मूल्यपरक साधनों के साथ-साथ लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अंततः बैंकों के उधार देने के निर्णयों को प्रभावित करने में विवेकसम्मत विनियमनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से पूंजी पर्याप्तता अनुपातों के प्रारंभ ने बैंकों को ऋणों की जोखिम - प्रतिलाभ प्रोफाइल के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना दिया है क्योंकि अतिरिक्त उधार देना विनियामक पूंजी मानकों को पूरा करने के लिए पूंजी आधार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर डालता है।

संदर्भ :

बेरनांके, बेन और ए.ब्लांइडर. 1988 ''क्रेडिट, मनी एण्ड एग्रीगेट डिमांड''. अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू पृष्ठ 135 से 139, मई.

बेरनांके, बेन और एम. जेर्टलर. 1995. ''इनसाइड द ब्लैक बॉक्स : द क्रेडिट चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन''. *जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक पर्सपेक्टिव्स,* खण्ड 9: 27-48.

पंडित, बी.एल., अजीत मित्तल, महुआ रॉय और सैबल घोष. 2006. ''ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एण्ड द बैंक लेंडिंग चैनल : एनालिसिस एण्ड इविडेंस फॉर इंडिया''. डीआरजी स्टडी नं. 25, भारतीय रिजर्व बैंक.

अन्य कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराता है। दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा, जिसमें राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा जिला अथवा खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होते हैं, कृषि, ग्रामीण उद्योगों और हाल ही में भवन निर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए खासतौर पर मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराता है। तथापि, देश के सभी राज्यों में ग्रामीण सहकारी बैंकों की संरचना एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में ऐकिक संरचना है, जिसमें राज्य स्तरीय बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करते हैं

प्रदर्श IV.1 : ऋण बाजार संरचना
(मार्च 2006 के अंत में)

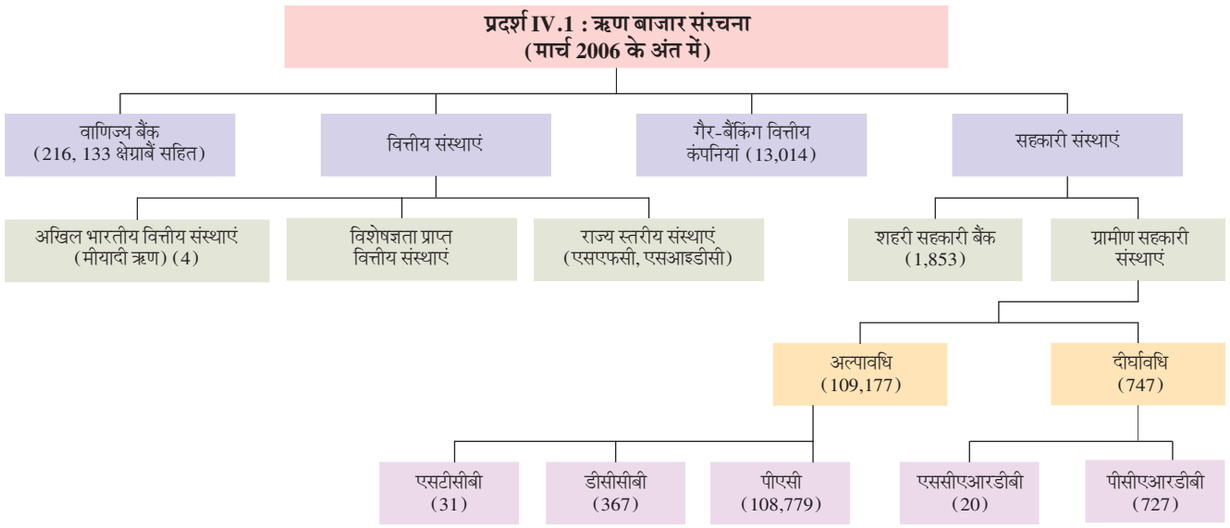

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित श्रेणियों में संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित आंकड़े मार्च 2005 से अंत से और एनबीएफसी से संबंधित आंकड़े जून 2006 समाप्ति से संबंधित हैं।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2005-06, भारतीय रिज़र्व बैंक ।

जबकि अन्य में मिला-जुला ढांचा है जिसमें ऐकिक और संघीय दोनों ही प्रकार की प्रणालियां रहती हैं।

4.20 राज्य संचालित नियोजित आर्थिक विकास के उद्देश्य से तब वित्तीय संस्थाओं का उद्भव हुआ जब पूंजी बाजार अपेक्षाकृत अल्पविकसित थे और यह माना जाता था कि वे अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि आवश्यकताओं को यथायोग्य पूरा करने में असमर्थ हैं। वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं की एक लंबी कड़ी आयी जिसमें से अधिकांश संस्थाएं सरकारी स्वामित्व वाली थीं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि आवश्यकताएं पूरी करना था। वित्तीय संस्थाओं ने भारत में विकास वित्त प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इस प्रयोजन के लिए उन्हें सरकारी गारंटीवाले बांडों और रिज़र्व बैंक की दीर्घावधि परिचालन निधि से रियायती वित्त देने की सुविधा प्रदान की गई। तथापि, सरकार की राजकोषीय अनिवार्यताओं और बाजार व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से संबंधित नीतियों और रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर किया और 1990 के दशक के मध्य से रियायती वित्त की सुविधा चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दी गई। वित्तीय क्षेत्र में प्रमुख पुनर्संरचनागत बदलाव तब आया जब दो बड़े वित्तीय संस्थानों यथा आइसीआइसीआइ और आइडीबीआइ बैंकों के रूप में बदल दिए गए। इस प्रकार क्रेडिट बाजार का यह महत्वपूर्ण खंड हाल के वर्षों में काफी संकुचित हो गया है।

4.21 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मध्यस्थों का एक पंचमेल समूह है और ये सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। यद्यपि, इनका स्वरूप पंचमेल प्रकार का है लेकिन फिर भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों यथा आस्ति वित्तपोषी कंपनी (जैसे कि उपकरण पट्टा और किराया खरीद), ऋणदात्री कंपनी और निवेश कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक अलग श्रेणी, जो अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी) कहलाती हैं, भी मौजूद है क्योंकि इन्हें तीन पूर्वोल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (चिट फंड), परस्पर हितकारी वित्तीय कंपनियां (निधि और गैर अधिसूचित निधि) और आवास वित्त कंपनियां भी हैं। देश में कार्यरत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या 1996 में 51,929 थी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय III - ख और अध्याय III - ग में निहित प्रावधानों के संशोधन के बाद जमाराशियां लेनेवाली और जमाराशियां न लेनेवाली दोनों ही प्रकार की वित्तीय बैंकिंग कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे रिज़र्व बैंक में अपना पंजीकरण कराएं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण की शर्तों में से एक शर्त थी, प्रवेश बिंदु पर 25 लाख रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ)। बाद में यह सीमा 21 अप्रैल 1999 के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र पाने के लिए नई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई। मार्च 2006 के अंत तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में प्रमाणपत्र पाने के लिए रिज़र्व बैंक को 38,244 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से रिज़र्व बैंक ने 13,141 आवेदन अनुमोदित किए जिसमें 423 ऐसी कंपनियों के आवेदन थे जिन्हें जनता की जमाराशियां स्वीकार करने / रखने करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इस क्षेत्र में समेकन के कारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या जून 2006 के अंत तक घटकर 13,014 रह गयी थी।

चार्ट IV.1 : वित्तीय मध्यस्थों की कुल आस्तियां - संबंधित शेयर (मार्च 2006 के अंत में)

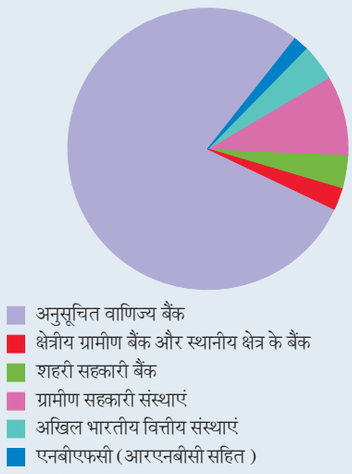

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2005-06। भारतीय रिज़र्व बैंक।

4.22 आस्तियों के अर्थ में, सभी संस्थाओं में से वाणिज्य बैंक सबसे बड़ी श्रेणी है और उसके बाद ग्रामीण सहकारी बैंकों का स्थान आता है (चार्ट IV.1)।

III. भारत में क्रेडिट बाजार में नीतिगत गतिविधियां

4.23 क्रेडिट बाजार, जिसमें वाणिज्यिक बैंक इसका सबसे बड़ा खंड है, अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निजी क्षेत्र और केंद्र तथा राज्य सरकार के उद्यमों दोनों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख स्रोत रहा है। निजी और सरकारी क्षेत्रों के बीच संसाधनों को साझा करने के अलावा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड का एक महत्वपूर्ण भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र[1] के लिए निर्दिष्ट किया गया है। भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्रारंभ होने से कुछ दशक पहले क्रेडिट देने वाली संस्थाएं ऐसे वातावरण में कार्य करती थीं जो कि बहुत ज्यादा विनियमित था और इसकी विशेषता यही थी कि इसमें प्रवेश के लिए ढेर सारी बाधाएं थीं जो उन्हें स्पर्धा से बचाती थीं । विभिन्न क्षेत्रों के बीच बैंक संसाधनों के आबंटन की समस्या एसएलआर, ऋण प्राधिकरण योजना (सीएएस), अधिकतम स्वीकार्य बैंक वित्त का निर्धारण और चयनित ऋण नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं के द्वारा दूर की जाती थी। यह विनियमित वातावरण ऐसे ढंग से अनुपूरक के रूप में बनाया जाता था जिसमें ऋणदात्री संस्थाएं कार्य करती थीं और ग्राहक आवश्यकताओं के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाती थीं। संसाधनों की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलनकारी व्यवस्था के रूप में ब्याज दर बहुत सीमित भूमिका अदा करती थी । संसाधन आबंटन प्रक्रिया कमजोर थी जिसकी वजह से यह स्वयं कमजोर आस्ति गुणवत्ता देती थी और उनमें परिचालनगत नमनीयता और कार्यमूलक स्वतंत्रता की भी कमी थी।

4.24 1990 के दशक के शुरुआती दौर में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के एक अंग के रूप में ऋणदात्री संस्थाओं को और भी ज्यादा दक्ष एवं स्वस्थ बनाने की दृष्टि से क्रेडिट बाजार में दूरगामी परिणामवाले सुधार प्रारंभ किए गए थे। यह सुधार प्रक्रिया प्रारंभ में वाणिज्यिक बैंकों पर केंद्रित थी । वाणिज्यिक बैंकों को सुदृढ़ संस्थानों के रूप में बदलने में मिली महत्वपूर्ण प्रगति के बाद इस सुधार प्रक्रिया का विस्तार क्रेडिट बाजार के अन्य खण्डों में भी किया जाएगा। सुधार प्रक्रिया के एक अंग के रूप में रणनीति का नजरिया क्रेडिट बाजार के माइक्रो प्रबंधन से हटकर बाजार के समष्टि प्रबंधन की ओर चला गया। इन उपायों ने उधारकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अपने ऋण उत्पादों का उचित रूप से मूल्यन करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों को पर्याप्त और समय पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और अन्य ऋणदात्री संस्थाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया।

4.25 उधार की ब्याज दरें इस दृष्टि से अविनियमित कर दी गयीं ताकि बेहतर मूल्य खोज और दक्ष संसाधन आबंटन हासिल किया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्याज दरों के प्रति क्रेडिट संवेदनशीलता बढ़ने लगी और इसने रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नियंत्रण के लिए बाजार आधारित लिखतें लाने की शक्ति प्रदान की। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर[2]) को धीरे-धीरे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), जोकि 1989 से 1992 के दौरान निवल मांग और मीयादी देयताओं के 15.0 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर रहता था, जून 2003 में घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया। सांविधिक पूर्वक्रय में की गई कमी से बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों में काफी वृद्धि हो गयी है । यद्यपि रिज़र्व बैंक द्वारा सीआरआर को कम करने के अपने मध्यावधि उद्देश्य का अनुसरण जारी है, हाल के वर्षों में समष्टि आर्थिक और मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा के बाद सीआरआर में ऊर्ध्वमुखी संशोधन करके इसे चरणबद्ध रूप से 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

4.26 हालांकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्दिष्ट शर्त बरकरार रखी गयी है, लेकिन नई मदों को शामिल करके इसकी

[1] प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कृषि (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों), लघु उद्योग, छोटे सड़क और जलपरिवहन परिचालक, छोटे कारोबार, खुदरा व्यापार, व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन, शिक्षा, आवासन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों), उपभोग ऋण, माइक्रो-क्रेडिट, सॉफ्टवेयर और खाद्य तथा कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ऋण आते हैं।

[2] बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अंतर्गत सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षित है कि वे एसएलआर बनाए रखें अर्थात दूसरे बीते पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को अपनी मांग और मीयादी देयताओं का एक निश्चित अनुपात अर्थसुलभ आस्तियों (नकद, मौजूदा बाजार मूल्य से अनधिक मूल्य पर मूल्यांकित स्वर्ण अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मूल्य पर मूल्यांकित बिना भारवाली अनुमोदित प्रतिभूतियां) के रूप में रखें। जनवरी 2007 में इस अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसरण में एसएलआर के लिए 25 प्रतिशत की आधार दर समाप्त कर दी गयी थी।

व्याप्ति और परिभाषा अनुकूल बनाई गई है। इसके अलावा परियोजना वित्त गतिविधि और वैयक्तिक ऋणों हेतु बैंकों के उधारों पर लगाये गये प्रतिबंध क्रमिक रूप से हटा दिए गए हैं ताकि बैंकों को क्रेडिट बाजार में लचीले ढंग से काम करने में सक्षम बनाया जा सके। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अंग के रूप में पूंजी पर्याप्तता, आस्ति निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में विनियामक मानदण्डों को क्रमिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया है। इन उपायों ने बैंकों के तुलनपत्र की पारदर्शिता और उनके कार्य करने में जवाबदेही बढ़ा दी है। लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदण्डों को अभिशासन सुधारने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से भी सुदृढ़ बनाया गया। सुधार कार्यक्रम के एक अंग रूप में अधिकाधिक बाजार जवाबदेही और बेहतर दक्षता हेतु बैंकिंग संस्थाओं के स्वामित्व के विविधीकरण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। तदनुसार, सरकारी क्षेत्रों के अनेक बैंकों ने पूंजी बाजार का सहारा लेकर अपना पूंजी आधार बढ़ाया जिससे सरकार के स्वामित्व में कमी आयी। सुगमतापूर्वक बासेल II ढांचा अपनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से बैंकों को पूंजी निधियां जुटाने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2006 में अतिरिक्त लिखतें जारी करके अपनी पूंजी निधियां बढ़ाने के लिए बैंकों को अनुमति प्रदान की।

4.27 इस स्पर्धा के माध्यम से दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने गये। 1993 से निजी क्षेत्र के 12 नए बैंक स्थापित किए गए हैं। विदेशी बैंकों को भी प्रवेश की अधिक उदार अनुमति दी गयी है। बैंकों की विशेष प्रगति को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व और अभिशासन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत भी फरवरी 2005 में जारी किए गए थे (बॉक्स IV.2)। बैंकिंग क्षेत्र में स्पर्धा बढ़ाने की दिशा में उठाये गये प्रमुख कदम के रूप में अब निजी क्षेत्रों के बैंकों में 74 प्रतिशत तक (विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेश सहित) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी है, बशर्ते समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए । विदेशी बैंकों के लिए एक रोड मैप जिसमें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वचनबद्धताओं के अनुरूप उधार नीति का वर्णन किया गया है, मार्च 2005 में जारी किया गया था। नए और मौजूदा विदेशी बैंकों के लिए वर्ष में 12 शाखाओं की विद्यमान विश्व व्यापार संगठन वचनबद्धताओं से आगे जाने का प्रस्ताव रखा गया था।

4.28 ऋणदात्री संस्थाओं के संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनर्जक ऋणों (एनपीएल) के रूप में अनुत्पादक आस्तियों में फंस गया है। इसने न केवल ऋणदात्री संस्थाओं को अपनी निधियों के पुनः उपयोग (रिसाइकल) करने की योग्यता को सीमित किया है बल्कि उनकी लाभप्रदता को बुरी तरह से प्रभावित करके भी उन्हें कमजोर किया है। अतः, रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पिछले देयों की वसूली के लिए अनेक संस्थागत उपाय प्रारंभ किए और इस प्रकार उनकी अनर्जक आस्तियां कम करने में मदद की। ये उपाय थे - ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी), लोक अदालत, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) और कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) व्यवस्था। वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालय स्तर पर निपटान परामर्शदात्री समितियां भी बनायी गयी हैं। इसके अलावा, बैंक न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति ब्याज की वसूली के लिए वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अधीन भी नोटिसें जारी कर सकते हैं । इसके अलावा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को छोड़कर) को अनर्जक आस्तियां बेचने/खरीदने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, बैंकों और अन्य ऋणदात्री संस्थाओं को अपनी अनर्जक आस्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए विकल्पों की सूची दे दी गई है।

4.29 क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाने के लिए क्रेडिट जोखिम का विविधीकरण अनिवार्य है। कतिपय क्षेत्रों में उधारों के अत्यधिक संकेद्रण से ज्यादा जोखिम भार पैदा होता है। जोखिम भार उठाने में सहायता के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। आस्ति प्रतिभूतीकरण बैंकों को निवेशकों की चाहत दर्शाने के लिए विनियामक पूंजी संरक्षित करने, आस्ति जोखिम विविधीकृत करने और उत्पादों को संरचित करने की अनुमति देता है (अं.मु.को, 2006)। क्रेडिट जोखिम बांटने और अंतरित करने के लिए विभिन्न लिखत हैं। ऐसी लिखतों में से एक लिखत है आस्ति प्रतिभूतीकरण (बाक्स IV.3)।

4.30 प्रतिभूति बाजार का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 1 फरवरी 2006 को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए।

4.31 विस्तृत ऋण सूचना, जोकि किसी उधारकर्त्ता द्वारा पहले ही ली गई ऋण सुविधाओं और उसके चुकौती ट्रैक रिकार्ड का विस्तृत विवरण देती है, क्रेडिट बाजार के सुचारु संचालन के लिए महत्त्वपूर्ण है। क्रेडिट इतिहास का अभाव अपेक्षाकृत कम भरोसे मंद उधारकर्त्ताओं को होनेवाले ऋण प्रवाह को प्रभावित करनेवाला महत्त्वपूर्ण कारक है। ऋण इतिहास के अभाव में क्रेडिट का मूल्य निर्धारण मनमाना हो सकता है, कल्पित क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है और इस प्रकार गलत चयन और नैतिक जोखिम की समस्या हो सकती है। तदनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्त्ता उधारकर्त्ताओं के संबंध में सूचना के प्रकटीकरण की एक योजना प्रारंभ की गई थी। क्रेडिट विषयक मामलों संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करना सुगम बनाने के उद्देश्य से ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सिबिल) 2000 में गठित किया गया था (बाक्स IV.4)।

4.32 वाणिज्य बैंकों के लिए शुरू किए गए सुधारवादी अधिकांश उपायों जैसे कि उधार की ब्याज दरों का विनियमन, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकसम्मत मानदंड और अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन का दायरा यथोचित परिवर्तनों के साथ अन्य ऋणदात्री संस्थाओं तक बढ़ाया गया।

बॉक्स IV.2
क्रेडिट बाजार सुधार

उधार देने की ब्याज दरें

- वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की दरें अक्तूबर 1994 में अविनियमित कर दी गई थीं और बैंकों से अपेक्षित था कि वे अपनी मूल उधार दरें (पीएलआर) घोषित करें ।
- बैंकों की उधार देने की दरों में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता के साथ-साथ ऋणों के मूल्यन में निहित जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 29 अप्रैल 2003 को बेंच मार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की अवधारणा प्रारंभ की ।
- अब बैंक अपनी-अपनी बीपीएलआर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है और साथ ही वे बीपीएलआर दरों से कम दर पर भी उधार दे सकते हैं।
- बैंकों को यह भी अनुमति है कि वे पारदर्शी तरीके से चल उधार दर वाले ऋण उत्पाद जो बाजार के बेंचमार्क से जुड़े हों, प्रस्तावित कर सकते हैं ।

बैंकों द्वारा मीयादी उधार देना

- बैंकों द्वारा दिए जाने वाले मीयादी ऋणों से संबंधित विभिन्न प्रतिबंध धीरे-धीरे चरणबद्ध रूप में 1997 तक समाप्त कर दिए गए। 1991 में आर्थिक सुधारों के शुरू होने से पहले मौजूद मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा थी कि वे राज्यस्तरीय संस्थाओं की सहयोग से छोटे परियोजनाओं के मीयादी ऋण प्रदान करें, हालांकि यह अनिवार्य नहीं था ।
- तथापि बड़ी परियोजनाओं के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ सहभागिता के लिए अनुमति दी गयी थी बशर्ते कि बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से दी जाने वाली मीयादी ऋण सहायता का 25 प्रतिशत तक सीमित रहेगा और बैंकिंग प्रणाली से कुल मीयादी सहायता 75 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता

- 1994 में निर्धारित किए गए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी आस्तियों को चार श्रेणियों यथा मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां के रूप में वर्गीकृत करें और आस्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उचित प्रावधानीकरण की अपेक्षा पूरी करें।
- मार्च 2001 से अनर्जक आस्तियों (एनपीए)के निर्धारण के संबंध में 'पिछला देय' की अवधारणा समाप्त कर दी गई थी और मार्च 2004 से अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण के लिए 90 दिवसीय चूक मानदंड अपनाया गया था।
- मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से विवेकसम्मत मानदंडों को कठोर बनाने की दिशा में उठाया गया प्रमुख कदम था कि यदि कोई आस्ति 18 माह के पुराने मानदंड की जगह 12 माह के लिए अवमानक श्रेणी में रहती है तो उसे संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना अनिवार्य है। बैंकों से अब यह अपेक्षित है कि वे मानक आस्तियों के लिए कतिपय निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर 0.40 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधानीकरण करें। इसमें कृषि और छोटे तथा मझोले उद्यम क्षेत्रों को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिम (0.25 प्रतिशत), आवासीय प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले 20 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण (1.0 प्रतिशत) और वैयक्तिक ऋण (2.0 प्रतिशत) शामिल हैं (निर्दिष्ट क्षेत्रों के मामले में प्रावधानीकरण की सामान्य अपेक्षा मई 2006 में 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दी गई और जनवरी 2007 में उसे और बढ़ाकर 2.0 प्रतिशत कर दिया गया)।
- बैंकों को सूचित किया गया था कि वे (क) 3 वर्ष से अधिक वाली श्रेणी के लिए 'संदिग्ध' में शामिल किया गया अनर्जक आस्तियों का जमानती हिस्सा और (ख) 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार वे अनर्जक आस्तियां, जो 3 वर्ष से अधिक समय के लिए संदिग्ध श्रेणी में बनी रहीं, के बारे में ग्रेड वार उच्च प्रावधानीकरण का मार्ग अपनाएं । 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से चरणबद्ध ढंग से 3 वर्ष की अवधि में 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत की सीमा तक का प्रावधान करना निर्दिष्ट किया गया है। तथापि, 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद 'तीन वर्ष से अधिक के लिए संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत सभी अग्रिमों के संबंधों में प्रावधानीकरण अपेक्षा 100 प्रतिशत निर्दिष्ट की गई है। उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के बेजमानती हिस्से के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा 100 प्रतिशत पर ही बरकरार रखी गई है।
- 1994 में बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अधीन लाया गया था जिसके अनुसार बैंकों से अपेक्षित था कि वे जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी का अनुपात 8 प्रतिशत बनाये रखें। तदनंतर, यह अनुपात 1999 में बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया था।

एक्सपोजर सीमाएं

- एक जगह पर क्रेडिट इकट्ठा होने से बचने के लिए भारत में व्यक्तियों और समूह उधारकर्ताओं के लिए बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में विनियामक सीमाएं निर्दिष्ट की गयी थीं।
- लागू सीमा एकल उधारकर्ता के मामले में पूंजी निधियों का 15 प्रतिशत और समूहकर्ताओं के मामले में 40 प्रतिशत है। किसी समूह से संबंधित उधारकर्ताओं को क्रेडिट एक्सपोजर बैंक पूंजी निधियों के 40 प्रतिशत के मानदंड से 10 प्रतिशत अधिक (अर्थात 50 प्रतिशत तक) हो सकता है बशर्ते कि यह अतिरिक्त क्रेडिट एक्सपोजर बुनियादी संरचना परियोजनाओं को क्रेडिट देने के लिए हो। एकल उधारकर्ता को क्रेडिट एक्सपोजर बैंक पूंजी निधियों के 15 प्रतिशत के एक्सपोजर मानदंड से 5 प्रतिशत अतिरिक्त (अर्थात 20 प्रतिशत तक) हो सकता है। इसके अलावा, बैंक अपवादात्मक परिस्थितियों में अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से पूंजी निधियों के और 5 प्रतिशत तक अधिक का एक्सपोजर उधारकर्ता को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

स्पर्धा बढ़ानेवाले उपाय

- सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को अनुमति दी गयी थी कि वे प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक इक्विटी बाजार से पूंजी जुटा सकते हैं ।
- निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और अभिशासन हेतु 28 फरवरी 2005 को एक व्यापक नीतिगत ढांचे की नींव रखी गई थी । इस ढांचे में निहित विस्तृत सिद्धांतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि - (i) अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण सुपरिभाषित हो; (ii) महत्वपूर्ण शेयरधारक 'चुस्त और दुरुस्त' हों; (iii) निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'चुस्त और दुरुस्त' हों तथा वे सुदृढ़ कंपनी अभिशासन सिद्धांतों का पालन करते हों; (iv) पूरे परिचालनों और प्रणालीगत स्थिरता के लिए निजी क्षेत्र के बैंक न्यूनतम पूंजी (शुरू में 200 करोड़ रुपए और यह वचनबद्धता कि इसे तीन वर्ष के भीतर बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए किया जाएगा)/ निवल मालियत (हर समय 300 करोड़ रुपए) बनाए रखेंगे और (v) नीति तथा प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हों।

बॉक्स IV.3
आस्ति प्रतिभूतिकरण

प्रतिभूतिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न अर्थसुलभ आस्तियों को अधिक अर्थसुलभ आस्तियों के रूप में परिवर्तित किया जाता है और पूंजी बाजारों के जरिए निवेशकों की एक व्यापक रेंज में फैलाया जाता है। उधार देने वाली संस्था की आस्तियां उसके तुलनपत्र से हटा दी जाती हैं और उसकी जगह परक्राम्य वित्तीय लिखित के माध्यम से निवेशकों द्वारा निधीयित की जाती है । इस प्रतिभूति को आस्तियों से होनेवाले प्रत्याशित नकदी प्रवाह का समर्थन मिलता है। एक तकनीक के रूप में प्रतिभूतिकरण को 1970 के दशक में आधुनिक देशों में लोकप्रियता मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुकूल कर व्यवहार, कानूनों के बनाने, सरकार समर्थित संस्थाओं के प्रतिष्ठान जो गारंटियां देते हैं और आशावादी विनियामक वातावरण ने इस बाजार के सफल विकास में अपना योगदान दिया।

प्रतिभूतिकरण में समान प्रकार की आस्तियों को एक अलग कानूनी इकाई अथवा विशेष प्रयोजन के साधन (एसपीवी) के रूप में समूहित किया जाता है और इस आस्ति समूह से नकद प्रवाह इस विशेष प्रयोजन के साधन द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में फिर से भेजे जाते हैं। विशेष प्रयोजन का साधन एक प्रकार की ऐसी संरचना है जो यह सुनिश्चित करती है कि इसमें पड़ी आस्तियां इन आस्तियों के उत्पत्तिकर्ता की चूक के जोखिमों से सुरक्षित रहे। सामान्य रूप में, प्रतिभूतिकरण के दो मुख्य लाभ हैं। पहला, यह सामान्य अर्थसुलभ न होने वाली आस्तियों को काफी हद तक अर्थसुलभ लिखतों में बदल सकता है। दूसरा, यह निम्न क्रेडिट गुणवत्ता वाले ऋण में से उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले लिखतों का निर्माण कर सकता है।

प्रतिभूतिकरण विक्रेता, निवेशक और ऋण बाजार को अनेक प्रकार के लाभ देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। विक्रेता अथवा उत्पत्तिकर्ता के लिए प्रतिभूतिकरण मुख्यतः प्राप्य राशियों के रूप में परिणत होता है जो नकद से बदल दी जाती हैं और इस प्रकार चलनिधि की स्थिति में सुधार लाया जाता है। यह उत्पत्तिकर्ता के तुलनपत्र से आस्तियों को हटा देता है और इस प्रकार अन्य उपयोगों के लिए पूंजी मुक्त हो जाती है तथा बड़े एक्सपोजर अथवा क्षेत्रीय संकेंद्रण को घटाकर तुलनपत्र की पुनर्संरचना को संभव बना देता है। यह ब्याज दर असंतुलनों से उत्पन्न बाजार जोखिमों को हटाकर आस्ति देयता प्रबंधन को बेहतर तरीके से सुसाध्य बनाता है। यह प्रक्रिया निर्गमकर्ता को आस्तियों को जल्दी-जल्दी फिर से चक्रीय रूप में ले जाने और इस प्रकार अपनी आय बढ़ाने में मदद करती है। निवेशकों के लिए प्रतिभूतिकरण आवश्यक रूप से अपेक्षाकृत कम जोखिम निवेश का मार्ग उपलब्ध कराता है। क्रेडिट का विवर्धन निवेशकों को उत्तम दर्जे की आस्तियां अर्जित करने और अपने निवेश संविभागों को विविधीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। समग्र रूप में वित्तीय प्रणाली की दृष्टि से प्रतिभूतिकरण बाजार में ऋण लिखतों की संख्या बढ़ाता है और बाजार में अतिरिक्त चलनिधि उपलब्ध कराता है। यह परियोजना जोखिमों को खोलने, बेहतर रूप से आबंटित करने और प्रबंधन करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाली आस्तियों की उपलब्धता के कारण नए खिलाड़ियों को आकर्षित करके बाजार को व्यापक बनाता है।

तथापि प्रतिभूतिकरण यदि ठीक ढंग से न किया गया तो यह उत्पत्तिकर्ता बैंक के पास जोखिमें छोड़ सकता है जिसके लिए पूंजी का समर्थन नहीं होता है। बैंक के लिए मुख्य जोखिम तब उत्पन्न होती है जब सही बिक्री नहीं की जाती है और विक्रेता बैंक को मजबूरन कुछ अथवा सभी हानियों को स्वीकार करना पड़ता है यदि आस्तियां बाद में निष्पादन करना बंद कर दें। यदि प्रतिभूतिकरण किए जाने के लिए डिज़ाइन की गई आस्तियां मूल रूप से सृजित की जाती हैं किंतु बाजार में व्यवधानों के चलते प्रतिभूतियों को नहीं रखा जा सकता है तो चलनिधि पर निधीयन के जोखिम और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक पक्ष यह भी है कि यदि बैंक प्रतिभूति सृजित करता है, बेचता है, सेवाएं देता है और उसी प्रतिभूति की हामीदारी करता है तो एक बड़ा जोखिम रहता है ।

संदर्भ:

बीआइएस.2006ए क्वार्टरली रिव्यू, जून।

4.33 बहुत से देशों में क्रेडिट डेरिवेटिव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से ही अनेक देशों में विभिन्न प्रकार के क्रेडिट डेरिवेटिव का प्रसार हुआ (बाक्स IV.5)।

बॉक्स IV.4
ऋण सूचना ब्यूरो

ऋण ब्यूरो (या ऋण संदर्भ एजेंसियां) उपयोगी होते हैं क्योंकि वे उधारदाताओं को एकल उधारकर्ताओं की ऋण योग्यता का आकलन करने और ऋण वापस लौटाने की उनकी योग्यता का आकलन करने में उधारदाताओं की सहायता करते हैं। चूँकि ऋण ब्यूरो व्यक्तियों के बारे में वित्तीय संस्थाओं से व्यक्तिगत वित्तीय आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उन्हें व्यवस्थित (COLLATE) करते हैं इसलिए उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग और विगत व्यवहार को ध्यान रखते हुए प्राइज डिस्क्रिमिनेशन का एक मॉडल तैयार किया जा सकता है । यह जानकारी सामान्यतः इकट्ठी रखी जाती है और इसमें योगदान देनेवाली कंपनियों के अनुरोध पर ऋण मूल्यांकन और ऋण के स्कोर तैयार करने के प्रयोजन से उन्हें उपलब्ध करायी जाती है। ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना से उधारकर्ताओं के ऋण इतिहास प्राप्त करने में सुविधा होती है और इस प्रकार बैंकों को सही-सही तरीके से ऋण की पात्रता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है।

सिबिल (CIBIL) महत्त्वपूर्ण सेवा उपलब्ध कराता है जो अपने सदस्यों को सूचनापरक, वस्तुनिष्ठ और तेजी से ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सिबिल का उद्देश्य एक निश्चित सदस्यों के समूह के बारे में वाणिज्यिक और उपभोक्ता दोनों ही तरह के उधारकर्ताओं से संबंधित व्यापक सूचना संग्रहीत करके, विधिवत सारणीबद्ध करके और ऋण संबंधी सूचना का प्रकटीकरण करके ऋण देनेवाली संस्थाओं की आवश्यकता को पूरा करना है। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां और क्रेडिट कार्ड कंपनियां सिबिल की सेवाओं का उपयोग करती हैं। आंकड़ों की साझेदारी मुझसे लो मुझको दो सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ है कि केवल वे ही सदस्य जिन्होंने अपने सभी ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं सिबिल से ऋण सूचना रिपोर्ट ले सकते हैं।

कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाने और ऋण सूचना कंपनियों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना इकट्ठी करने, उसे प्रोसेस करने और आपस में बांटने की दृष्टि से मई 2005 में एक प्रारूप ऋण सूचना कंपनियां (विनिमयन) विधेयक पारित किया गया था और जून 2005 में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी थी। वैयक्तिक उधारकर्ताओं के अधिकारों और देयताओं को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान के साथ सरकार और रिज़र्व बैंक ने मिलकर इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नियम और विनियम तैयार किए हैं। ये नियम और विनियम 14 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किए गए थे। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऋण सूचना कंपनियों का कारोबार शुरू करने / चलाने के लिए रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद कंपनियां अपनी सदस्य ऋण संस्थाओं से सभी प्रकार की ऋण सूचना (सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक) इकट्ठी कर सकेंगी और उन्हें ऋण रिपोर्टों के रूप में विशेष उपयोगकर्ताओं / व्यक्तियों के बीच प्रसारित कर सकेंगी।

4.34 भारत में बैंकों का जोखिम प्रबंधन ढांचा सुदृढ़ हो गया है और वे बासेल II अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो क्रेडिट डेरिवेटिव के प्रवर्तन हेतु पर्याप्त सुविधाजनक स्तर उपलब्ध कराता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल 2007 को जारी किए गए 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में भारत में वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण की क्रमिक प्रक्रिया के एक अंग के रूप में बैंकों और प्राथमिक व्यापरियों को इस बात की अनुमति दी कि वे सिंगल-एन्टिटी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (CDS) में लेनदेन प्रारंभ करें।

बॉक्स IV.5
क्रेडिट डेरिवेटिव

क्रेडिट डेरिवेटिव एक तय सीमा से नीचे क्रेडिट आस्ति पर कुल प्रति लाभ के जोखिम को, निहित आस्ति को अंतरित किए बिना, अंतरित करने की एक संविदा (डेरिवेटिव) है। यह सामान्यतः क्रेडिट संदर्भ आस्ति पर जोखिम को अंतरित करके हासिल किया जाता है। क्रेडिट डेरिवेटिव के पुराने रूप वित्तीय गारंटियां थीं। क्रेडिट डेरिवेटिव के तीन प्रकार के आम स्वरूप हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस), टोटल रिर्टन स्वैप (टीआरएस) और क्रेडिट लिंक्ड नोट (सीएलएन)। क्रेडिट डेरिवेटिव स्वतंत्र रूप से क्रेडिट जोखिम की ट्रेडिंग / हेजिंग करने की अनुमति देने के लिए बनाये जाते हैं। प्रतिभूतिकरण के माध्यम से क्रेडिट जोखिम को अंतरित करना और / या रूपांतरित करना भी संभव है। क्रेडिट डेरिवेटिव वित्तीय बाजारों में दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गतिविधियों अर्थात प्रतिभूतिकरण और डेरिवेटिव का औचित्यपूर्ण विस्तार है।

क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) में स्वैपिंग होती है और सामान्यतः यह सतत आधार पर चलती रहती है। बांड बथवा ऋण की ब्याज दर में अंतर्निहित जोखिम प्रीमियम उस नकद भुगतान के बदले होता है जो उधारकर्ता द्वारा होने वाली चूक की स्थिति में चुकाना पड़ता है। सीडीएस क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार का मुख्य चालक बन गया है जो अर्थ सुलभ मूल्य खोज और ट्रेडिंग देता है जिस पर कि शेष बाजार टिका है। यह संरक्षित खरीदार और संरक्षित विक्रेता के बीच एक करार है जिससे संदर्भित इकाई में घट रही क्रेडिट घटना पर विक्रेता द्वारा किए जानेवाले आकस्मिक भुगतान के बदले खरीदार एक आवधिक शुल्क अदा करता है। इसकी चूक की स्थिति में उल्लिखित इकाई के ऋणदाता द्वारा उठाई गई हानि को सामान्यतः आकस्मिक भुगतान दोहराता है। यह केवल आस्ति में बसी क्रेडिट जोखिम को ही कवर करता है जबकि अन्य कारकों जैसे कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न जोखिमें खरीदार के हिस्से में ही रहती हैं।

टीआरएस जिसे कुल प्रतिलाभ दर स्वैप भी कहते हैं, दो काउंटर पार्टियों के बीच एक संविदा है जिससे वे संविदा अवधि के लिए अवधिक भुगतानों को स्वैप करते हैं। खासतौर पर, एक पार्टी एक निर्दिष्ट संदर्भित आस्ति से कुल प्रतिलाभ (भुगतान अवधि के लिए ब्याज भुगतान और किसी भी प्रकार का पूंजीगत लाभ या हानि) प्राप्त करती है जबकि दूसरी पहले से तय या परिवर्तनशील नकद प्रवाह पाती है जोकि संदर्भित आस्ति की उधार पात्रता से संबद्ध नहीं रहती है जैसा कि सामान्य ब्याज दर स्वैप में होता है। भुगतान उसी आनुमानिक राशि पर आधारित रहते हैं। संदर्भित आस्ति कोई आस्ति सूचकांक या आस्तियों की एक बास्केट रहती है। टीआरएस बस केवल एक व्यवस्था है जो एक पार्टी को तुलनपत्र के उपयोग बिना आस्ति (स्वामित्व) अपने पास रखने का आर्थिक लाभ पाने की अनुमति देती है और दूसरी को क्रेडिट आस्ति के स्वामित्व के कारण होनेवाली मूल्य हानि के विरुद्ध प्रभावी रूप से 'सुरक्षा हासिल करने की' अनुमति देती है।

जहां सीडीएस विशिष्ट क्रेडिट घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं कुल प्रतिलाभ दर स्वैप किसी भी कारण से होनेवाली मूल्य हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है चाहे वह अन्य बातों में चूक हो और क्रेडिट स्प्रेड का बढ़ना हो।

क्रेडिट लिंक्ड नोट (सीएलएन) एक लिखत है जिसका नकद प्रवाह क्रेडिट घटनाओं पर आधारित होता है जो चूक, क्रेडिट स्प्रेड या रेटिंग में परिवर्तन हो सकता है। संबंधित क्रेडिट घटनाओं की परिभाषा नोट की पार्टियों के बीच तय की जानी चाहिए। वस्तुतः एक सीएलएन एक नियमित नोट (कूपन, परिपक्वता, मोचन सहित) के साथ क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) को जोड़ता है। इसकी सामान्य-नोट विशेषताओं को देखते हुए सीएलएन क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप के विपरीत तुलनपत्र की एक आस्ति है।

बैंक और वित्तीय संस्थाएं क्रेडिट डेरिवेटिव से कम से कम तीन मुख्य लाभ प्राप्त करते हैं। एक, क्रेडिट डेरिवेटिव बैंकों को क्रेडिट जोखिम अंतरित करने की अनुमति देता है और इस प्रकार पूंजी भी मुक्त होती है जिसे अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। दो, बैंक एक्सपोज़र मानदंडों से आगे जाकर मौजूदा ग्राहक संबंधों पर भी कारोबार कर सकते हैं और अपनी जोखिमें अंतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बैंक जो अपने ग्राहक समूह के साथ एक्सपोज़र सीमाओं तक पहुंच चुका है उसे एक आकर्षक गारंटी सौदा अस्वीकार करना पड़ सकता है। तथापि, क्रेडिट डेरिवेटिव के साथ बैंक गारंटी देने का काम ले सकता है और अपनी क्रेडिट रिस्क गारंटी या पिछले एक्सपोज़रों पर अंतरित करके अपनी एक्सपोज़र सीमाएं बनाए रख सकता है। यह बैंक को ग्राहक संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है। तीन, बैंक अपना मनपसंद क्रेडिट जोखिम संविभाग निवेश बना सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं तथा जोखिम उठाने की क्षमता निधियों के वितरण और बिक्री प्रयासों से अबाधित रहती है।

तथापि, क्रेडिट डेरिवेटिव के उपयोग से कुछ चिंताएं भी पैदा होती हैं। पहली, जो क्रेडिट डेरिवेटिव व्यवहार में लाए जा रहे हैं उनमें से कुछ तो अभी शैशवावस्था में ही हैं और उनमें अभी परिपक्वता आनी है। अतः, ऐसे उत्पादों का लाया जाना अस्थिरताकारक हो सकता है। दूसरा क्रेडिट जोखिम का मापन और प्रबंधन बाजार जोखिम की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल है। तीसरा, क्रेडिट डेरिवेटिव का महत्वपूर्ण पहलू है जोखिम का प्रलेखीकरण। चौथा, क्रेडिट डेरिवेटिव के उपयोग से प्रोत्साहन विषयक कतिपय मुद्दे उभरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लिखत उदारदाता-उधारग्राही के बीच मौजूद संबंधों में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन लाते हैं और उधारदाताओं के बीच नए संबंध स्थापित होते हैं, जो जोखिम झटक कर धज्जियां उड़ानेवाले और नया जोखिम लेनेवाले होते हैं। विषम सूचना के कारण इस नए संबंध में बाजार के डूबने की संभावनाएं रहती हैं।

संदर्भ :

भारतीय रिज़र्व बैंक, 2003, 'रिपोर्ट आन वर्किंग ग्रुप आन इंट्रोडक्शन आफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स इन इंडिया (कन्वेनर : बी. महापात्र), मुंबई, मार्च।

आइएमएफ, 2002, मानेटरी एंड फाइनांशियल स्टेटिसटिक्स मैन्युअल।

युएदा काजुओ 2003, 'आन क्रेडिट रिस्क ट्रांस्फर इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स', 18 एन्युअल जनरल मीटिंग, टोक्यो, अप्रैल

IV. क्रेडिट की प्रवृत्तियां - नब्बे का दशक और उससे आगे

क्रेडिट प्रवृत्तियां - सभी संस्थाएं

4.35 सभी ऋण संस्थाओं (वाणिज्य बैंक, विकास वित्त संस्थाएं और सहकारी बैंक) के कुल बकाया ऋण एक साथ मिलाकर नब्बे के दशक के दौरान 15.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़े जब कि मौजूदा दशक में अब तक (2005-06 तक) के दौरान 17.7 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़े। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण मार्च 1991 के अंत के 34.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 54.1 प्रतिशत हो गए जो देश में ऋण की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है (सारणी-4.1)।

4.36 नब्बे के दशक के दौरान वाणिज्य बैंकों की क्रेडिट वृद्धि सहकारी क्षेत्र की ऋण संस्थाओं की तुलना में कम थी। तथापि, वाणिज्य बैंकों की क्रेडिट वृद्धि के साथ मौजूदा दशक (2005-06 तक) के दौरान यह प्रवृत्ति पलट गयी है जो सहकारी संस्थाओं की क्रेडिट वृद्धि की तुलना में काफी अधिक रही है। मौजूदा दशक के पहले पांच वर्षों के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की क्रेडिट वृद्धि सभी संस्थाओं की कुल क्रेडिट वृद्धि की तुलना में काफी कम रही। दो बड़ी विकास वित्त संस्थाओं के बैंकों के रूप में बदल जाने के कारण 2000-01 से 2005-06 की अवधि के दौरान विकास वित्त संस्थाओं द्वारा दिये जानेवाले ऋण और अग्रिमों में गिरावट आयी (सारणी 4.2)।

4.37 वृद्धि दरों में घटबढ़ को दर्शाते हुए सभी संस्थाओं के कुल बकाया क्रेडिट में वाणिज्य बैंकों का क्रेडिट हिस्सा मार्च 1991 के अंत के 59.7 प्रतिशत से काफी बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 78.2 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और क्षेत्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का हिस्सा भी मामूली रूप से बढ़ा जबकि सभी अन्य ऋण संस्थाओं के हिस्से में गिरावट आयी। वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनायी गयी आक्रामक खुदरा उधार रणनीतियों, जिन्होंने ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कुछ कारोबार पकड़ लिया, के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाये और विविधीकृत किए गए उधार से वाणिज्य बैंकों का हिस्सा बढ़ा। दो विकास वित्त संस्थाओं के वाणिज्य बैंकों के रूप में परिवर्तन ने भी मौजूदा दशक में वाणिज्य बैंकों के हिस्से में वृद्धि की और वित्तीय संस्थाओं के हिस्से में तेज गिरावट आयी (सारणी 4.3)। सहकारी संस्थाओं के मामले में, जो कि वित्तीय रूप से कमजोर और अपर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं, एकदम हाल ही में सुधार प्रारंभ किए गए हैं जो सहकारी संस्थाओं के गिरते हुए हिस्से को पलटने में सहायता कर सकते हैं।

4.38 चूंकि कुल बकाया क्रेडिट में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा तीन चौथाई से अधिक है और अन्य संस्थाओं से क्रेडिट के संबंध में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इस अध्याय के शेष भाग में दिया गया विश्लेषण ज्यादातर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए क्रेडिट पर आधारित है।

सारणी 4.1 : सभी ऋण संस्थाओं द्वारा दिये गये क्रेडिट का कुल बकाया

मार्च के अंत में	कुल बकाया क्रेडिट (करोड़ रुपए)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	क्रेडिट-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
1991	1,94,654	–	34.2
1995	3,47,125	22.7	34.3
2000	7,25,074	17.1	37.1
2001	7,94,125	9.5	37.8
2002	8,93,384	12.5	39.2
2003	10,77,409	20.6	43.8
2004	11,99,607	11.3	43.4
2005	14,81,587	23.5	47.4
2006	19,28,336	30.2	54.1
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)			
1991 से 2000		15.7	
2000 से 2006		17.7	

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. इन आंकड़ों में वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, विकास वित्तीय संस्थाएं, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।
3. चुनिंदा सहकारी बैंकों से संबंधित आंकड़े न मिलने पर पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट के विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

सारणी 4.2 : बकाया क्रेडिट की संस्थावार वृद्धि (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर)

(प्रतिशत)

संवर्ग	1991-92 से 1999-2000	2000-01 से 2005-06
1	2	3
1. वाणिज्य बैंक	15.8	23.0
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (और स्थानीय क्षेत्र बैंक)	15.4	21.1
3. वित्तीय संस्थाएं	14.2	-5.9
4. शहरी सहकारी बैंक	21.4	7.3
5. राज्य सहकारी बैंक	16.3	7.6
6. ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	16.0	10.3
7. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	17.9	9.3
8. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	27.0	7.5
9. प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	15.9	9.1
सभी संस्थाएं	**15.7**	**17.7**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट के विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक ।

सारणी 4.3 : क्रेडिट का विभाजन-संवर्गवार हिस्सा

(प्रतिशत)

संवर्ग	मार्च के अंत में	
	1991	2006
1	2	3
1. वाणिज्य बैंक	59.7	78.2
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (और स्थानीय क्षेत्र बैंक)	1.8	2.1
3. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	24.9	5.8
4. शहरी सहकारी बैंक	4.1	3.6
5. राज्य सहकारी बैंक	3.4	2.1
6. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	6.0	4.2
7. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	3.3	2.5
8. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	0.7	0.9
9. प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	1.0	0.7
सभी संस्थाएं	**100.0**	**100.0**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट के विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्रेडिट की प्रवृत्तियां

4.39 बैंक क्रेडिट ने, जो कि विगत चार वर्षों के 19.5 प्रतिशत की तुलना में 15.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ा था, नब्बे के दशक की पहली छमाही में विषम पैटर्न दर्शाने के बाद 1996-97 से लेकर 2001-02 तक गिरावट दर्शायी (चार्ट IV.2)। मांग और आपूर्ति पक्ष दोनों के ही अनेक कारकों ने क्रेडिट के संकुचन में योगदान दिया। आपूर्ति पक्ष की ओर नब्बे के दशक के मध्य में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकसम्मत मानदंडों के आगमन ने बैंकों को सतर्क कर दिया। इन मानदंडों के लागू होने से

चार्ट IV.2: बैंक ऋण और खाद्येतर क्रेडिट वृद्धि

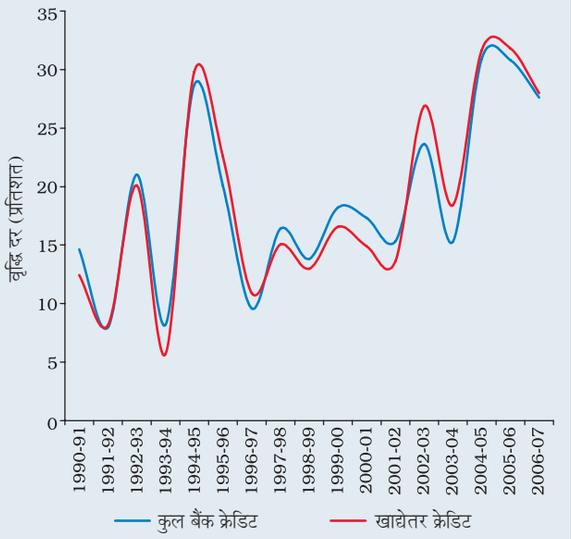

बैंकों के पास भारी अनर्जक आस्तियों का पता चला (मार्च 1997 के अंत में उनके सकल अग्रिमों का 15.7 प्रतिशत)। अतएव, बैंक अपने ऋण निवेश संविभाग को बढ़ाने से चिंतित होने लगे। अनर्जक आस्तियों के अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर का कमजोर बैंकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (मार्च 1996 के अंत में 8.7 प्रतिशत) में उपलब्ध कम गुंजाइश के कारण क्रेडिट देने की बैंकों की क्षमता भी प्रभावित हुई। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभों को ज्यादा आकर्षक पाया। इस प्रकार, एसएलआर के रूप में सांविधिक पूर्व क्रय में कमी होने के बावजूद बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में आवश्यकता से काफी अधिक निवेश करना जारी रखा। मार्च 1996 के अंत में एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश 31.5 प्रतिशत की सांविधिक अपेक्षा की तुलना में निवल मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत 36.9 था। एसएलआर प्रतिभूतियों को 25 प्रतिशत तक के महत्वपूर्ण स्तर तक नीचे ले आने के बावजूद मार्च 2002 के अंत में एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश उस स्तर (36.7 प्रतिशत) पर रहा था।

4.40 मांग पक्ष की ओर भी अनेक कारकों ने कंपनी क्षेत्र द्वारा क्रेडिट की मांग में गिरावट होने में योगदान दिया। सुधारों के प्रारंभिक चरण में औद्योगिक क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों खासतौर पर सीमेंट और स्टील के क्षेत्र में व्यापक क्षमता विस्तार हुआ। तथापि, जैसे ही मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त किए गए और आयात टैरिफ घटाए गए, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कार्पोरेट क्षेत्र को जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और इस प्रकार कार्पोरेट कंपनी क्षेत्र का फोकस क्षमता विस्तार से हटकर पुनर्संरचना पर आ गया जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र की गति काफी धीमी हो गई। औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर पिछले तीन वर्षों के 9.4 प्रतिशत की तुलना में 1996-97 से 2001-02 के दौरान 5.2 प्रतिशत थी। इससे कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा की जानेवाली क्रेडिट की मांग पर असर पड़ा। बढ़ी स्पर्धा ने भी कार्पोरेट जगत को अपने तुलनपत्रों को पुनर्गठित करने पर मजबूर किया जिससे उन्होंने प्रतिधारित अपनी निर्भरता बढ़ा दी तथा अपने उधार घटा दिए। यह ऋण-इक्विटी अनुपात की स्थिति से स्पष्ट है जोकि 1990-91 से 1994-95 के दौरान 85.5 प्रतिशत के औसत से घटकर 1995-96 से लेकर 1999-2000 के दौरान 65.2 प्रतिशत हो गया (अध्याय VII की सारणी 7.5 देखें)।

4.41 यद्यपि रिज़र्व बैंक ने इस अवधि (1996-97 से 2001-02) में सीआरआर और नीतिगत दरें यथा बैंक दर और रिवर्स रिपो दर (उस समय की रिपो दर) घटाकर निभावपरक नीति का अनुसरण किया लेकिन फिर भी क्रेडिट का उठाव नहीं बढ़ा। एक ओर सांकेतिक ब्याज दरों की अधोमुखी स्थिरता और दूसरी ओर मुद्रास्फीति की गिरती दर से वास्तविक ब्याज दरों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी। बैंकों की औसत वास्तविक उधार दरें 1990-91 से 1995-96 के दौरान रहे 6.5 प्रतिशत की तुलना में 1996-97 से 2001-02 के दौरान बढ़कर 12.5 प्रतिशत

हो गईं (मोहन, 2003)। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने भी क्रेडिट के विस्तार में कमी लाने में योगदान दिया।

4.42 यहां तक कि जब मुख्यतः खाद्य ऋण संकुचन और कंपनियों द्वारा वित्तीयन के आंतरिक स्रोतों की सहायता लेने और ज्यादा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के चलते औद्योगिक क्षेत्र में उछाल रहा तब क्रेडिट वृद्धि 2003-04 में तेजी से घटने के लिए ही 2002-03 में तेजी से बढ़ी थी। 2004-05 से लेकर 2006-07 के दौरान बैंक क्रेडिट 30 प्रतिशत के आसपास के मजबूत कदम के साथ फैला। क्रेडिट वृद्धि में तेजी लाने में जिन प्रमुख कारकों ने योगदान दिया, वे थे आर्थिक वृद्धि में सुधार, ऋणदात्री संस्थाओं की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार, मुद्रास्फीति और स्फीतिकारी प्रत्याशाओं में कमी, वास्तविक ब्याज दर में गिरावट, व्यक्तियों की आय बढ़ना तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा (जिसका बाद के खंडों वर्णन किया गया है)। खुदरा क्रेडिट पर लगे प्रतिबंध हटने और बैंकों द्वारा किए जानेवाले परियोजना वित्तपोषण ने भी क्रेडिट के नए स्रोत पैदा किए।

क्रेडिट का खण्डवार विनियोजन

4.43 सुधारों और उभरते आर्थिक ढांचे का नब्बे के दशक और मौजूदा दशक के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को होने वाले बैंक क्रेडिट के प्रवाह पर गहरा प्रभाव पड़ा। कृषि को क्रेडिट वृद्धि अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में धीमी होते-होते लगभग आधी रह गई (सारणी 4.4)। तथापि, रिज़र्व बैंक और सरकार के संगठित प्रयासों से कृषि को क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 2002-03 से यह प्रवृत्ति उलट गई थी। औद्योगिक क्षेत्र को क्रेडिट अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक और मौजूदा दशक में हालांकि मामूली रूप से धीमा हो गया। तथापि, मौजूदा दशक में एक महत्त्वपूर्ण बात आवासन और अन्य खुदरा ऋणों के रूप में घरेलू क्षेत्र (वैयक्तिक ऋणों) को तेज क्रेडिट विस्तार रहा है।

4.44 कुल बैंक ऋण में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का हिस्सा मार्च 1990 के अंत और 2005 के अंत के बीच गिर गया जबकि वैयक्तिक ऋणों और व्यावसायिक सेवाओं का हिस्सा तेजी से बढ़ गया।

कृषि

4.45 कृषि को क्रेडिट की वृद्धि में तेज गिरावट के परिणामस्वरूप कुल बैंक ऋण में कृषि का हिस्सा मार्च 1990 के अंत के 15.9 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2001 के अंत में 9.6 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 4.5)। तथापि, इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में ही महत्त्वपूर्ण रूप से गिरावट आयी। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र (क्षेत्रवार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि क्षेत्र को क्रेडिट) का क्रेडिट घनत्व मोटे तौर पर उसी स्तर पर बना रहा। मौजूदा दशक के शुरुआती भाग में कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुगम बनाने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा एक के बाद एक उपाय किए गए। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैः (i) देश के अनेक भागों में कृषि आपदा आने के बाद अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण के रूप में पुनर्निर्धारित करना; (ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विशेष कृषि क्रेडिट योजनाओं के अंतर्गत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करना तथा इन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू करना और (iii) बैंकों को सूचित करना कि वे 2004-05 से प्रारंभ करके तीन वर्ष के भीतर इस ऋण प्रवाह को दुगना करें। कृषि को क्रेडिट की वृद्धि में 2003-04 से महत्त्वपूर्ण सुधार दिखाई देने लगा। कुल बैंक ऋण में कृषि क्रेडिट का हिस्सा मार्च 2005 के

सारणी 4.4 : वाणिज्य बैंकों का क्षेत्रवार क्रेडिट - चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

अवधि	कृषि	उद्योग	ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर	कारोबारी सेवाएं	वैयक्तिक ऋण	व्यापार	वित्त	कुल बैंक ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1980-81 से 1989-90	18.1	17.4	13.6	20.7	25.3	11.8	29.2	17.2
1990-91 से 1999-00	10.6	15.4	9.4	16.8	22.7	17.3	25.6	16.0
2000-01 से 2004-05	22.2	15.9	11.2	30.4	37.7	12.6	27.4	20.2
ज्ञापन: मार्च के अंत में								
2001	13.3	10.6	7.7	31.3	27.7	25.0	21.0	17.0
2002	23.7	14.9	7.1	44.0	25.1	12.7	42.2	21.8
2003	18.6	14.1	0.9	22.4	38.1	3.2	34.6	15.2
2004	26.7	8.1	18.7	29.5	57.2	-2.5	16.4	16.4
2005	29.2	33.5	22.8	25.8	42.9	27.8	24.3	30.9

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

सारणी 4.5 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया क्रेडिट का विभाजन

(कुल क्रेडिट का प्रतिशत)

क्षेत्र	मार्च के अंत में							
	मार्च-90	मार्च-95	मार्च-00	मार्च-01	मार्च-02	मार्च-03	मार्च-04	मार्च-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि	15.9	11.8	9.9	9.6	9.8	10.0	10.9	10.8
उद्योग	48.7	45.6	46.5	43.9	41.4	41.0	38.0	38.8
परिवहन	3.2	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.3	1.2
वैयक्तिक ऋण और व्यावसायिक सेवाएं	9.4	11.3	14.4	15.8	16.8	19.6	25.3	27.0
जिसमें से :								
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं खरीदने के लिए ऋण	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6
आवास के लिए ऋण	2.4	2.8	4.0	4.7	5.0	6.5	9.7	11.0
व्यापार	13.9	17.1	15.6	16.6	15.4	13.8	11.5	11.2
वित्तीय संस्थाएं	2.1	3.8	4.8	4.9	5.7	6.7	6.7	6.4
विविध / सभी अन्य	6.8	8.5	7.1	7.5	9.5	7.7	6.2	4.6
कुल	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

अंत तक बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गया। कुल बैंक ऋण में कृषि क्रेडिट के हिस्से और सकल घरेलू उत्पाद में इसके हिस्से के बीच का अंतर मार्च 1995 के अंत के 17.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2006 के अंत में 8 प्रतिशत अंक से भी कम हो गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र का क्रेडिट घनत्व 2001-02 के 11 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2005-06 तक 27.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.3)। कृषि क्षेत्र में उधार खातों की संख्या भी 2000-01 के 19.84 मिलियन से बढ़कर 2004-05 में 26.66 मिलियन हो गयी।

चार्ट IV.3 : क्षेत्रवार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और क्रेडिट

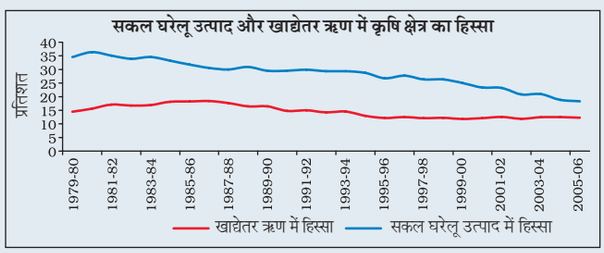

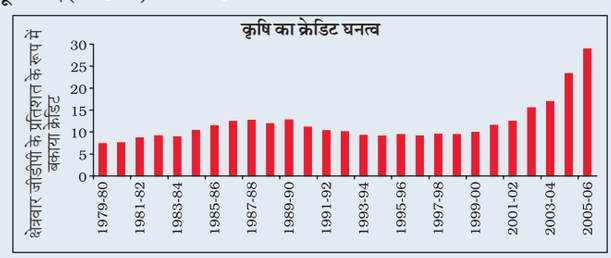

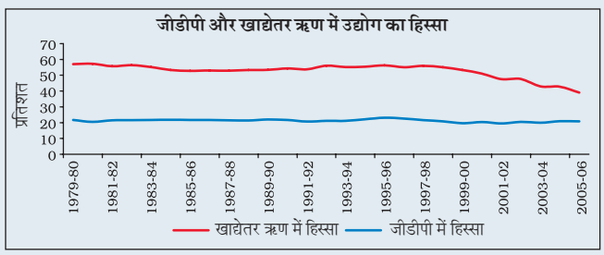

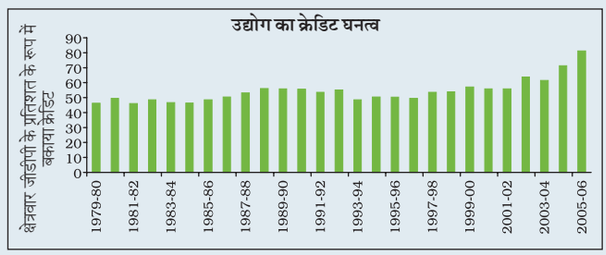

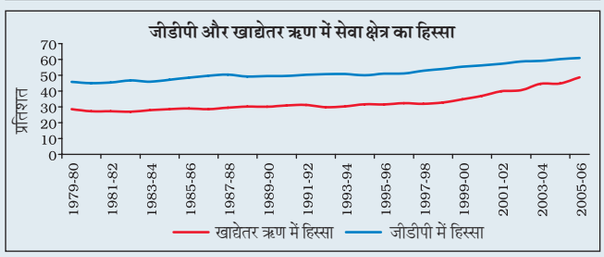

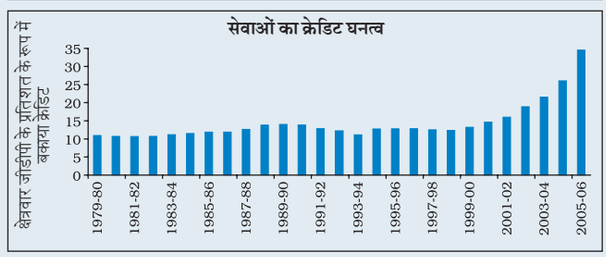

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की प्रवृत्तियां

4.46 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों के उधार देने का कार्य मूलतः महानगरों और शहरी केंद्रों में बड़े कारोबार और व्यापार को उधार देने तक सीमित था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत सरकार ने बैंकों द्वारा एकतरफ़ा उधार देने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुधारक उपाय किए। तदनुसार, 1972 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे कतिपय गतिविधियों, जिन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, के लिए क्रेडिट उपलब्ध करायें। समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक ऋण को ढालने के उद्देश्य से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की व्याप्ति और परिभाषा सतत रूप से नयी मदों को शामिल करने के साथ-साथ इसके घटक उप-क्षेत्रों की क्रेडिट सीमाएं बढ़ाकर अनुकूल बनायी जाती रही (बाक्स IV.6)।

बॉक्स IV.6
ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, माइक्रो-वित्त और क्रेडिट कार्ड से संबंधित नीतियां

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

- देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने निवल बैंक क्रेडिट (एनबीसी) का क्रमशः न्यूनतम 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को, जिसमें विभिन्न उपक्षेत्रों को उधार देने के उपलक्ष्य निर्धारित हों, उधार देंगे।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की प्रमुख श्रेणियों में शामिल हैं, कृषि और संबद्ध गतिविधियां, लघु उद्योग, आवास ऋण और अन्य के साथ-साथ शिक्षा ऋण ।
- वर्षों के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया गया है ताकि उसमें निर्यात गतिविधि, शिक्षा, आवासन, साफ्टवेयर उद्योग, जोखिम पूंजी, पट्टा और किराया खरीद जैसी गतिविधियों को शामिल किया जा सके।

माइक्रो-वित्त

- स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम भारत में 1992 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था जिसमें आगे दी गयी बातों की परिकल्पना की गयी है (i) ग्रामीण निर्धनों को एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रूप में संगठित करना; (ii) उन्हें अपने वित्त की व्यवस्था स्वयं करने की क्षमताओं का निर्माण करना; और (iii) वाणिज्यिक शर्तों पर बैंक ऋण का प्रबंध करना।
- इस लक्ष्य समूह में मोटे तौर पर छोटे और सीमांत कृषक, भूमिहीन खेतिहर और खेतिहर से इतर मजदूर, दस्तकार और हस्तशिल्पकार तथा अन्य ग्रामीण निर्धन जो कि छोटे-छोटे कारोबारों में लगे हैं, जैसे कि छोटे दुकानदार और खोमचेवाले आते हैं।
- माइक्रो-वित्त के अंतर्गत दो प्रमुख मॉडल हैं नामतः स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क (एसएचजी-बीएल) और माइक्रो-वित्त संस्थाएं (एसएफआइ)।

किसान क्रेडिट कार्ड

- अगस्त 1998 में प्रारंभ की गयी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना से किसानों को कृषि में काम आनेवाली वस्तुएं खरीदने और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए लगने वाली नकदी आहरित करने में सहायता मिलती है।
- यह योजना नवंबर 2004 में संशोधित की गयी थी ताकि फसल/फसलों के लिए अलग से उपलब्ध अल्पावधि ऋण सीमाओं के अलावा मीयादी ऋण के साथ-साथ कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी को कवर किया जा सके।
- अल्पावधि ऋण/ फसल ऋण के साथ-साथ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी 12 महीनों में चुकौती योग्य है जबकि गतिविधियों/ निवेश के प्रकार के आधार पर मीयादी ऋण अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में चुकाने योग्य हैं।
- यह योजना सभी वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों / प्राथमिक कृषि एवं सहकारी समितियों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

सामान्य क्रेडिट कार्ड

- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ग्राहकों को आसान ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से 27 दिसंबर 2005 को सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे।
- सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य जमानत, प्रयोजन अथवा ऋण के अंतिम उपभोग पर जोर दिए बिना नकद प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर बैंक ग्राहकों को झंझटमुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। यह ओवरड्राफ्ट अथवा नकद ऋण के स्वरूप में है और इसके अंतिम उपभोग की कोई शर्त नहीं है।
- यह जरूरी नहीं है कि सामान्य क्रेडिट कार्ड एक कार्ड के रूप में हो । यह पास बुक के रूप में भी जारी किया जा सकता है, यदि सामान्य क्रेडिट कार्ड का धारक चाहता है कि वह बैंक शाखा से नकद निकाले-डाले।
- इस योजना के अंतर्गत दी जानेवाली ऋण सुविधा रिवॉल्विंग क्रेडिट के रूप में है। सामान्य क्रेडिट कार्ड धारक बैंक की निर्दिष्ट शाखा से स्वीकृत सीमा तक नकद आहरित करने का हकदार है।
- बैंकों को इस बात की छूट है कि वे पूरे घर की आय और नकद प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर सामान्य क्रेडिट कार्ड की सीमा तय कर सकते हैं। तथापि, किसी व्यक्ति के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कुल ऋण सुविधा 25,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस सुविधा पर प्रभारित की जानेवाली ब्याज दर उचित और तर्क संगत होनी चाहिए।
- बैंक सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु उधारकर्ता ढूंढने के लिए स्थानीय डाकघर, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय सरकारी अधिकारी, कृषक संघों/ क्लब, सुस्थापित समुदाय आधारित एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु 25,000 रुपए तक सामान्य क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बकाया ऋण का 50 प्रतिशत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य के प्रयोजन हेतु अप्रत्यक्ष कृषीय वित्तपोषण के रूप में माने जाने के लिए पात्र है।

4.47 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को क्रेडिट वृद्धि ने नब्बे के दशक के दौरान 13.1 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 से 2005-06 की अवधि के दौरान 25.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ते हुए हाल ही के वर्षों में स्पष्ट सुधार दर्शाया। यह मख्यतः कृषि और आवासन क्षेत्र जैसे कतिपय क्षेत्रों को बढ़े हुए उधार के कारण था। इस वृद्धि के बावजूद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में गिरावट आई और ये मार्च 1990 के अंत के 40.1 प्रतिशत के खाद्येतर सकल बैंक ऋण की तुलना में मार्च 2006 के अंत में 36.3 प्रतिशत हो गये (सारणी 4.6)। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2004-05 और 2005-06 में उच्च क्रेडिट वृद्धि के साथ निवल बैंक क्रेडिट के 40.0 प्रतिशत का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को क्रेडिट का लक्ष्य मार्च 2006 के अंत तक हासिल किया गया था।

4.48 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर ही कृषि को क्रेडिट जोकि नब्बे के दशक में 11.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, मार्च 2006 को समाप्त छह वर्षीय अवधि के दौरान बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गया। इस वृद्धि के बावजूद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में कृषि का हिस्सा मार्च 1990 के अंत के 40.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2006 के अंत में 33.8 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.6)। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवल बैंक क्रेडिट के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण का हिस्सा मार्च 2005 के अंत में 15.3 प्रतिशत और मार्च 2006 के अंत में 15.2 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के बैंकों के निवल बैंक क्रेडिट के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण मार्च 2005 और मार्च 2006 के अंत में 13.5 प्रतिशत थे जोकि 18 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थे। कुछ बैंकों, विशेषकर निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों, का ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त शाखा नेटवर्क है और इसी अभाव के परिणामस्वरूप इनमें से कुछ बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अपने क्रेडिट लक्ष्यों को हासिल करने में कठिनाई आयी। इस समस्या को दूर करने के लिए बैंकों से कहा गया कि वे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) में लक्ष्य में कमी की सीमा तक राशियां जमा करें। विदेशी बैंकों के लिए यह अपेक्षित था कि वे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में राशियां जमा करें।

4.49 अर्थव्यवस्था के कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में अनेक नवोन्मेषी उपाय प्रारंभ किए गए। माइक्रो फाइनांस को अब क्रमिक रूप से ग्रामीण निर्धनों तक बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच

सारणी 4.6 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रु.)

मार्च के अंत में	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम			कृषि संबंधी अग्रिम			लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम		
	राशि	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	खाद्येतर सकल बैंक ऋणों का प्रतिशत	राशि	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	खाद्येतर सकल बैंक ऋणों का प्रतिशत	राशि	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	खाद्येतर सकल बैंक ऋणों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1990	40,383	18.0	40.1	16,526	18.5	16.4	15,543	18.3	15.4
1991	42,915	6.3	37.8	16,750	1.4	14.8	17,181	10.5	15.1
1992	45,425	5.8	37.4	18.157	8.4	15.0	18,150	5.6	15.0
1993	49,832	9.7	35.5	19,963	9.9	14.2	20,026	10.3	14.3
1994	53,880	8.1	36.9	21,208	6.2	14.5	22,617	12.9	15.5
1995	64,161	19.1	34.7	23,983	13.1	13.0	27,638	22.2	15.0
1996	73,329	14.3	33.0	27,044	12.8	12.2	31,884	15.4	14.4
1997	84,880	15.8	33.8	31,442	16.3	12.5	35,944	12.7	14.3
1998	99,507	17.2	34.6	34,869	10.9	12.1	43,508	21.0	15.1
1999	1,14,611	15.2	35.2	39,634	13.7	12.2	48,483	11.4	14.9
2000	1,31,827	15.0	35.1	44,381	12.0	11.8	52,814	8.9	14.1
2001	1,54,414	17.1	36.0	51,922	17.0	12.1	56,002	6.0	13.0
2002	1,75,259	13.5	36.3	60,761	17.0	12.6	57,199	2.1	11.8
2003	2,11,609	20.7	34.1	73,518	21.0	11.9	60,394	5.6	9.7
2004	2,63,834	24.7	36.2	90,541	23.2	12.4	65,855	9.0	9.0
2005	3,81,476	44.6	38.2	1,25,250	38.3	12.5	74,588	13.3	7.5
2006	5,09,910	33.7	36.3	1,72,292	37.6	12.3	90,239	21.0	6.4
									औसत वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)
1990 से 2000		13.1			11.2			13.6	
2001 से 2006		25.7			25.7			9.5	

एनएफजीबीसी : खाद्येतर सकल बैंक ऋण।

स्रोत : हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स आन द इंडियन इकोनॉमी, 2005-06, भारतीय रिज़र्व बैंक।

बढ़ाने के एक लागत प्रभावी और निर्भर तरीके के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ब्याज सब्सिडियों का सापेक्षतः न होना, उधारदाताओं के लिए उच्च चुकौती निष्पादन और कम लेनदेन लागत माइक्रो-फाइनांस की प्रमुख सुविधाओं में से कुछ सुविधाएं हैं। उधार देनेवाली एजेंसियों के बीच इस बात का एहसास बढ़ता जा रहा है कि माइक्रो-फाइनांस कार्यक्रम बैंकों को स्वीकार्य, उधार देने योग्य और लाभकारी हैं। बैंक अब यह खोजने में लगे हैं कि पिरामिड के आधारवाले लोगों को अपने कारोबार माडल में किस प्रकार लाया जाए।

4.50 माइक्रो-फाइनांस के दो माडलों में से एक है स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम (एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम)। ग्रामीण क्षेत्र को क्रेडिट प्रवाह दो कारणों से अटका है। पहला, क्रेडिट अधिकांशतः जमानत पर आधारित है और दूसरा ऋण न चुका पाने की घटनाएं सामान्यतः ज्यादा हैं। इन दोनों समस्याओं को दूर करने में स्वयं सहायता समूह के रूप में संयुक्त देयता समूह का निर्माण सहायता करता है। ऋण चुकौती का दायित्व स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से उठाया जाता है जो किसी आर्थिक गतिविधि में लगे रहते हैं जो चुकौती के लिए जरूरी आय पैदा करती है। बांग्लादेश जैसे देशों में स्वयं सहायता समूहों का अनुभव भी दर्शाता है कि बराबर के दबाव के कारण स्वयं सहायता समूहों के मामले में ऋण न चुकाने की घटनाएं कम हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य लाभ हैं, बैंकों को समय पर ऋणों की चुकौती, निर्धन और बैंक दोनों के लिए लेनदेन की कम लागत; निर्धनों को दरवाजे पर ही बचत और क्रेडिट की सुविधा तथा ग्रामीण भारत की अदोहित कारोबार संभावनाओं का दोहन।

4.51 स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में माइक्रो-फाइनांस गतिविधि के एक महत्त्वपूर्ण मॉडल के रूप में उभरा है (देखें बाक्स IV.5)। मार्च 2006 के अंत में 2.2 मिलियन स्वयं सहायता समूह संचयी बैंक ऋणों, जिनकी राशि 11,398 करोड़ रुपए थी, के साथ बैंकों से जुड़े थे (सारणी 4.7)। वर्षों के दौरान स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा बढ़ा है। इससे लाभान्वित होनेवाले परिवारों की संख्या 2001 के 5 मिलियन से करीब पांच गुना बढ़कर 2005 में 24 मिलियन हो गई है। इसके अलावा प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बैंक ऋण 2001 के 18,227 रुपए से बढ़कर 2005 में 32,012 रुपए हो गया।

4.52 स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम जोकि अब तक दक्षिणी राज्यों में ही ज्यादातर केंद्रित रहा है। आशा की जाती है कि नाबार्ड इन गतिविधियों को सघन बनाने के लिए 13 निर्दिष्ट राज्यों में एक कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है जहां ग्रामीण निर्धन आबादी का 70.0 प्रतिशत हिस्सा रहता है।

4.53 यद्यपि किसानों को क्रेडिट देने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद मौजूद हैं लेकिन उनमें दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि और इसकी समय पर उपलब्धता के अर्थ में उनमें लचीलेपन का अभाव है। लचीले ढंग से किसानों की नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अगस्त

सारणी 4.7 : स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष	बैंकों द्वारा वित्तपोषित कुल एसएचजी (संख्या हजार में)		बैंक ऋण (करोड़ रुपए)		
	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी	संचयी- कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6
1992-99	33	33	57	57	0.02
1999-00	82	115	136	193	0.04
2000-01	149	264	288	481	0.09
2001-02	198	461	545	1,026	0.17
2002-03	256	717	1,022	2,049	0.28
2003-04	362	1,079	1,856	3,904	0.46
2004-05	539	1,618	2,994	6,898	0.63
2005-06	620	2,239	4,499	11,398	0.76

स्रोत : नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक ।

1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की गई थी ताकि किसान कृषि में काम आनेवाली वस्तुएं खरीद सकें और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकद पैसा निकाल सकें। योजना के प्रारंभ से ही यह परिकल्पित था कि किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताओं यथा सहायक और कृषीतर गतिविधियां भी इस योजना के अंतर्गत कवर की जाएंगी। चूंकि ये गतिविधियां 1998 में घोषित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे से बाहर थीं इसलिए किसानों को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए बैंकों को अलग से संपर्क करना पड़ा जिसमें उनका अतिरिक्त समय लगा और लागत आई तथा दस्तावेज बनाने सहित बैंकों की प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ीं। अतएव नवंबर 2004 में किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। इस संशोधित योजना का लक्ष्य एकल खिड़की अवधारणा के अंतर्गत किसानों की व्यापक ऋण आवश्यकताओं के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं और उपभोग आवश्यकताओं को एक पर्याप्त घटक सहित समग्र खेती विषय दृष्टिकोण अपनाते हुए लचीली और सरल की गई प्रक्रियाओं के साथ पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराना था (देखें बाक्स IV.5)।

4.54 किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अब मजबूती आ गई है। मार्च 2006 के अंत में वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी संख्या 59 मिलियन थी और स्वीकृत की गई संचयी कुल राशि 1,81,992 करोड़ रुपए थी। हाल के वर्षों में जहां वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या में वृद्धि हुई है वहीं सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी कार्डों की संख्या घटी है। किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी संख्या में सहकारी बैंकों का हिस्सा 51.5 प्रतिशत था जिसके बाद वाणिज्य बैंकों (36.9 प्रतिशत) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (11.6 प्रतिशत) का स्थान

सारणी 4.8 : किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति

(संख्या मिलियन में और राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक			कुल		
	संख्या	राशि*	कुल बकाया ऋणों में हिस्सा (प्रतिशत)	संख्या	राशि*	कुल बकाया ऋणों में हिस्सा (प्रतिशत)	संख्या	राशि*	कुल बकाया ऋणों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत)	संख्या	राशि*	कुल बकाया ऋणों में हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1998-99	0.16	826	0.9	0.01	11	0.1	0.62	1,473	3.6	0.78	2,310	1.6
1999-00	3.60	3,606	3.1	0.17	405	3.2	1.37	3,537	7.2	5.13	7,548	4.2
2000-01	5.61	9,412	6.9	0.65	1,400	9.2	2.39	5,615	9.5	8.65	16,427	7.8
2001-02	5.44	15,952	10.4	0.83	2,382	13.2	3.07	7,524	11.6	9.34	25,858	10.9
2002-03	4.58	15,841	8.3	0.96	2,955	13.8	2.70	7,481	9.3	8.24	26,277	9.0
2003-04	4.88	9,855	4.1	1.27	2,599	10.2	3.09	9,331	9.4	9.25	21,785	5.9
2004-05	3.56	15,597	6.1	1.73	3,833	11.6	4.40	14,756	11.2	9.68	34,186	8.1
2005-06	2.60	20,339	7.5	1.25	8,483	21.3	4.16	18,779	9.8	8.01	47,601	9.5
कुल@	**30.41**	**91,428**	**–**	**6.88**	**22,068**	**–**	**21.80**	**68,496**	**–**	**59.09**	**1,81,992**	**–**

* : स्वीकृत राशि । @ : कुल 1998-99 से जारी कुल कार्डों की संख्या और स्वीकृत राशि दर्शाता है।
# : बकाया सकल ऋणों में सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण और वाणिज्य बैंकों के कृषि ऋण शामिल हैं।
स्रोत : नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक ।

आता है। कुल बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में 21.3 प्रतिशत और सहकारी बैंकों के मामले में 7.5 प्रतिशत थी। कृषि क्षेत्र के कुल बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि मार्च 2006 के अंत में 9.8 प्रतिशत थी (सारणी 4.8)।

4.55 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का एक अन्य महत्त्वपूर्ण खण्ड लघु उद्योग क्षेत्र है। इस क्षेत्र को ऋण के प्रवाह का विश्लेषण बाद के खंडों में दिया गया है।

उद्योग

4.56 औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए क्रेडिट में नब्बे के दशक में सीमांत रूप से गिरावट (16.4 प्रतिशत) आई और अस्सी के दशक (16.7 प्रतिशत) की तुलना में मौजूदा दशक में यह अब तक (15.8 प्रतिशत) है (देखें सारणी 4.4)। कुल बैंक क्रेडिट में उद्योग का हिस्सा जून 1990 के अंत के 48.0 प्रतिशत से तेजी से गिरकर मार्च 2005 के अंत में 38.8 प्रतिशत हो गया (देखें सारणी 4.5)।

4.57 गैर-पारंपरिक लिखतों जैसे कि वाणिज्यिक पत्र, कार्पोरेट द्वारा जारी किए गए शेयर/बांड/डिबेंचर को बैंकों का समर्थन, जोकि नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में तेजी से बढ़ा था, 2001-02 के शुरू होते ही कमजोर पड़ गया (सारणी 4.9)।

4.58 विगत कुछ वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के बढ़िया निष्पादन के बावजूद उद्योग को बैंकों के समर्थन में कमी आने का मुख्य कारण प्रतिधारित आय पर उनकी अधिक निर्भरता और देशी तथा अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में अधिक पहुंच थी। ऋण पात्र कंपनियों ने भी भारी बाह्य वाणिज्यिक उधारों का मार्ग अपनाया (सारणी 4.10)।

4.59 बैंक क्रेडिट पर उद्योग की निर्भरता घटने के परिणामस्वरूप कुल खाद्येतर ऋण में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से और सकल घरेलू उत्पाद में इसके हिस्से के बीच अंतर महत्त्वपूर्ण रूप से घटता चला गया। औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बैंक ऋण का 54.3 प्रतिशत रहा जबकि 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 22.0 प्रतिशत था। तथापि 2005-06 तक खाद्येतर ऋण में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में तेज गिरावट आई और यह 39.1 प्रतिशत हो गया, यहां तक कि सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका हिस्सा मामूली रूप से घटकर 20.8 प्रतिशत हो गया। यह उद्योग को क्रेडिट की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में प्रतिबिंबित हुआ जोकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में पहले ही महत्त्वपूर्ण

सारणी 4.9 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एसएलआर से इतर निवेश

मार्च के अंत में	एसएलआर से इतर कुल निवेश में हिस्सा (प्रतिशत)			एसएलआर से इतर कुल निवेश		
	वाणिज्यिक पत्र	शेयर	बांड/ डिबेंचर	राशि (करोड़ रुपए में)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	बैंकों की कुल आस्तियों में हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1998	7.5	7.1	85.4	32,461	74.8	5.4
1999	8.3	8.1	83.7	48,376	49.0	6.9
2000	8.2	7.8	84.0	61,408	26.9	7.3
2001	10.6	7.5	81.9	75,844	22.9	7.6
2002	10.5	7.3	82.2	80,999	6.8	7.1
2003	4.3	9.7	86.0	92,854	14.6	6.6
2004	4.2	9.7	86.0	88,985	-4.2	5.4
2005	4.2	12.7	83.1	93,664	5.3	4.7
2006	6.1	16.1	77.9	79,464	-15.2	3.4
2007	11.0	22.0	67.0	83,466	5.0	2.9

टिप्पणी : आंकड़े वित्तीय वर्ष के अंतिम सूचित शुक्रवार पर आधारित हैं। आकड़ों में वित्तीय संस्थाओं और पारस्परिक निधियों के लिखतों में बैंकों के निवेश शामिल नहीं हैं।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक ।

सारणी 4.10 : उद्योग के लिए बैंक से इतर निधियों के स्रोत

(करोड़ रुपए)

वर्ष	पूंजी निर्गम *	एडीआर/जीडीआर निर्गम +	बाह्य वाणिज्यिक उधार $	वाणिज्य पत्रों का निर्गम #	वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता (निवल)	प्रतिधारित आय **	मूल्यह्रास प्रावधान **
1	2	3	4	5	6	7	8
1997-98	2,171	–	14,028	854	–	6,873	11,312
1998-99	2,484	–	-2,504	3,270	–	4,517	12,944
1999-00	2,350	2,144	2,993	893	–	4,678	14,710
2000-01	2,505	3,433	-3,182	183	9,084	5,186	15,759
2001-02	1,951	1,528	-11,308	1,378	-3,469	2,584	17,451
2002-03	642	3,426	-3,593	-1,475	-5,672	8,288	18,306
2003-04	2,422	3,098	16,098	3,382	2,723	15,645	20,408
2004-05	10,456	2,960	41,106	5,104	7,885	28,384	22,697
2005-06	13,781	7,262	45,078	-1,517	8,687	48,402@	28,883

* : बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निर्गमों को छोड़कर सकल निर्गम। पूंजी निर्गम में बैंक के निवेश के लिए आकड़ों को समायोजित नहीं किया गया है।

\+ : वैश्विक डिपाजिटरी रसीदें (जीडीआर)/ अमरीकी डिपाजिटरी रसीदें (एडीआर) और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) सहित, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निर्गमों को छोड़कर।

$: अल्पकालिक ऋण सहित और आरआइबी और आइएमडी के मोचन के लिए समायोजित ।

: वित्तीय संस्थाओं के निर्गमों और बैंकों के वाणिज्य पत्रों (सीपी) में निवेशों को छोड़कर ।

@ : अनुमान; करोत्तर लाभ का 71.7 प्रतिशत लिया गया है और 2004-05 में चुनिंदा कंपनियों के लिए वही अनुपात पाया गया है।

** : चुनिंदा गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय पब्लिक लि. कंपनियों के आधार पर।

– : उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक ।

रूप से अधिक था। लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण में गिरावट के बावजूद उद्योग की ऋण सघनता बढ़ी जैसा कि बाद में स्पष्ट किया गया। इस संदर्भ में, दो महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक, इस अवधि के दौरान दो बड़ी विकास वित्तीय संस्थाएं बैंकों में परिवर्तित हो गईं, जिनके पास कनवर्ट होने के समय ऋणों और अग्रिमों का एक बड़ा पोर्टफोलिया था। यद्यपि इन ऋणों का एक हिस्सा चुका दिया गया होता, इन ऋणों की पाँच से सात वर्ष की चुकौती अवधि को देखते हुए, यह माना गया है कि कनवर्ट हुई कंपनियों के पास अब भी उनकी बहियों में उनके ऋणों का एक काफी बड़ा हिस्सा हो सकता है। दूसरे, बैंक अब कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के अलावा आधारभूत परियोजनाओं सहित मध्यम और दीर्घकालिक वित्त भी प्रदान करते हैं। बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में उद्योगों को दिए गए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण का हिस्सा मार्च 1995 के अंत के 17.5 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 47.6 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.11)।

सारणी 4.11 : बैंकों द्वारा उद्योग को दिए गए ऋण का प्रकार

(करोड़ रुपए)

मार्च के अंत में	अल्पकालिक ऋण*		मध्यकालिक ऋण		दीर्घकालिक ऋण		कुल ऋण
	राशि	कुल ऋण में हिस्सा (प्रतिशत)	राशि	कुल ऋण में हिस्सा (प्रतिशत)	राशि	कुल ऋण में हिस्सा (प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1995	77,134	82.5	5,438	5.8	10,874	11.6	93,446
1996	97,809	81.7	6,620	5.5	15,273	12.8	1,19,702
1997	1,09,666	79.6	8,136	5.9	19,987	14.5	1,37,789
1998	1,23,408	78.0	10,578	6.7	24,261	15.3	1,58,247
1999	1,36,488	76.1	10,660	5.9	32,150	17.9	1,79,298
2000	1,52,369	74.3	13,928	6.8	38,777	18.9	2,05,074
2001	1,70,114	74.8	16,067	7.1	41,341	18.2	2,27,522
2002	1,65,828	63.0	22,313	8.5	74,910	28.5	2,63,051
2003	1,79,687	59.5	22,366	7.4	99,853	33.1	3,01,906
2004	1,89,918	57.9	32,187	9.8	1,06,084	32.3	3,28,189
2005	2,29,672	52.4	46,535	10.6	1,62,296	37.0	4,38,503

* : अल्पकालिक ऋण में नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग ऋण, पैकिंग ऋण, खरीदे गए और भुनाए गए निर्यात व्यापार बिल, निर्यात व्यापार बिल पर अग्रिम, निर्यात के लिए नकदी प्रोत्साहन और ड्यूटी ड्रॉबैक दावों के तहत अग्रिम, खरीदे गए और भुनाए गए देशी बिल (व्यापार और अन्य), आयात बिलों के तहत अग्रिम, विदेशी मुद्रा चेक, खरीदे गए टीसी/डीडी/टीटी/एमटी शामिल हैं।

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणी के विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक ।

सारणी 4.12 : बुनियादी क्षेत्र को बैंक ऋण

(करोड़ रुपए)

	मार्च के अंत में								
क्षेत्र	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बुनियादी ढांचा	3,163	5,941 (87.8)	7,243 (21.9)	11,349 (56.7)	14,809 (30.5)	26,297 (77.6)	37,224 (41.6)	79,009 (112.3)	1,08,787 (37.7)
जिसमें से:									
ऊर्जा	697	2,109	3,289	5,246	7,373	15,042	19,655	38,744	57,863
संचार	2,045	2,273	1,992	3,644	3,972	5,779	8,408	15,794	17,713
सड़क तथा बंदरगाह	421	1,559	1,962	2,459	3,464	5,476	9,161	14,472	18,975

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर हैं ।
2. चुनिंदा एससीबी से संबंधित आंकड़े जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए बैंक ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हैं।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैण्डबुक , 2005-06 , भारतीय रिज़र्व बैंक ।

4.60 हाल के वर्षों में उद्योगों को दिए गए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण में वृद्धि का एक हिस्सा आधारभूत क्षेत्र को बढ़े हुए ऋण के कारण है (सारणी 4.12)।

4.61 औद्योगिक क्षेत्र की अल्पकालिक ऋण सघनता, जो 1997-98 और 2000-01 के बीच तेजी से बढ़ी, इसके पश्चात काफी घटी (चार्ट IV.4)। इसने मुख्य रूप से दो कारकों के प्रभाव को परिलक्षित किया अर्थात घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय पूँजी बाजार तक अत्यधिक पहुँच और कंपनी क्षेत्र के धारित अर्जनों में वृद्धि जिसका परिणाम बढ़ी हुई लाभदायकता होता है।

4.62 मध्यम और दीर्घकालिक ऋण में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप, समग्र ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा घटा। अल्पकालिक ऋण के अन्तर्गत नकद ऋण का हिस्सा तेजी से घटा है (चार्ट IV.5)। अनेक कारकों ने इस रुझान में योगदान किया प्रतीत होता है। एक, हाल के वर्षों में कंपनियों ने वाणिज्यिक पत्रों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के निर्गमों के माध्यम से काफी संसाधन जुटाए। दूसरे, हाल के वर्षों में बेहतर लाभदायकता के कारण नकदी के मामले में कंपनियाँ भी काफी संपन्न हो गयी हैं। पारंपरिक रूप से बैंकों ने उद्योगों को व्यापक रूप से नकद ऋण सीमा और ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण प्रदान किए हैं। तथापि, यह प्रणाली नकदी प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनियों के बजाय बैंकों पर डालती है। इसलिए हाल के वर्षों में मांग ऋण की ओर अंतरण एक स्वस्थ विकास है। 10 करोड़ और अधिक की कार्यशील पूँजी के लिए 'ऋण प्रणाली' अप्रैल 1995 में शुरू की गई। ऋण के घटक का प्रतिशत धीरे-धीरे 80 प्रतिशत तक बढ़ा। अक्तूबर 2001 में 'ऋण प्रणाली' को उदार बनाया गया जिसके द्वारा बैंकों

चार्ट IV.4 : औद्योगिक क्षेत्र की अल्पकालिक ऋण सघनता

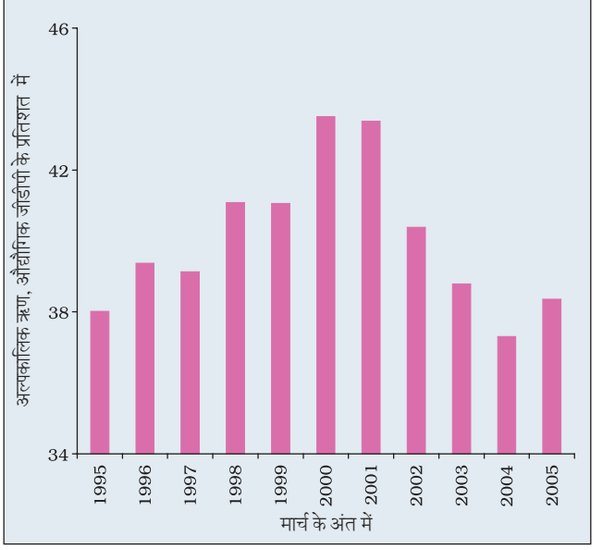

चार्ट IV.5 : निजी कंपनी क्षेत्र के उधार के प्रकार

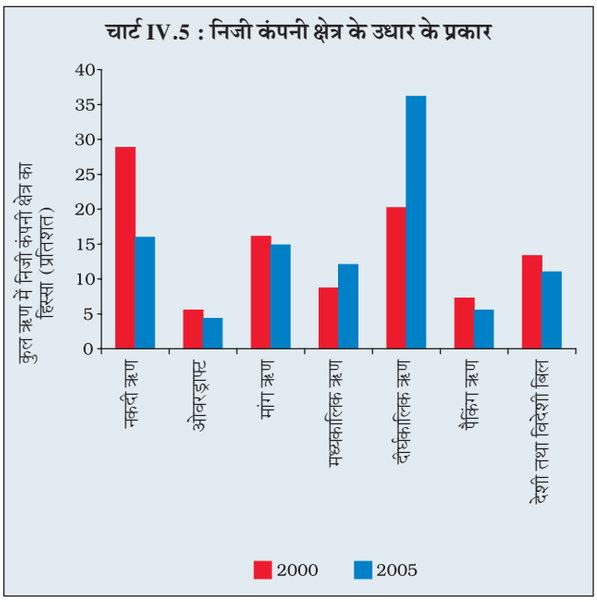

को कार्यशील पूँजी के लिए नकदी ऋण और ऋण घटक के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई।

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण

4.63 लघु उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तथापि, हाल के वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र के प्रति ऋण प्रवाह में कमी आई जैसाकि विभिन्न संकेतकों से स्पष्ट है। प्रथम, लघु उद्योग क्षेत्र के अग्रिमों की औसत वार्षिक वृद्धि 1990 के दशक के दौरान 13.6 प्रतिशत से घटकर 2001-2006 के दौरान 9.5 प्रतिशत हो गई। दूसरे, कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा मार्च 1998 के अंत के 44 प्रतिशत से लगातार घटकर मार्च 2006 के अंत में 18 प्रतिशत हो गया। तीसरे, गैर बैंकिंग कंपनियों में लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण का हिस्सा मार्च 1990 के अंत के 15.7 प्रतिशत से घटकर मार्च 2004 के अंत में 8.6 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिम मार्च 2005 के अंत के 9.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2006 के अंत में निवल बैंक ऋण के 8.1 प्रतिशत थे। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में, लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिम मार्च 2005 के अंत के 5.4 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2006 के अंत में गैर बैंकिंग कंपनियों के 4.2 प्रतिशत थे। चौथे, यद्यपि 2004-05 और 2005-06 में लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण में वृद्धि हुई, सकल खाद्येतर बैंक ऋण में और औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में लघु उद्योग क्षेत्र ऋण का हिस्सा घटना जारी रहा (चार्ट IV.6)। पांचवे, वाणिज्यिक बैंकों में लघु उद्योग क्षेत्र के ऋण खातों की संख्या 1992 के 219 मिलियन से घटकर 2005 में 93 मिलियन हो गई।

चार्ट IV.6 लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण की प्रवृत्ति

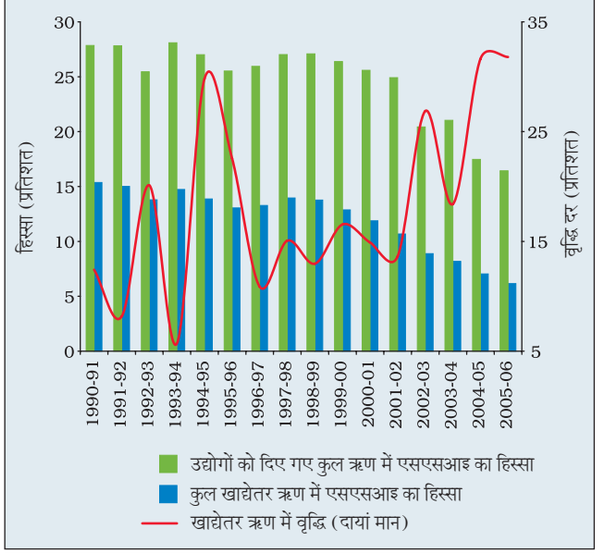

4.64 लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋणों में कमी का मुख्य कारण इसका कमजोर निष्पादन और परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा जोखिम से बचना था (सारणी 4.13)। उत्पादन का मूल्य 1980 के दशक के 11.1 प्रतिशत की तुलना में 7.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ने के कारण लघु उद्योग क्षेत्र की गतिविधि 1997-98 और 2002-03 के बीच काफी कम हुई।

4.65 लघु उद्योग क्षेत्र का कमजोर निष्पादन इस क्षेत्र में काफी अधिक अनर्जक आस्तियों के रूप में परिलक्षित हुआ (सारणी 4.14)। इसलिए, बैंक थोड़ा-सा जोखिम से बचने लगे और उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र के प्रति अपने एक्सपोज़र को घटा दिया।

4.66 हाल के वर्षों में (अर्थात 2003-04 से 2005-06 तक) लघु उद्योग क्षेत्र का कार्य-निष्पादन सुधरा है। तदनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र की अनर्जक आस्तियां भी काफी घटी हैं। ऐसा 2004-05 और 2005-06 में लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण के बेहतर प्रवाह में परिलक्षित हुआ (देखें सारणी 4.6)। परिणामस्वरूप, लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण सघनता, 1997-98 और 2004-05 के बीच लगभग निरंतर घटने के पश्चात, 2005-06 में कुछ बढ़ी (चार्ट IV.7)।

4.67 एक सीमा तक, लघु उद्योग को दिए गए ऋण सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि भिन्न-भिन्न बैंकों ने लघु उद्योग

सारणी 4.13 : लघु उद्योग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन - प्रमुख मानदंड

मद	1990-91	2000-01	2005-06
1	2	3	4
1. यूनिटों की संख्या ('000)	6,790	10,110	12,340
2. 1993-94 की कीमतों में उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपए में)	84,728	1,84,401	2,75,581
3. रोजगार (हजार में)	15,830	23,870	29,490
4. निर्यात (करोड़ रुपए)	9,664	69,797	97,644 *
5. कुल निर्यात में एसएसआइ निर्यात का हिस्सा (प्रतिशत)	29.7	34.3	33.3 *
ज्ञापन:	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	1980-81 से 1989-90	1990-91 से 1999-00	2000-01 से 2005-06
1. 1993-94 की कीमतों में उत्पादन का मूल्य	11.1	1.8	8.4
2. रोजगार	6.0	7.0	4.3
3. निर्यात	20.9	22.3	16.3

* : 2003-04 से संबंधित है।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैण्डबुक , 2005-06 , भारतीय रिज़र्व बैंक।

सारणी 4.14 : एसएसआइ क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां

मार्च के अंत में	एसएसआइ क्षेत्र*	सभी क्षेत्र**
1	2	3
2001	20.3	11.4
2002	20.7	10.4
2003	19.0	8.8
2004	14.9	7.2
2005	11.6	5.2
2006	8.4	3.3

* : एसएसआइ क्षेत्र को दिए गए सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए।

**: सभी क्षेत्रों को दिए गए सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : परोक्ष विवरणी, भारतीय रिज़र्व बैंक

क्षेत्र की अलग-अलग परिभाषाओं को अपनाया है। लघु और मझौले उद्योगों की परिभाषा अब स्पष्ट रूप से माइक्रो, लघु और मझौले उद्यम अधिनियम, 2006 में दी गई है। इसलिए आशा है कि डाटा रिपोर्टिंग में सुधार होगा और लघु तथा मझौले उद्यमों को दिए गए ऋणों का सही मूल्यांकन होगा। लघु और मझौले उद्यमों की महत्ता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र के प्रति ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय भी किए हैं (बॉक्स IV.7)। हाल के वर्षों में अनर्जक आस्तियों में कमी के साथ-साथ, इन उपायों का आगामी वर्षों में लघु और मझौले उद्यमों के प्रति ऋण के प्रवाह पर काफी अधिक प्रभाव पड़ने की आशा है।

चार्ट IV.7 : लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण सघनता

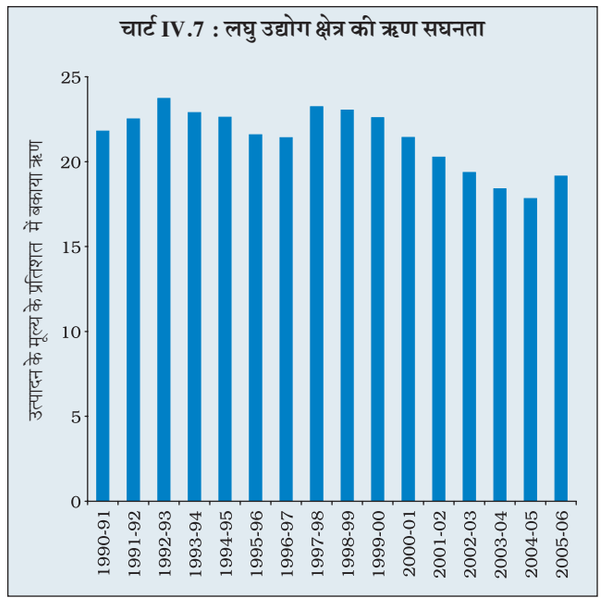

सेवाएं

4.68 जबकि 1990 के दशक की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सेवा क्षेत्र के सभी उप क्षेत्रों को दिए गए ऋण में वर्तमान दशक (2005-06 तक) में वृद्धि हुई, यह वृद्धि वैयक्तिक ऋणों और पेशेवर सेवाओं के मामले में काफी अधिक थी। कुल बैंक ऋण में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 1990-91 में 30.9 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2005-06 में 48.7

बॉक्स IV.7
लघु और मझौले उद्योगों के प्रति ऋण प्रवाह - हाल के उपाय

लघु उद्योग क्षेत्र मुख्य रूप से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर निर्भर है । लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से हाल के वर्षों में अनेक उपाय किए गए हैं। इसमें शामिल हैं; लघु और लघुतर उद्यमों की परिभाषा को और अच्छा करना; इन उद्योगों के लिए अप्रत्यक्ष वित्त के दायरे को बढ़ाना; प्रतिभूतिकृत आस्तियाँ, लाइन ऑप क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के लिए पात्र पट्टादायी और किराया क्रय; लघु उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार देने के लिए लक्ष्यों में संशोधन। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त कई कार्य दलों और उच्च शक्ति संपन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, लघु उद्योग क्षेत्र में सभी वर्ग के उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए अग्रिमों हेतु अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देशों का एक व्यापक सेट बनाया गया है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह पर बने कार्यसमूह (अध्यक्ष : डॉ.ए.एस.गांगुली) की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने (2004) अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को सलाह दी कि वे (i) नए समूहों की पहचान करें और लघु तथा मझौले उद्यमों क्षेत्र के वित्तीयन के लिए समूह-आधारित दृष्टिकोण अपनाएं; (ii) गैर सरकारी संगठनों के सफलतापूर्वक कार्य कर रहे मॉडलों का व्यापक रूप से प्रचार करें; (iii) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अधिक मालसूची को बनाए रखने के लिए लघु उद्योगों को और अधिक कार्यशील पूँजी की सीमा स्वीकृत करें; (iv) ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई लिखतों की खोज करें।

रिज़र्व बैंक ने 19 अगस्त 2005 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी कि वे लघु और मझौले उद्यमों के लिए अपने ऋण के प्रवाह को माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुरूप बनाएं। अन्य बातों के साथ-साथ ये उपाय हैं: (i) लघु उद्योग सीमा से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक के प्लांट और मशीनरी में निवेश की इकाइयों को मझौले उद्यम माना जाएगा (केवल लघु उद्योगों के वित्तीयन को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया जाएगा); (ii) बैंक लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र के वित्तीयन के लिए स्व-लक्ष्य बनाएं जिससे आसन्न पूर्ववर्ती वर्ष में अधिक संवितरण परिलक्षित हो सके, जबकि अत्यंत लघु इकाइयों और लघुतर इकाइयों के वित्तीयन के लिए उपलक्ष्य क्रमशः 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की सीमा तक जारी रखे जाएं; (iii) बैंक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपना करके लघु और मझौले उद्यमों के लिए ऋणों की लागत विवेक सम्मत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जिसमें ऋण की लागत को किसी उद्यम की ऋण की रेटिंग से जोड़ा जाए।

प्रतिशत हो गया, यह आवश्यक रूप से कुल जीडीपी में बढ़ते हिस्से को परिलक्षित करता है; सेवा क्षेत्र ने 1990-91 में 46.7 प्रतिशत के विपरीत 2005-06 में जीडीपी के 60.7 प्रतिशत का योगदान किया। सेवा क्षेत्र की ऋण सघनता 1990 में 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 15.2 प्रतिशत और 2006 में 36.5 प्रतिशत हो गई (देखे चार्ट IV.4)। सेवा क्षेत्र में तीव्र ऋण वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र की ऋण मांग के तेजी से बढ़ने के कारण थी, यह प्रवृत्ति 1990 के दशक में शुरू हुई तथा वर्तमान दशक में इसमें और तेजी आई।

घरेलू ऋण की शुरुआत

4.69 1990 के दशक के प्रारंभ तक, वैयक्तिक ऋणों को प्रदान करने पर अनेक पाबंदियां थीं। उदाहरण के लिए, आवास ऋण के मामले में, पाबंदियां इस प्रकार थीं (i) किसी वर्ष में सभी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले आवास ऋण की कुल राशि पर सीमा; (ii) वैयक्तिकों के लिए अधिकतम ऋण राशि पर सीमा; (iii) ऋण के आकार के अनुसार ब्याज दर निर्धारित करना; (iv) मार्जिन आवश्यकता निर्धारित करना; और (v) चुकौती की अधिकतम अवधि निर्धारित करना। ये सभी शर्तें/पाबंदियां 1990 के दशक के प्रारंभ में धीरे-धीरे हटा ली गईं और बैंकों को परिमाण, ब्याज दर, मार्जिन आवश्यकता, चुकौती अवधि और अन्य संबंधित दशाओं पर निर्णय लेने की स्वंतत्रता दे दी गई।

4.70 औसतन, घरेलू अथवा वैयक्तिक ऋणों में 1990 के दशक के 25.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2005 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि के दौरान 38.2 प्रतिशत की वृद्धि दिखी; इस अवधि के दौरान समग्र बैंक ऋण 20.3 प्रतिशत बढ़ा। परिणामस्वरूप, कुल बैंक ऋण में वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा मार्च 1990 के अंत के 9.4 प्रतिशत से बढ़कर 2000 में 14.4 प्रतिशत तथा मार्च 2005 के अंत में 22.2 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.15)। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा मार्च 2006 के अंत में खाद्येतर सकल बैंक ऋण का 25.2 प्रतिशत और बढ़ा।

4.71 1995 से वैयक्तिक ऋण खातों की संख्या भी तेजी से बढ़ी (चार्ट IV.8)।

4.72 वैयक्तिक ऋणों के अंतर्गत, आवास ऋणों का हिस्सा कुल ऋणों के आधे से थोड़ा अधिक था, सावधि जमाओं पर दिए गए अग्रिम इससे काफी कम थे, जिनका हिस्सा लगभग 10.0 प्रतिशत था (सारणी 4.16)।

4.73 आवास ऋण 2000-01 से 2004-05 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान 47.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़े। औसत आवास ऋण की राशि में मार्च 2000 के अंत और मार्च 2005 के अंत के बीच लगभग चार गुना बढ़ोत्तरी हुई। मार्च 2005 के अंत में प्रति खाता बकाया औसत आवास ऋण 3.45 लाख रुपए था जो वाणिज्यिक

सारणी 4.15 : कुल बैंक ऋण में वैयक्तिक ऋण का हिस्सा तथा वृद्धि

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	कुल बैंक ऋण की वार्षिक वृद्धि दर	वैयक्तिक ऋण की वार्षिक वृद्धि दर	कुल बैंक ऋण में वैयक्तिक ऋण का हिस्सा
1	2	3	4
2001	17.0	27.7	12.2
2002	21.8	25.1	12.6
2003	15.2	38.1	15.1
2004	16.4	57.2	20.3
2005	30.9	42.9	22.2
औसत (2001 से 2005)	20.3	38.2	16.5

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणी के विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

बैंकों के सभी प्रकार के खातों में औसत राशि के दो गुने से अधिक था (सारणी 4.17)।

4.74 आवास ऋणों का हिस्सा मार्च 1991 के अंत के वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋणों के 2.7 प्रतिशत से लगातार बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 11.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.9)।

4.75 मार्च 2000 के अंत में संबंधित बैंक समूह द्वारा दिए गए कुल ऋण में वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा विदेशी बैंकों के मामले में

चार्ट IV.8 :अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल खातों/राशियों में वैयक्तिक ऋण खातों/राशि का हिस्सा

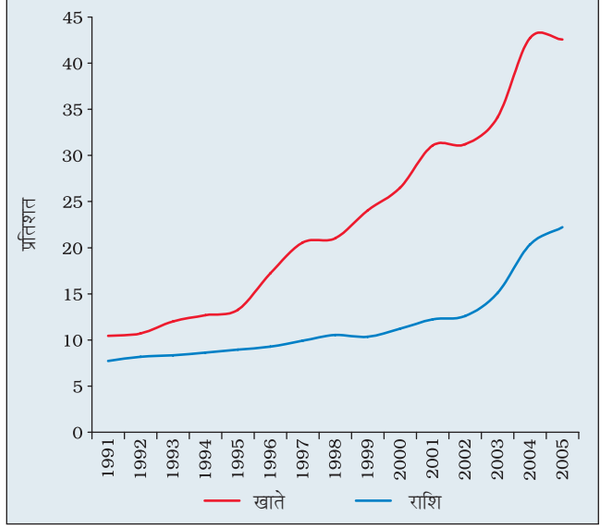

सारणी 4.16 : वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए घरेलू ऋण की संरचना

(प्रतिशत)

संवर्ग	सकल वैयक्तिक ऋणों में हिस्सा		2005-06 के दौरान वार्षिक वृद्धि
	मार्च 2005 के अंत में	मार्च 2006 के अंत में	
1	2	3	4
i) आवास ऋण	52.5	52.7	44.8
ii) मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम	12.2	9.9	16.9
iii) बकाया क्रेडिट कार्ड	2.4	2.6	59.3
iv) शिक्षा	2.1	2.8	96.5
v) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	3.7	2.5	-3.3
vi) अन्य	27.2	29.5	57.0
कुल (i से vi)	**100.0**	**100.0**	**44.4**

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट।

सर्वाधिक और निजी बैंकों के मामले में सबसे कम था। हाल के वर्षों में, निजी क्षेत्र के बैंक खुदरा ऋण खंड में बहुत अधिक सक्रिय हो गए। परिणाम के रूप में, मार्च 2005 के अंत तक, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा लगभग इसी स्तर पर पहुँच गया (चार्ट IV.10)।

सारणी 4.17 : वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए आवास ऋण की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

वर्ष	आवास ऋण की वार्षिक वृद्धि दर	कुल वैयक्तिक ऋण में आवास ऋण का हिस्सा	प्रति आवास ऋण खाते पर औसत राशि (रुपए)*	सभी ऋण खातों की औसत राशि (रुपए)*
1	2	3	4	5
2000-2001	37.2	38.5	1,02,354	1,02,825
2001-2002	29.2	39.8	1,80,728	1,16,336
2002-2003	49.5	43.1	2,00,594	1,27,073
2003-2004	73.9	47.7	2,81,205	1,32,597
2004-2005	48.6	49.5	3,45,830	1,49,378
औसत (2000-01 से 2005-06)	47.7	43.7	2,22,142	1,25,642

*: मार्च के अंत में

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणी, विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट IV. 9 : आवास ऋण की प्रवृत्ति

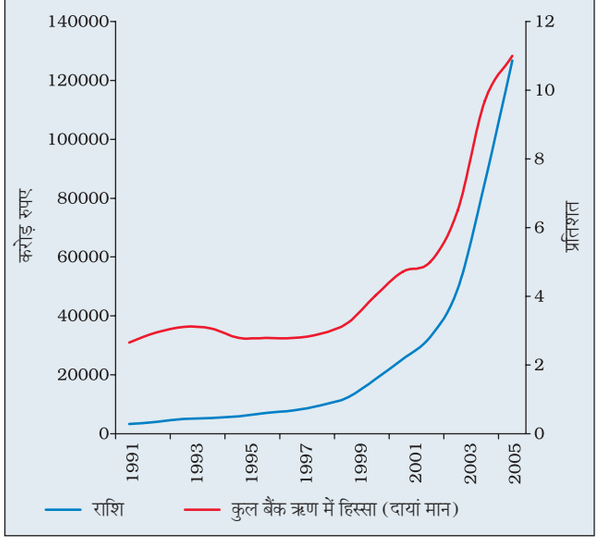

4.76 घरेलू क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण की तीव्र वृद्धि में अनेक कारकों का योगदान रहा है। पहले, जैसा कि पहले ही कहा गया है, पुनर्निर्माण और समेकन पर पूरा ध्यान देने के कारण, विशेष रूप से 1996-97 और 2001-02 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की ऋण की मांग घटी। इसने बैंकों को खुदरा ऋणों पर ध्यान देने के प्रति प्रेरित किया। विशेष रूप से, अनर्जक ऋणों की अधिकता ने बैंकों को खुदरा पोर्टफोलियो पर व्यापक रूप से ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। बैंकों के दृष्टिकोण से, खुदरा और बंधक ऋण, छोटे होने के कारण, एकल उधारकर्ता के प्रति अधिक एक्सपोज़र नहीं रखते हैं। परिणाम के रूप

चार्ट IV. 10 : कुल ऋण में वैयक्तिक ऋण का हिस्सा*

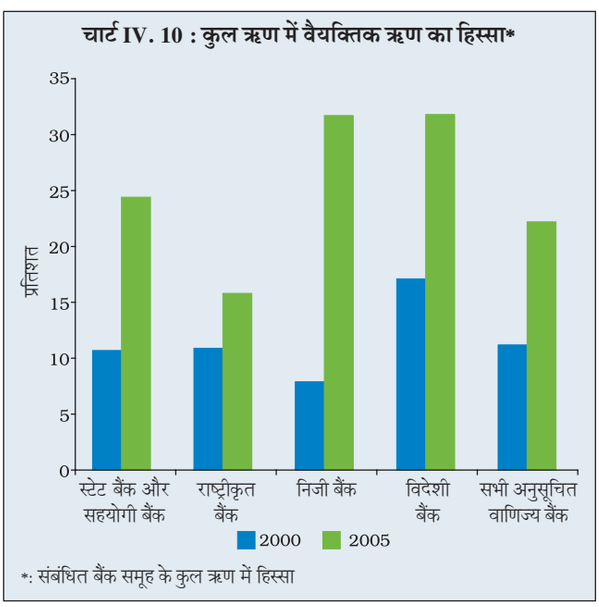

*: संबंधित बैंक समूह के कुल ऋण में हिस्सा

में, खुदरा ऋणों से जुड़ा औसत जोखिम कम होता है क्योंकि वे विभिन्न ग्राहकों के प्रति वितरित होते हैं, बशर्ते कि बैंक इस क्षेत्र को उधार बढ़ाने के अति उत्साह में ऋण मूल्यांकन मानकों को शिथिल न कर दें। बंधक ऋणों के मामले में भी, पर्याप्त संपार्श्विकीकृत व्यवस्था है, खास तौर से आवास और वाहन ऋणों के लिए। आवास के वास्तविक बिक्री मूल्य को तय करना आसान होता है, जबकि कंपनी ऋणों के मामले में वाणिज्यिक संपत्ति में ऐसा नहीं होता है। दूसरे, उच्च आर्थिक वृद्धि से नौकरी के अवसर बढ़े हैं और आय का स्तर ऊपर उठा है। कई वर्षों से कर की दरें भी घटी हैं। परिणाम के रूप में, हाल के वर्षों में, खर्च योग्य आय तेजी से बढ़ी है। इससे उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ी है। तीसरे, मुद्रास्फीति में कमी और स्थिर मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं के कारण, मुद्रास्फीति जोखिम प्रीमियम घटा जिसके परिणामस्वरूप सांकेतिक और वास्तविक ब्याज दरों दोनों में कमी हुई। इसने विभिन्न प्रयोजनों जैसे आवास, मोटर वाहन और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए ऋण लेने हेतु घर-गृहस्थों को प्रेरित किया। चौथे, वास्तविक जमीन जायदाद के मूल्यों और शेयर बाजार की वृद्धि ने भी संपदा प्रभाव के कारण बैंक ऋण के लिए घर-गृहस्थों की मांग को और भी बढ़ाया, यद्यपि वर्तमान में, इक्विटी बाजार में भारतीय घर गृहस्थों का एक्सपोज़र सीमित है।

4.77 विशेष रूप से, आवास क्षेत्र में तीव्र वृद्धि को, अन्य बातों के साथ-साथ, दूसरे दर्जे के अनेक शहरों के भावी कारोबार केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) और सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध गतिविधियों में वृद्धि के रूप में उभरने से सहायता मिली, जिसका घर-गृहस्थी वालों की आवास की मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, वेतन भोगियों को दिए गए कर प्रोत्साहनों ने प्रभावी ब्याज दर को घटाकर आवास ऋणों को और आकर्षक बना दिया। बैंकों के पास उपलब्ध पर्याप्त चलनिधि ने भी, जिसने ऋण स्थितियों को आसान बनाया, उन्हें ग्राहक ढूँढने के लिए उन्हें प्रेरित किया और वे एक दूसरे महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरे जिसने हाल के वर्षों में भारत में आवास बाजार की वृद्धि को आगे बढ़ाया।

4.78 घरेलू क्षेत्र में तीव्र ऋण विस्तार केवल भारत तक सीमित नहीं है क्योंकि कई देशों में, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 1980 के दशक से घरेलू उधारों में समग्र अर्थ में और घरेलू आय के सापेक्षिक दोनों में तीव्र वृद्धि हुई है (बॉक्स IV.8)।

4.79 तीव्र ऋण विस्तार की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2006 में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनी क्षेत्र के बांड/डिबेंचर/शेयरों में एवं वाणिज्यिक पत्रों में निवेश सहित, खाद्येतर बैंक ऋण में वृद्धि को 30 प्रतिशत से ऊपर की वृद्धि से घटाकर 2006-07 के दौरान लगभग 20 प्रतिशत करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने अनेक विवेकपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं (बॉक्स IV.9)।

4.80 आवास ऋण के लिए उद्योग और घरेलू क्षेत्र को मध्यम और दीर्घकालिक ऋणों के बढ़े हुए हिस्से के परिणाम के रूप में, हाल के वर्षों में कुल ऋण में मध्यम और दीर्घकालिक ऋणों का हिस्सा तीव्रता से बढ़ा (चार्ट IV.11)।

ऋण वृद्धि का वित्तीयन

4.81 भारत में बैंक अपनी ऋण जमाओं के विस्तार के वित्तीयन के लिए पारंपरिक रूप से जमाओं पर निर्भर रहते हैं। हाल की अवधि में ऋण में तीव्र वृद्धि के कारण, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 2005-06 में 100 प्रतिशत से नीचे मामूली रूप से गिरने से पहले 2004-05 में 100 प्रतिशत बढ़ा (चार्ट IV.12)।

4.82 2004-05 से व्यापक ऋण विस्तार को बनाए रखने के लिए, बैंकों ने (i) पूंजी और आरक्षित निधियों; (ii) विदेशों से लिए गए विदेशी मुद्रा उधारों; और वित्तीय संस्थाओं से मांग/मीयादी निधीयन की शक्ल में व्यापक जमा से इतर संसाधनों का सहारा लिया। 2005-06 के दौरान, बैंकों ने बड़े-बड़े आधिक्य निवेशों को 1,09,834 करोड़ रुपए तक एसएलआर प्रतिभूतियों में बेच दिया। जमा से इतर स्रोतों और प्रतिभूतियों की बिक्री दोनों ने 2004-05 में वृद्धिशील ऋण के 34.7 प्रतिशत और 2005-06 में 45.7 प्रतिशत का वित्तपोषण किया (सारणी 4.18)।

4.83 हाल के वर्षों में ऋण विस्तार के निधीयन के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री के परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों में ऋण का हिस्सा तेजी से बढ़ा, जबकि निवेश का गिरा (चार्ट IV.13)।

4.84 पिछले 10 वर्षों में बैंक परिचालनों की एक प्रमुख विशेषता बदलती ऋण मांग के अनुरूप निवेश पोर्टफालियो का लोचपूर्ण समायोजन रही है। चूँकि 1990 के दशक के दूसरे पाँच वर्षों में ऋण की मांग कम हुई, एसएलआर में काफी कमी के बावजूद भी, बैंक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश करते रहे। चूँकि ऋण की मांग बढ़ी, बैंकों ने एसएलआर निवेशों (2004-05 और 2005-06) को बेच दिया। एक तरफ धारिताओं को बेचने और दूसरी तरफ निवल मांग और समय देयताओं के बढ़ने से एसएलआर प्रतिभूतियों की धारिताएं 25 प्रतिशत की सांविधिक सीमा के काफी करीब आ गईं (चार्ट IV.14)।

तीव्र ऋण विस्तार के पीछे कारक

4.85 पूर्व में वर्णित विशिष्ट कारकों को छोड़कर, अनेक अन्य कारकों जैसे बढ़ी हुई वित्तीय गहनता, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार और तीव्र उत्पाद नवोन्मेषों ने भी हाल के वर्षों में तीव्र ऋण विस्तार में योगदान किया है।

बॉक्स IV.8
घरेलू ऋण बाजार - अंतरराष्ट्रीय अनुभव

हाल के वर्षों में सारे संसार में ऋण बाजार में उल्लेखनीय गतिविधि घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग किए गए ऋण में तीव्र वृद्धि रही है जिसने प्रायः कंपनी ऋण को पीछे छोड़ दिया है, जबकि बैंक बढ़े हुए बंधकों और क्रेडिट कार्ड उधार के माध्यम से अपने खुदरा कारोबार को बढ़ा रहे हैं, घरेलू क्षेत्र बैंक ऋण के माध्यम से अपने उपभोग और रिहाइशी निवेश के वित्तीयन के लिए उत्सुक हैं (मोहंती आदि 2006)। जबकि घरेलू, ऋण बाजार परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पहले ही विकसित हो गया है, अभी ऐसा हुआ है कि घरेलू ऋण बाजार ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होना शुरू कर दिया है।

कम मुद्रास्फीति और ब्याज दर, अधिक आय, उच्च आस्ति मूल्य (विशेष रूप से आवास), वित्तीय उदारीकरण, ऋण के लिए घटी हुई कंपनी मांग और खुदरा उधार-प्रधान विदेशी बैंकों की बढ़ी हुई उपस्थिति मुख्य कारण थे जिन्होंने विभिन्न देशों में घरेलू ऋण बाजार की वृद्धि में योगदान किया (अमुको, 2006)। बैंक ऋण की मांग तथा घरेलू ऋण भी अत्यधिक चक्रीय अनुकूल है। सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में, भावी आय की प्रत्याशा के साथ, घरेलू क्षेत्र की वर्तमान आय को बढ़ावा देने से घरेलू ऋण की मांग को प्रोत्साहन मिला है। मध्यम काल में मुद्रास्फीति और इसकी स्थिरता में गिरावट से, प्रत्याशाओं और मुद्रास्फीतिक जोखिम प्रीमियम घटा है, इस प्रकार नाम मात्र और वास्तविक ब्याज दरें कम हुई हैं। इससे बंधक बाजार के प्रति संभावित गृह स्वामी आकर्षित हुए हैं। जमीन-जायदाद की कीमतों में तेज वृद्धि, जिससे भावी प्रतिलाभ के बारे में प्रत्याशाएं बढ़ती हैं, घरेलू ऋण की मांग को प्रोत्साहित करने में भी एक प्रमुख कारक रही है। विकसित देशों में, हाल के वर्षों में रिहाइशी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि वैश्विक शेयरों के मूल्य में वृद्धि की तुलना में भी अधिक थी। आवास और उपभोक्ता क्षेत्र से बैंक के उधारों पर पाबंदियां हटाने ने भी अधिक ऋण प्रवाह को सुगम बनाया क्योंकि अंतर्निहित मांग परिमाण स्वरूप दिखी। पूर्ति पक्ष में, बैंक की क्षमता में परिवर्तन और उधार देने की इच्छा ने घरेलू ऋण में विस्तार को आसान बनाया। लेनदारों के अधिकारों में सुधार और उधार लेने वालों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार ने पूर्ति प्रधान ऋण प्रतिबंधों को आसान बनाया (मोहंती आदि 2006)।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के घरेलू ऋण बाजार के स्वरूप से तुलना करने पर कुछ रुचिकर प्रवृत्तियों का पता चला है। हाल के वर्षों में तीव्र ऋण वृद्धि के बावजूद, उभरती बाजार अर्थ व्यवस्थाओं में उपभोक्ता ऋण, आवास ऋण और क्रेडिट कार्ड के प्रयोग के लिए प्रवेशन दर सामान्यतया परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू ऋण एशिया में सर्वाधिक था, इसके पश्चात उभरता यूरोप और लैटिन अमरीका था (सारणी - क)।

सारणी क : घरेलू ऋण में विभिन्न देशों की प्रवृत्तियां - 2005

(प्रतिशत)

मद	उभरता यूरोप	उभरता एशिया	लैटिन अमरीका	परिपक्व बाजार	सभी देश	**भारत***
1 2	3	4	5	6	**7**	
i) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू ऋण	12.1	27.5	9.2	58.0	29.2	**9.9**
ii) कुल निजी क्षेत्र ऋण में घरेलू ऋण का हिस्सा	38.9	31.4	35.7	41.5	37.5	**24.5**
iii) कुल घरेलू ऋण में आवास ऋण का हिस्सा	27.9	54.2	37.5	77.5	52.9	**52.7**

*: आंकड़े 2005-06 से संबंधित हैं।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (2006) और भारतीय रिज़र्व बैंक।

उभरते यूरोप में, घरेलू ऋण का काफी हिस्सा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित है। तथापि, एशिया में यह लगभग पूरी तरह स्थानीय मुद्रा में मूल्यवर्गित है। बैंक, विशेष रूप से विदेशी बैंक, उभरते बाजरों में आवास ऋण सहित, घरेलू ऋण के सबसे बड़े प्रदाता हैं, इसके पश्चात, सरकार प्रवर्तित उधारदात्री संस्थाएं, गैर बैंक वित्तीय कंपनियां और कुछ कम सीमा में, औपचारिक क्षेत्र था। ऐसा विचार है कि घरेलू उधार कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेज दर से बढ़ना जारी रह सकते हैं क्योंकि उनकी अधिक ऋण अवशोषण क्षमता है (मोहंती आदि, 2006)। घरेलू क्षेत्र की ऋणग्रस्तता का स्तर, परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, उभरते बाजार देशों में काफी कम है, जैसा कि वैयक्तिक खर्च योग्य आय की तुलना में घरेलू ऋण के अनुपात से स्पष्ट है (सारणी - ख)।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि जबकि घरेलू ऋण बाजार का इस प्रकार का विकास उधारकर्ताओं, उधार लेने वालों, वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के लिए कुल मिलाकर लाभदायक है, घरेलू ऋण विस्तार की गति अंतर्निहित समष्टि आर्थिक, विवेकपूर्ण और संस्थागत ढाँचे के अनुरूप होनी चाहिए जिससे ऋण तेजी के उतार के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके। अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण बाजार के इस खंड के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक नीतिगत समर्थन में शामिल हैं: (i) विवेकपूर्ण विनियमन जैसे - उपयुक्त जोखिम भार - पूँजी पर्याप्तता, वर्गीकरण और ऋणों का प्रावधानन; (ii) प्रभावपूर्ण प्रतिभूतिकरण के लिए वैधानिक परिवेश, संपार्श्विकीकृत जमानत का प्रभावी प्रवर्तन, प्रावधान और ऋण सूचना का आदान-प्रदान, रेटिंग एजेंसियों का संवर्धन और क्रेडिट ब्यूरो, उधार देने में पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता शिक्षा; (iii) ऋण-निर्माण, घरेलू ऋण और निवल मालियत तथा आस्ति मूल्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए आंकड़ों की उपलब्धता में सुधार; (iv) देश और उधारदायी संस्थानों द्वारा पर्याप्त आरक्षित निधियों को बनाए रखना, यदि घरेलू क्षेत्र के समक्ष व्यापक ऋण और विनिमय दर एक्सपोज़र हो; तथा (v) व्यापक ऋण और विनिमय दर उतार-चढ़ाव की दशा में पर्याप्त आकस्मिक योजनाओं का निर्माण।

सारणी ख : वैयक्तिक खर्च योग्य आय के प्रति घरेलू ऋण का अनुपात

(प्रतिशत)

मद	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
उभरते बाजार						
हंगरी	11.2	14.4	20.9	29.5	33.9	39.3
पोलैंड	10.1	10.3	10.9	12.6	14.5	18.2
कोरिया	33.0	43.9	57.3	62.6	64.5	68.9
फिलीपीन्स	1.7	4.6	5.5	5.5	5.6	..
थाइलैंड	26.0	25.6	28.6	34.3	36.4	..
परिपक्व बाजार						
आस्ट्रेलिया	83.3	86.7	95.6	109.0	119.0	124.6
फ्रांस	57.8	57.5	58.2	59.8	64.2	69.2
जर्मनी	70.4	70.1	69.1	70.3	70.5	70.0
जापान	73.6	75.7	77.6	77.3	77.9	77.8
स्पेन	65.2	70.4	76.9	86.4	98.8	112.7
संयुक्त राज्य-अमरीका	104.0	105.1	110.8	118.2	126.0	132.7

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2006)।

संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 2006, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सितंबर ।

मोहंती एम.एस. गर्ट स्नेबेल और पैब्लो ग्रेसिया - लूना, 2006 ।

''बैंक्स एंड एग्रीगेट क्रेडिट, व्हाट इज़ न्यू ?'' बीआइएस पेपर्स सं.28, बीआइएस, अगस्त ।

बॉक्स IV.9
ऋण में तीव्र वृद्धि - विवेकपूर्ण मानदंड

विशिष्ट क्षेत्र जैसे वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में अर्हता प्राप्त ऋण और अग्रिम, 20 लाख से अधिक के रिहायशी आवास ऋण तथा वाणिज्यिक भूमि-भवन ऋण पर मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधानन आवश्यकता को 1 अप्रैल 2006 में 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत तथा 31 जनवरी 2007 में और बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, वाणिज्यिक भूमि भवन के एक्सपोजर पर जोखिम भार को 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया। उद्यम पूँजी निधियों के प्रति बैंकों के कुल एक्सपोजर को उनके पूँजी बाजार एक्सपोजर के एक भाग के रूप में शामिल किया गया और उन्हें ऐसे एक्सपोजर के लिए 150 प्रतिशत के जोखिम भार को समनुदेशित करने की आवश्यकता है।

रिज़र्व बैंक ने नीति दरों में वृद्धि के साथ-साथ विवेकपूर्ण मानदंडों का प्रयोग किया। खुदरा क्षेत्र में ऋण की लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा सामान्य मुद्रास्फीतिक दशाओं को भी ध्यान में रखते हुए, रिपो दर सितंबर 2004 में 6.0 प्रतिशत के निम्नतम स्तर से चरणों में 175 आधार अंक बढ़कर 14 अप्रैल 2007 को 7.75 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, सीआरआर सितंबर 2004 में 4.5 प्रतिशत से चरणों में 200 आधार अंक बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया। रिज़र्व बैंक ने मानक आस्ति वर्ग में बैंकों के एक्सपोज़र के लिए प्रावधानन की आवश्यकता को, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए, पूर्व के 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा, ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए बैंकों के एक्सपोजर हेतु जोखिम भार को 100 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया। बैंकों पर पाबंदी लगाई गई कि वे एनआर(इ) आरए और एफसीएनआर (बी) जमाओं पर, या तो जमाकर्ताओं अथवा तृतीय पक्ष को, 20 लाख रु. से अधिक के नए ऋण प्रदान न करें।

4.86 एक सीमा तक, तीव्र ऋण विस्तार आविनिमयन के परिणाम के रूप में बढ़ी हुई वित्तीय गहनता को परिलक्षित करता है। भारत में ऋण - जीडीपी अनुपात अन्य उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम रहा है और अब ऋण प्रवेशन में वृद्धि के कारण ऊपर की ओर बढ़ रहा है (चार्ट IV.15)।

4.87 ऋण बाजार में निजी क्षेत्र के नए बैंकों के आने से, बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है जो निजी क्षेत्र के नए बैंकों (मार्च 2006 के अंत में कुल बैंक ऋण और आस्तियों में लगभग 15 प्रतिशत) के हिस्से में बढ़ोत्तरी में परिलक्षित होती है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभ कम हुआ है। बैंकों ने लाभ में कमी की भरपाई करने के लिए, आगामी सेवाओं और घरेलू क्षेत्र को अपने उत्पादों का व्यापक रूप से विपणन करने के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाई।

4.88 1990 के दशक के दूसरे पाँच वर्षों में ऋण में कमी का एक मुख्य कारण बड़ी-बड़ी अनर्जक आस्तियां थीं जिसने बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता को कमजोर कर दिया। तथापि, विभिन्न सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, वर्षों में आस्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है, आंशिक रूप से ऋण की मात्रा में विस्तार के कारण और आंशिक रूप से बट्टे डालने तथा पिछले बकायों की वसूली के कारण (चार्ट IV.16)।

चार्ट IV.11 : कुल ऋण में मध्यम तथा दीर्घकालिक ऋण का हिस्सा

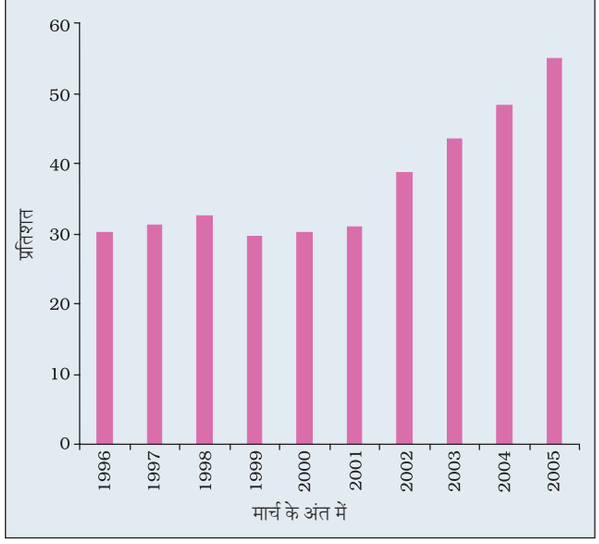

चार्ट IV.12 : वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

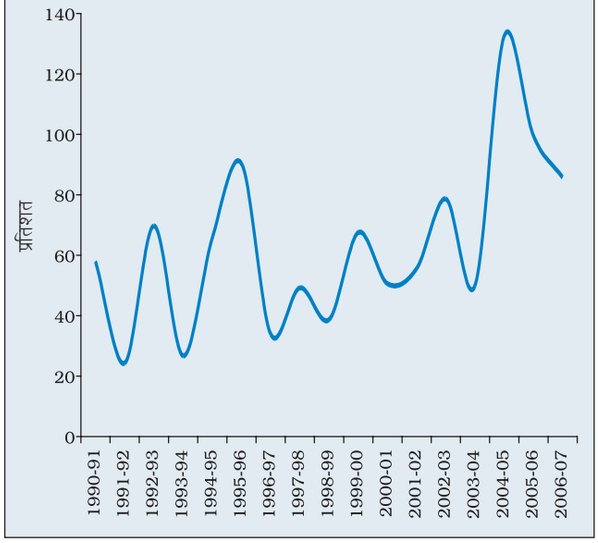

सारणी 4.18 : निधियों के जमा से इतर स्रोत

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	निधियों के जमा से इतर स्रोत					निवेश की बिक्री से प्राप्त निधि			
	विदेश से विदेशी मुद्रा में उधार	पूंजी और आरक्षित निधि में अभिवृद्धि	वित्तीय संस्थाओं से मांग/ मीयादी निधीयन	निधियों के जमा से इतर कुल स्रोत	वृद्धिशील बैंक ऋण के अनुपात के रूप में जमा से इतर संसाधन (प्रतिशत)	अतिरिक्त एसएलआर निवेश की बिक्री	गैर-एसएलआर निवेश की बिक्री	एसएलआर तथा गैर एसएलआर निवेश की कुल बिक्री	वृद्धिशील बैंक ऋण के अनुपात में निवेश का परिसमापन (प्रतिशत)
1	2	3	4	5 (2 से 4)	6	7	8	9 (7+8)	10
2000-01	-369	6,878	-168	6,341	8.4	-21,129	-14,436	-35,565	-47.1
2001-02	-88	8,807	463	9,182	11.7	-33,557	-5,155	-38,712	-49.4
2002-03	5,963	15,511	9,609	31,083	22.3	-54,740	-11,855	-66,595	-47.7
2003-04	9,784	16,723	12,032	38,539	34.5	-72,868	3,869	-68,999	-61.8
2004-05	8,529	29,134	44,853	82,516	31.8	12,196	-4,679	7,517	2.9
2005-06	4,168	44,039	13,621	61,828	15.2	1,09,834	14,200	1,24,034	30.5
2006-07	2,543	22,431	3,007	27,981	6.7	59,569	-4,002	55,567	13.4

टिप्पणी : कॉलम 7-10 में (-) प्रतिभूतियों की निवल खरीद दर्शाता है।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

4.89 पिछले पाँच वर्षों के दौरान वृद्धिशील आस्तियां 20,000 - 26,000 करोड़ रुपए की सीमा में बनी रहीं। चूँकि ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है, वृद्धिशील बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में वृद्धिशील अनर्जक आस्तियां, जो 2001-02 में 31.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थीं, घटकर 2005-06 में 5.3 प्रतिशत हो गईं (चार्ट IV.17)। वृद्धिशील अनर्जक आस्तियों की तीव्र गिरावट भी ऋण मूल्यांकन में उल्लेखनीय सुधार, उन्नत जोखिम प्रबंधन और बेहतर संसाधन आबंटन प्रक्रिया को दर्शाती है। इसने बैंकों को अपने उधार देने के परिचालनों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

4.90 विशेष रूप से कृषि और घरेलू क्षेत्र में तीव्र ऋण विस्तार का एक बड़ा कारण हाल के वर्षों में बैंकों द्वारा शुरू किए नवोन्मेषी तदनुकूल उत्पाद रहे हैं। 1990 के दशक के प्रारंभ तक बैंकों का परिचालन सामान्य प्रतिबंधों के अन्तर्गत होता था और वे अपने ग्राहकों को सामान्य ऋण उत्पाद जैसे अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर रहे थे। लेकिन, ब्याज दरों को निर्धारित करने में उनकी बढ़ी हुई स्वतंत्रता और निधियों के नियोजन में शिथिलीकरण के कारण, बैंकों ने उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नए-नए उत्पाद शुरू किए जिससे वे कंपनियों द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों को कम कर सकें। हाल के वर्षों में विशेष रूप से वैयक्तिक ऋण खंड में बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण उत्पादों की सीमा काफी बढ़ गई है।

4.91 नए ऋण उत्पादों को शुरू करने के अलावा, बैंकों ने अर्थव्यवस्था के सभी खंडों, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान ऋण उत्पादों को कुछ सुविधाएं भी दी हैं। ऋण उत्पाद न केवल उधारकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं बल्कि उनकी चुकौती क्षमता और सुविधा के अनुरूप बनाए गए हैं।

चार्ट IV.13 : ऋण और निवेश

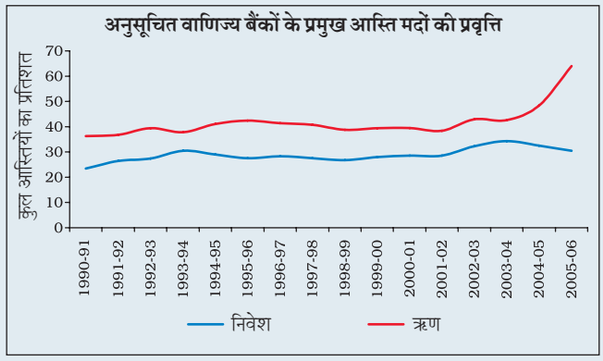

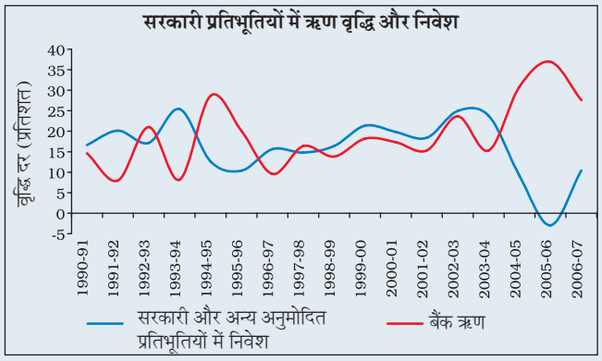

चार्ट IV.14 : सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निवेश

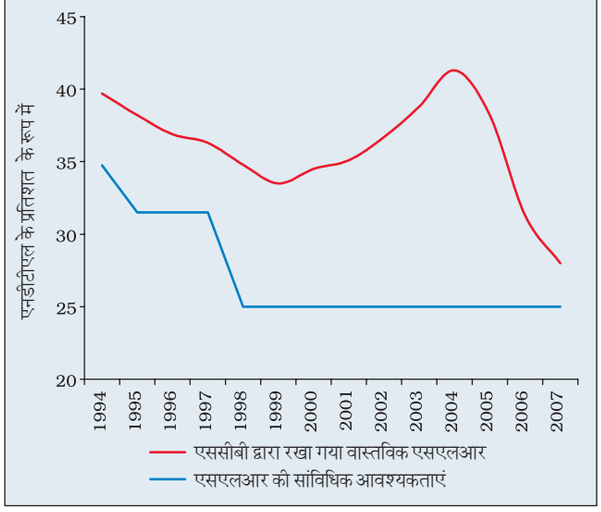

चार्ट IV.16: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अनर्जक आस्तियां

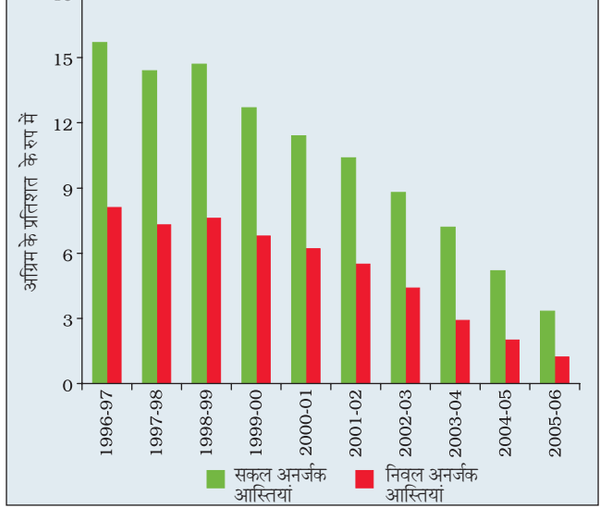

4.92 बैंक अब इन गतिविधियों के लिए उत्साह के साथ कृषि को ऋण दे रहे हैं जैसे - पट्टादायी भूमि कृषि, कृषि-क्लीनिक, भूमि विकास और बंजर सुधार, सिंचाई परियोजना, वानिकी, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों का निर्माण, कृषि-उत्पादों का प्रसंस्करण, कृषि-इनपुट व्यापारी, संबद्ध गतिविधियां जैसे दुग्धशाला, मत्स्यपालन, मुर्गी पालन, भेड़-बकरी पालन, सुअर पालन, रेशम के कीड़ों का पालन, और अन्य। इसी तरह, औद्योगिक क्षेत्र में, कार्यशील पूंजी वित्त और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को प्रदान करने के अलावा, बैंक मीयादी ऋण के रूप में भी व्यापक रूप से परियोजना वित्त प्रदान कर रहे हैं। लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र के लिए, बैंक खुली अवधि ऋण, लचीले ऋण तथा सामान्य उद्देश्य मीयादी ऋण जैसे ऋण उत्पादों को प्रदान कर रहे हैं। बैंक सड़क और शहरी आधारभूत सुविधा, बिजली और उपयोगिताएं, तेल और गैस, अन्य प्राकृतिक संसाधन, और अन्य जैसे आधारभूत सुविधा क्षेत्र में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं।

4.93 वैयक्तिक ऋण खंड में उत्पाद नवोन्मेष सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। आवास ऋण के साथ वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, अन्य वैयक्तिक

चार्ट IV.15 : ऋण -सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

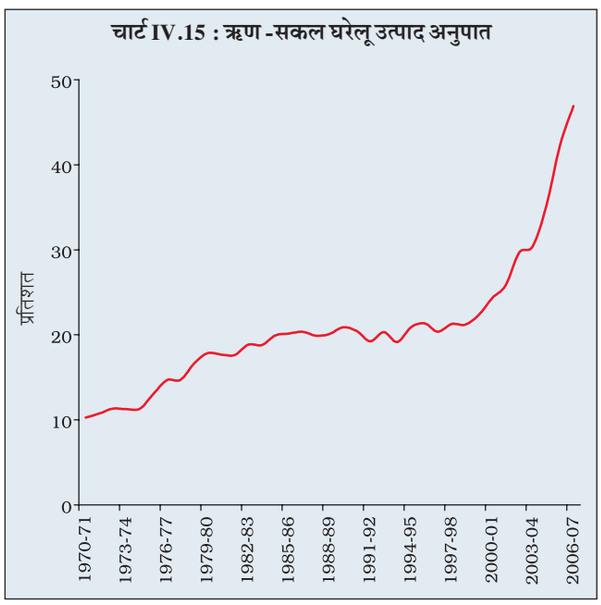

चार्ट IV.17:अनर्जक आस्तियों में वृद्धिशील अभिवृद्धि

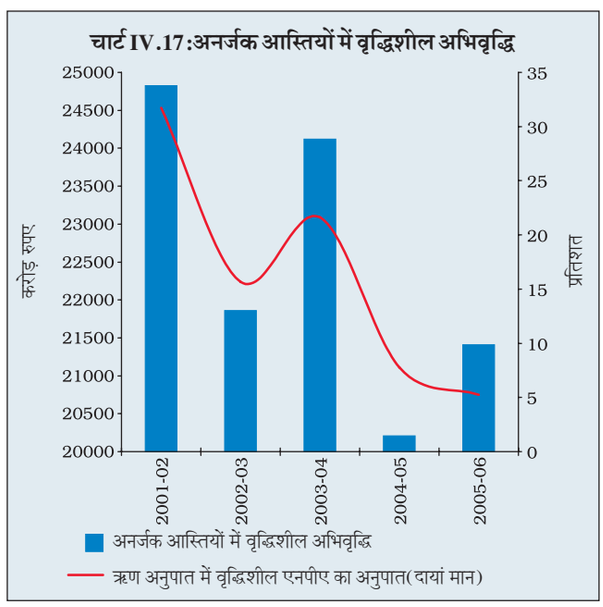

ऋणों के लिए पात्रता, 100 प्रतिशत निधीयन (चुनिंदा परियोजनाओं के मामले में), स्थिर अथवा अस्थिर अथवा अंशतः स्थिर और अंशतः अस्थिर ब्याज दर जैसी अनेक सुविधाएं (फ्रिल) प्रदान की जाती हैं। आवास ऋण अब गृह सुधार, गृह विस्तार, भूमिक्रय, अन्य चीजों के लिए दिया जाता है। बेजमानती वैयक्तिक ऋण (कुछ बैंक इसे एक्सप्रेस ऋण कहते हैं) आवास की मरम्मत, विवाह, छुट्टी, बच्चों की शिक्षा, कंप्यूटर की खरीद और चिकित्सा व्ययों को पूरा करने जैसे किसी वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा, स्वर्ण प्रतिभूतियों पर भी ऋण दिए जाते हैं। विशेष ऋण डाक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और नर्सों को दिए जाते हैं। कुछ बैंकों ने शिक्षा के लिए विशिष्ट ऋण उत्पाद शुरू किए हैं। क्रेडिट कार्ड और शिक्षा ऋण वैयक्तिक ऋण खंड के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के रूप में उभरे हैं।

तीव्र ऋण वृद्धि का हाल का चरण-क्या संरचनात्मक विच्छेद है?

4.94 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण, कई वर्षों तक धीमे रहने के पश्चात्, 2002-03 से आगे तेजी से बढ़े। खाद्येतर ऋण में औसत वार्षिक वृद्धि, 1990 के दशक के दौरान 15.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि के विपरीत, 2002-03 से 2006-07 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान 24.9 प्रतिशत थी। वास्तविक अर्थ में, ऋण वृद्धि में भी तीव्र विस्तार दिखा (सारणी 4.19)।

4.95 हाल के वर्षों के दौरान खाद्येतर ऋण में विस्तार वास्तविक अर्थव्यवस्था की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक था। यह जीडीपी अनुपात के प्रति कुल बैंक ऋण की तीव्र वृद्धि में परिलक्षित हुआ, यह अनुपात 2001-02 में 25.9 प्रतिशत से 2005-06 तक 42.2 प्रतिशत बढ़ा (देखे चार्ट IV.15)।

4.96 आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मई 2002 से ऋण वृद्धि की प्रकृति संरचनात्मक रूप में ऐतिहासिक रुझानों से भिन्न रही है[3]। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इस दृश्य का वर्णन करने के लिए मांग अथवा पूर्ति पक्ष के कारकों पर फोकस करने के वैकल्पिक विचार हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन पहलुओं का पता करने के लिए, विच्छेद अवधि के पूर्व और पश्चात् अनुभववादी विश्लेषण किए गए। इससे पता चलता है कि जबकि उधार देने योग्य जमाओं, उत्पादन अंतर और ब्याज दर ने पूर्व-विच्छेद अवधि में ऋण विस्तार को प्रभावित किया, आस्ति मूल्यों

सारणी 4.19 : ऋण वृद्धि की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

अवधि / वर्ष	खाद्येतर ऋण (नाममात्र)	खाद्येतर ऋण (वास्तविक)
1	2	3
		औसत वार्षिक वृद्धि
1970-71 to 1979-80	17.4	8.5
1980-81 to 1989-90	17.8	9.8
1990-91 to 1999-00	15.4	7.3
2000-01 to 2006-07	21.8	16.7
ज्ञापन:		वार्षिक वृद्धि
2000-01	14.9	7.7
2001-02	13.6	10.0
2002-03	18.6	15.2
2003-04	18.4	12.9
2004-05	27.5	21.0
2005-06	31.8	27.4
2006-07	28.0	22.6

टिप्पणी : 2002-2003 और 2004-05 के दौरान आंकड़ों को क्रमशः विलय और परिवर्तन हेतु समायोजित किया गया है, जबकि 2005-06 के दौरान के 27 पखवाड़ों के लिए । वास्तविक खाद्येतर ऋण के आंकड़े थोक मूल्य सूचकांक की वार्षिक औसत वृद्धि को कम आंककर प्राप्त किए गए हैं।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैण्डबुक , 2005-06 , भारतीय रिज़र्व बैंक।

के साथ उधार देने योग्य जमा राशियां और उत्पादन अंतर विच्छेदन के प्रमुख निर्धारक के रूप में उभरे (बाक्स IV.10)।

4.97 जैसा कि ऊपर देखा गया, संरचनात्मक कारकों के अलावा, ऋण विस्तार स्वरूप में चक्रीय-अनुकूल भी था, जिससे पता चलता है कि हाल के वर्षों में दिखी सुदृढ़ आय वृद्धि ने ऋण वृद्धि में भी काफी योगदान किया है। ऋण की इस विशेषता को जीडीपी से ऋण के चक्रीय घटक की तुलना करने से भी जाना जा सकता है (चार्ट IV.18)।

4.98 क्रेडिट का चक्रीय स्वरूप एक ऐसी घटना है जो अनेक अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य है क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक ऋण और उत्पादन में घनिष्ठ संबंध है (मोहंती आदि 2006)। ऊपर वर्णित कारकों के अलावा, ऋण में वृद्धि, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के राजकोषीय घाटे में हाल की कमी से, निजी व्यय के 'बढ़त' का भी परिचायक है।

[3] खाद्येतर ऋण में वृद्धि के रुझान के लिए प्रयुक्त अन्तर्जात संरचनात्मक विच्छेद हेतु क्वैंड-एंड्रूज ब्रेक प्वांइट टेस्ट 2003-04 की शुरूआत में अन्तर्जात संरचनात्मक विच्छेद को दर्शाते हैं। आकलन के लिए, मासिक पर्यवेक्षण अप्रैल 1996 से मार्च 2007 तक लॉग रूप में प्रयोग किए गए। आकलन नीचे दिए गए हैं :

एल एन एफ सी = 11.25 + 0.02 टी + एआर (1) आर$^{-2}$ = 0.98, डीडब्ल्यू = 2.17
(7.3) (2.7)

अधिकतम वाल्ड एफ-स्टेटिस्टिक = मई 2002 में 32.00 पाया गया।
(0.00)

टिप्पणी : कोष्ठक के आँकड़े 'टी' सांख्यिकी को दर्शाते हैं।

बॉक्स IV.10
बैंक ऋण के निर्धारक

1990 के प्रारंभिक दशक तक, जमा दरें, उधार दरें और विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधनों का आबंटन व्यापक रूप से नियंत्रित था। विवेकपूर्ण मानदंडों के कार्यान्वयन और ब्याज दरों को मुक्त करने तथा बैंकिंग परिचालन पर अन्य पाबंदियों को हटाने के पश्चात स्थिति में बदलाव आया। इन गतिविधियों ने आस्ति गुणवत्ता के प्रति बैंक परिचालन की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया और उन्हें अपने व्यावसायिक विवेक के आधार पर कार्य करने के लिए सुसज्जित किया।

इस पृष्ठभूमि में और ऋण प्रसार के निर्धारकों के बारे में विभिन्न देशों के अनुभवों के आधार पर, खाद्येतर ऋण, उधार देने योग्य जमाराशियां, एनपीए का स्तर, उत्पादन अंतराल, वाणिज्यिक पत्र आय (सीपीरेट) और आस्ति मूल्यों (बीएसई सेंसेक्स द्वारा निर्धारित) के बीच संबंधों का आकलन करने के लिए अप्रैल 1996 से मार्च 2006 की अवधि हेतु, एक अनुभववादी अभ्यास किया गया। चूँकि अप्रैल 2003 में संबंधों में संरचनात्मक विच्छेद था, विच्छेद के पूर्व और बाद की अवधि के लिए अलग-अलग अनुमान भी लगाए गए। एच.पी.फिल्टर का प्रयोग करते हुए उत्पादन क्रमांक की डिट्रेडिंग का आकलन करके उत्पादन अंतराल का अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एच.पी.आइ. से लिया गया है। उधार देने योग्य जमाराशियां विशुद्ध आरक्षित निधि आवश्यकता की कुल जमाराशियाँ हैं। बीपीएलआर के स्थान पर वाणिज्यिक पत्रों की आय को ब्याज दर परिवर्तनशील चर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि कुल बैंक ऋण का बड़ा हिस्सा बीपीएलआर से कम पर प्रदान किया जाता है। इसे तार्किक रूप से माना जा सकता है कि प्रभावी उधार दर वाणिज्यिक पत्र दर, जो बाजार निर्धारित है, के समीप होगी। सभी कारणों का अलग-अलग रूप में आकलन किया गया है अनुमानित समीकरण और वास्तविक तथा अनुमानित मूल्यों (चार्ट क) का आलेख नीचे दिया गया है :

अवधि - अप्रैल 1996 से मार्च 2006

डीएनएफसी = *20779.0 + 674.7* ओजी *- 1150.0* एनपीएआर *- 0.18* डीएसएलआर *(-3)*
(3.3) (3.2) (1.65)

- 341.4 सीपी रेट *+ 6.4* डीबीएसई *+ 173.5* डीएचपीआई *(-3) + 0.5* डीएलडी
(0.6) *(2.2)* *(2.5)* *(10.0)*

आर$^{-2}$ = 0.74, डी. डब्ल्यू = 1.63

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

परिणाम दर्शाते हैं कि उधार देने योग्य संसाधनों की उपलब्धता, इसके पश्चात् अनर्जक आस्तियों का स्तर तथा आस्ति मूल्य ऋण प्रसार के प्रमुख निर्धारक हैं। तथापि, ऋण सकारात्मक रूप से उत्पादन अंतर से जुड़ा है, जो ऋण वृद्धि के चक्रीय अनुकूल स्वरूप को दर्शाता है। वर्षों के दौरान संबंधों के गति विज्ञान पर बेहतर अन्तर्दृष्टि बनाने के लिए, संरचनात्मक विच्छेद के पूर्व और पश्चात् की अवधि के लिए अलग-अलग अनुमानों के प्रयास किए गए। अनुमानित मूल्यों (चार्ट क) का आलेख नीचे दिया गया है :

अवधि : अप्रैल 1996 से अप्रैल 2002

डीएनएफसी = 17521.1 + 517.1 ओजी - 556.1 एनपीएआर - 0.13 डी एस एल आर (-2)
(3.2) (1.5) (1.23)

- 779.3 सीपीरेट *+ 1.73* डीबीएसई *+ 90.0* डीएचपीआइ *(-3) + 0.43* डीएलडी
(2.1) *(0.8)* *(1.6)* *(6.1)*

आर$^{-2}$ = 0.52, डीडब्ल्यू = 1.96

अप्रैल 1996 से मार्च 2003 की अवधि के लिए मंदी के अनुमान दर्शाते हैं कि उधार देने योग्य संसाधन, ब्याज दर और अनर्जक आस्तियों के स्तर ऋण प्रसार के प्रमुख निर्धारक हैं। इसके अलावा, ऋण अधिशेष उत्पादन अन्तराल के प्रति सकारात्मक रूप से रेडपांड करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आस्ति मूल्यों ने ऋण प्रसार में मार्च 2003 तक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा की हैं।

अवधि - मई 2002 से मार्च 2006 तक डीएनएफसी

डीएनएफसी = *42522.5 +1153.9* ओजी *- 2793.4* एनपीएआर *(-1)*
(2.1) (2.5)

- 0.01 डी एस एल आर *(-2) - 2638.6* सीपीरेट *(-3)*
(0.1) (0.7)

+ 18.5 डीबीएसई *+ 319.5* डीएचपीआइ *(-3) + 0.49* डीएलडी
(2.4) *(2.0)* *(5.6)*

आर$^{-2}$ = 0.74, डीडब्ल्यू = 1.96

व्याख्यात्मक परिवर्तनशील चरों की अंतराल संरचना सभी परिवर्तनशील चरों के लिए 6 अंतरालों से शुरू होने वाली सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित होती है।

बाद की अवधि अर्थात मई 2002 से मार्च 2006 के लिए अनुभववादी परिणाम दर्शाते हैं कि उधार देने योग्य संसाधनों और अनर्जक आस्तियों के स्तर के अलावा, आस्तियों के मूल्य ऋण प्रसार के प्रमुख निर्धारक के रूप में उभरे। इस अवधि के दौरान, उत्पादन अंतर काफी बना रहा लेकिन इसकी व्याख्यात्मक शक्ति समाप्त हो गई। ब्याज दर ऋण वृद्धि की महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं थी, इससे पता चलता है कि आस्ति मूल्यों और अनुवर्ती धन प्रभाव ने ऋण मांग के निर्धारक के रूप में लागत को आच्छादित किया।

अवधि के दौरान अनर्जक आस्तियों की महत्ता में हुई वृद्धि ने इन शंकाओं का शमन किया है कि आस्ति मूल्यों में तेजी और वैयक्तिकों की निवल मालियत में परिणामी वृद्धि से आस्ति गुणवत्ता के प्रति बैंकों की संवेदनशीलता कमजोर हो सकती है यद्यपि दोनों अवधियों के दौरान बैंकों की एसएलआर होल्डिंग में आशानुकूल चिह्न प्रकट हुए थे, यह सांख्यिकी की दृष्टि से काफी नहीं था, इसका अर्थ यह है कि बैंक अपनी इच्छानुसार सरकारी प्रतिभूतियां रखते हैं और ऋण प्रसार के लिए ऐसी विवशता नहीं है।

जैसा कि ऊपर देखा गया निर्धारक मौद्रिक नीति के ऋण माध्यम के भी संकेतक हैं। अनर्जक आस्तियों के स्तर की महत्ता से पता चलता है कि आस्ति गुणवत्ता के प्रति बैंकों की संवेदनशीलता बढ़ रही है और यह संभवतः ऋण माध्यम के तुलन पत्र रुट की महत्ता को दर्शाता है। इसी प्रकार, उधार देने योग्य जमाराशियों की महत्ता से पता चलता है कि मौद्रिक प्राधिकारी बैंकों की उधार देने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। फलस्वरूप इससे पता चलता है कि ऋण माध्यम का बैंक उधार रूट भारतीय अर्थव्यवस्था में भी संभवतः कार्यशील हो सकता है।

चार्ट अ: ऋण का निर्धारक - अप्रैल 1996 से मार्च 2006 तक

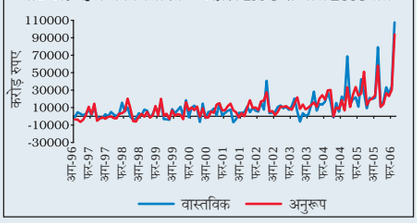

चार्ट आ : ऋण का निर्धारक - अप्रैल 1996 से मार्च 2002 तक

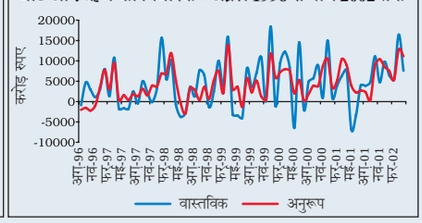

चार्ट इ: ऋण का निर्धारक - मई 2002 से मार्च 2006 तक

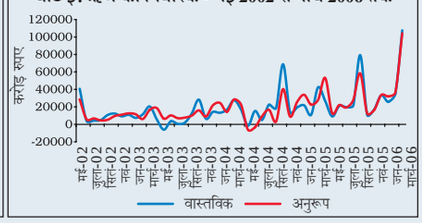

चार्ट IV.18 : वास्तविकता के प्रतिशत के रूप में चक्रीय घटक *

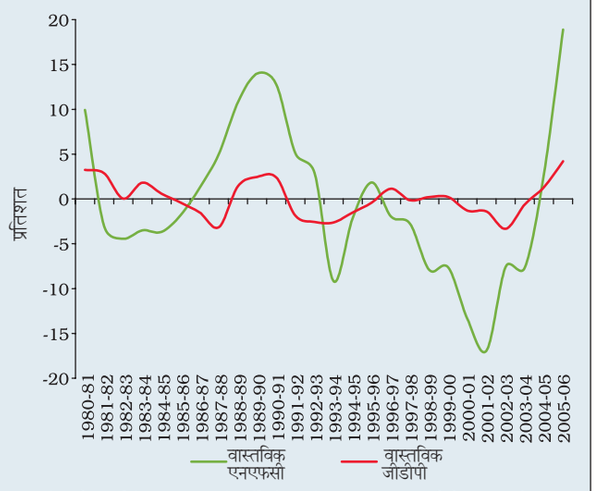

*: हॉड्रिक प्रेसकॉर्ट फिल्टर द्वारा परिवर्ती की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के बाद चक्रीय घटक निकाला गया (वास्तविक में से प्रवृत्ति को घटाकर) जिसे बाद में वास्तविक परिवर्ती के प्रतिशत के रूप में लिया गया ।

तीव्र ऋण वृद्धि - निहितार्थ

4.99 तीव्र ऋण विस्तार वित्तीय गहनता और निवेश अवसर में सुधार का प्रतिनिधित्व करने वाले कारोबार चक्र द्वारा हुई चक्रीय वृद्धि का परिचायक हो सकता है। तथापि, भावी अर्जनों के बारे में अति आशावाद के कारण हुए अत्यधिक चक्रीय उतार-चढ़ाव संभावित रूप से विनाशकारी हो सकते हैं। अन्तरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि अत्यधिक ऋण विस्तार सुवहननीय नहीं हो सकता है। भावी अर्जनों के बारे में अति आशावाद आस्ति मूल्यन को प्रेरित कर सकता है, जिससे कृत्रिम रूप से फर्मों की निवल मालियत और उनकी उधार लेने और व्यय करने की क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। चूँकि कार्यनिष्पादन अति आशावाद प्रत्याशाओं से मेल नहीं खा सकता अतः एक स्थान से परे यह प्रक्रिया अवहनीय हो सकती है। उधार देने की अधिकता बैंकिंग प्रणाली को दुर्बलता की ओर ले जा सकती है (बाक्स IV.11)।

तीव्र ऋण विस्तार के प्रति मौद्रिक नीति प्रतिसाद - अन्तरराष्ट्रीय अनुभव

4.100 इस संबंध में कोई सहमति नहीं है कि तीव्र ऋण विस्तार के लिए क्या नीति प्रतिसाद होना चाहिए, प्रबल विचार ऐसा संकेत देते प्रतीत होते हैं कि सामान्यीकृत मौद्रिक कड़ाई प्रति-उत्पादक हो सकती है और समुचित प्रतिसाद को उपयुक्त विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षी मानदंड अपना करके वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना चाहिए (बॉक्स IV.12)। तीव्र ऋण वृद्धि जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षी उपायों सहित अनेक नीतिगत विकल्प उपलब्ध हैं (अनुबंध I और II)।

भारतीय परिदृश्य

4.101 यद्यपि भारत में ऋण तेजी से बढ़े हैं, एक विस्तृत क्षेत्रवार विश्लेषण दर्शाता है कि इसका विस्तार सभी क्षेत्रों में व्यापक-आधारित है। वास्तव में, कृषि के लिए ऋण बढ़ा है, जो एक स्वस्थ विकास है और जागरूक नीतिगत प्रयासों का परिणाम है। पिछले दो वर्षों के दौरान, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण बढ़ा है, जो एक अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर, उद्योग के लिए ऋण में कुछ गिरावट आई है।

4.102 तथापि, घरेलू क्षेत्र के प्रति ऋण तेजी से बढ़ा है। इस संदर्भ में, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत में निजी क्षेत्र को दिया गया ऋण, कुल मिलाकर, कई अन्य देशों की तुलना में कम है (सारणी 4.20)। इसके अलावा, भारत में ऋण का प्रवेशन भी कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। प्रति 100 व्यक्ति ऋण खातों की संख्या के अनुसार, भारत को अन्य कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में नीचे रखा गया है (सारणी 4.21)। प्रौढ़ जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में 2005 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण खातों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में केवल 9.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 14.2 प्रतिशत थी। इसके अलावा, 2005 में ग्रामीण घरेलू व्यक्तियों के केवल लगभग एक तिहाई के और शहरी घरेलू व्यक्तियों के आधे के ऋण खाते वाणिज्यिक बैंकों के पास थे। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र ऋण प्रवेशन अधिक था, छोटे ऋण खाते (25,000 रुपए से कम ऋण सीमा वाले) बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में (2005 में 61.6 प्रतिशत) केंद्रित थे (सारणी 4.22)।

4.103 भारत में ऋण प्रवेशन न केवल कम रहा है, यह विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से भी फैला हुआ है (सारणी 4.23)। इस प्रकार, एक सीमा तक व्यापक ऋण विस्तार बढ़ती वित्तीय गहनता को दर्शाता है।

4.104 इसके अलावा, नवीनतम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार, 2002 में ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू ऋणग्रस्तता केवल 26.5 प्रतिशत थी और शहरी क्षेत्र में अब भी कम अर्थात 17.8 प्रतिशत है (सारणी 4.24)।

4.105 तथापि, 2002 में भारत में घरेलू व्यक्तियों के वित्तीय लीवरेज की सीमा, जैसा कि ऋण-आस्ति अनुपात में स्पष्ट किया गया, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम अर्थात 2.84 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 2.82 प्रतिशत थी (सारणी 4.25)। यद्यपि बाद के वर्षों में यह अनुपात बढ़ गया होता, क्योंकि वैयक्तिक ऋण काफी बढ़ गया है, इसके अब भी कई अन्य उभरते देशों की तुलना में काफी कम होने की आशा है, खास तौर से भारत में जब हाल के वर्षों में आय स्तर भी तेजी से बढ़ा है।

4.106 ऋण में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप भारत के बैंकिंग क्षेत्र की संभावित अतिसंवेदनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, अन्तरराष्ट्रीय

बॉक्स IV.11
ऋण तेजी : विश्लेषणात्मक मुद्दे

विश्लेषणात्मक रूप से, ऋण तेजी से तीन कारणों से बढ़ सकता है अर्थात (i) वित्तीय गहनता (रुझान); (ii) सामान्य चक्रीय सुधार (ऋण विस्तार) और (iii) अत्यधिक चक्रीय उतार-चढ़ाव (ऋण में तेजी), (अंमुको, 2004)। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है - ऋण सामान्यतया जीडीपी की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं - इस प्रक्रिया को वित्तीय गहनता कहा जाता है, इससे वित्तीय मध्यस्थता की बढ़ती महत्ता परिलक्षित होती है। अस्थायी रूप से, ऋण अधिक तीव्रता से भी बढ़ सकता है क्योंकि फर्म के निवेश और कार्यशील पूँजी की आवश्यकता कारोबार चक्र के साथ घटती-बढ़ती है। इसलिए तेजी से उधार प्रदानगी वित्तीय प्रणाली की स्थायी गहनता और निवेश अवसरों, जो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हैं, के सुधार का प्रतिनिधित्व करती है। इन दो कारकों से संबद्ध ऋण वृद्धि वांछनीय है, जिसे मोटे तौर पर ऋण विस्तार के एक मामले के रूप में समझा जा सकता है। यदि ऋण विस्तार अत्यधिक चक्रीय उतार-चढ़ाव (भावी अर्जनों के प्रति अधिक आशावादिता) के साथ होता है, तो यह ऋण में तेजी का मामला हो सकता है। व्यवहार में, इन तीन कारकों के बीच अंतर करना कठिन है अर्थात वित्तीयन गहनता, वित्तीय त्वरक और भावी अर्जनों के बारे में अति आशावाद, ऋण वृद्धि प्रेरित करना और ऋण के लिए 'तटस्थ' स्तर अथवा वृद्धि की दर निर्धारित करना (हिल्बर्स आदि 2005)। अन्तरराष्ट्रीय अनुभव दर्शाते हैं कि अत्यधिक ऋण विस्तार (तेजी) अवहनीय और संभवतः अस्थिरकारी है।

वित्तीय त्वरक एक ऐसा महत्वपूर्ण और परिचित तंत्र है जिससे ऋण में तेजी आ सकती है, जिससे आस्ति मूल्यों के आघात तुलन पत्र के प्रभावों के माध्यम से बढ़ सकते हैं (बरनांके और गिलक्राइस्ट 1999)। तेजी के दौरान, आस्तियों की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे उधारकर्ताओं की निवल मालियत में वृद्धि होती है। इससे नए उधार देने में सुगमता होती है, इससे आस्तियों की अधिक मांग को बढ़ावा मिलता है और अंततः आस्तियों के मूल्य अधिक होते हैं (गौरिंचास, आदि 2000)। वित्तीय त्वरक सूचना असममित, संस्थागत कमियों अथवा उधार लेने वाले और उधार देने वालों के समक्ष प्रतिकूल प्रोत्साहनों के कारण वित्तीय बाजार अपूर्णताओं का परिणाम होते हैं। भावी अर्जनों के बारे में अति-आशावाद आस्ति मूल्यनों को बढ़ावा दे सकता है जिससे कृत्रिम रूप से फर्मों की निवल मालियत बढ़ती है और फलस्वरूप उनकी उधार लेने और व्यय करने की क्षमता बढ़ती है। चूँकि कार्य निष्पादन अति-आशावाद की प्रत्याशाओं के सुसंगत नहीं हो सकता है, यह प्रक्रिया एक बिंदु के बाद अवहनीय हो जाती है। यद्यपि उधार देने संबंधी तेजी उत्पादन अनुलाभों से जुड़ी है, वह बैंकिंग प्रणाली को दुर्बलता की ओर ले जा सकती है।

विभिन्न देशों के अनुभवों के आधार पर, यह पता करने के लिए अनेक प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है कि क्या यह ऋण प्रसार चरण है अथवा ऋण में तेजी का चरण है अथवा मात्र रुझान की निरंतरता है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2004) ने तीव्र और वहनीय ऋण वृद्धि की स्थितियों को परिभाषित किया था, यदि तीन वर्षों के दौरान औसत वास्तविक ऋण वृद्धि 17.0 प्रतिशत (1970-2002 के दौरान 28 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ऋण तेजी में वास्तविक ऋण वृद्धि की माध्यमिक दर) से अधिक हुई। ऋण तेजी को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब ऋण/जीडीपी अनुपात रुझान से चार प्रतिशत अंक ऊपर हैं। ओटेन, लैंब्रेट्स और पोइल हेक्के (2005) ने उधार देने में तेजी को दो ऐसी लगातार अवधियों के रूप में परिभाषित किया है जिसमें नाममात्र जीडीपी के प्रति नाममात्र निजी ऋण का अनुपात एक निश्चित न्यूनतम सीमा तक रुझान से अलग हो जाता है। यह न्यूनतम सीमा जीडीपी के 2.0 से 10.0 प्रतिशत अंक तक (ऋण अंतराल) भिन्न-भिन्न है।

यद्यपि विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है, यह संभव हो सकता है कि कोई निर्धारित अवधि वास्तव में तेजी की अवधि नहीं हो सकती है क्योंकि न्यूनतम सीमा के ऊपर ऋण प्रसार वित्तीय गहनता और कारोबार चक्रों के कारण हो सकता है। यह पता करना मुश्किल है कि कब तेजी हो रही है। केवल तभी जब तेजी पूरी तरह से फैल चुकी है, इसका पता करना संभव हो सकता है। इसलिए, नीति निर्माताओं को परिप्रेक्ष्य की स्पष्टता के लिए अन्य समष्टि आर्थिक गतिविधियों जैसे निवेश तेजी, खपत तेजी, चालू खाता घाटे और अविपणनीय वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत में वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भ

बरनांके, बैन और सिमोन गिल क्राइस्ट, 1999 ''दि फाइनेंशियल एक्सीलरेटर इन ए क्वांटिटेटिव बिजनेस सायकल फ्रेमवर्क'' हैंडबुक ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स में, (संपा) जान टेलर और माइकेल वुडफोर्ड वाल्यूम 1 सी, एम्सटरडम : उत्तरी हालैंड।

गौरिंचास, पियरे ओलिवर, वल्डेस रोडिग्रो, और लेंडर्चे आस्कर, 2000। ''लैंडिग बूम्स: सम स्टाइलिज्ड फैक्ट्स'' एमआइटी, फरवरी।

हिल्बर्स, पॉल, इंसी ऑटकर-रोबे, सीयला पाज़रबासियो ग्लू और गुड्रन जॉन सेन; 2005। ''एसेसिंग एंड मैनेजिंग रैपिड क्रेडिट ग्रोथ एंड दि रोल ऑफ सुपरवाइज़री एंड प्रूडेंशियल पोलिसीज।'' अमुको वर्किंग पेपर, डब्ल्यू पी / 05/151, जुलाई।

अमुको, 2005 वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, अप्रैल

ऑटेन्स, डैनियल, एडविन लैम्बब्रेट्स और स्टीवन पोइल हेक्के, 2005, ''क्रेडिट बूम इन इमर्जिंग मार्केट इकनॉमीज : ए रिक्युप फॉर बैंकिंग क्राइसेस?'' डीएनबी वर्किंग पेपर, नीदरलैण्ड सेंट्रल बैंक।

मुद्रा कोष (2006) ने तीन वैकल्पिक परिदृश्यों के अन्तर्गत स्ट्रेस परीक्षण किए अर्थात, (1) अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के स्तर के अनुरूप प्रावधानन में वृद्धि; (ii) अनर्जक आस्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि; और (iii) 'नए' ऋणों के एक हिस्से के अनर्जक होने के कारण अनर्जक आस्तियों में वृद्धि। परिणाम बताते हैं कि बैंकिंग प्रणाली समग्र रूप में प्रावधानन आवश्यकता की कड़ाई और आस्ति गुणवत्ता में गिरावट,

बॉक्स IV.12
ऋण तेजी और मौद्रिक नीति

ऋण तेजी की स्थिति पर केंद्रीय बैंक की प्रतिक्रिया के बारे में नीति निर्माताओं और विद्वानों के बीच कोई एक राय नहीं है। इसमें एक समूह इस राय पर जोर देता है कि मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था को लक्ष्य बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए न कि आस्ति बाजारों को। एक सीमा तक स्टॉक बाजार की तेजी उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक तीव्रता से व्यय का कारण बनती है अथवा साधारण रूप से भविष्यवाणी करती है। नीतिगत कड़ाई को आरंभिक मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और न कि आस्ति मूल्यों की तेजी में। यह मत आस्ति के मूल्यों की अस्वाभाविक तेजी को पता करने में मौद्रिक प्राधिकारी की क्षमता पर शंका करता है। प्रायः पहले से ही यह तय कर पाना कठिन है कि क्या आस्ति के मूल्यों में उतार-चढ़ाव में अस्वाभाविक तेजी है अथवा नहीं। दूसरे, यदि अस्वाभाविक तेजी का पता कर लिया जाता है तो विशेष प्रकार के मौद्रिक कड़ाई के उपाय जैसे ब्याज दरों में वृद्धि आस्ति मूल्यों की अस्वाभाविक तेजी को कम करने में प्रभावी नहीं हो सकती है (मोहन, 2005)। पुनः यदि केंद्रीय बैंक को विश्वास है कि अस्वाभाविक तेजी बनी हुई है, तो यह बाजार संबंधी अपने निर्णय को बदल देगी और इसका तात्पर्य यह है कि यह वित्तीय पेशेवरों की तुलना में बेहतर रूप से सुसज्जित है।

दूसरी तरफ, ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका विश्वास है कि अस्वाभाविक तेजी की विद्यमानता का, ऋण की तीव्र वृद्धि, स्टॉक पर प्रतिफल, मूल्य-अर्जन अनुपात आदि जैसे संकेतकों के आधार पर, पता लगाया जा सकता है। तथापि, मुद्दा यही बचता है कि क्या ये दरें/अनुपात विश्वसनीय संकेतक हैं। अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र को चुनिंदा रूप से लक्षित करके वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को प्रायः एक कम प्रभावकारी साधन समझा जाता है। अस्वाभाविक तेजी के प्रति सामान्यीकृत दृष्टिकोण केवल वास्तविक आर्थिक तेजी का गला घोटने के जोखिम के द्वारा सफल हो सकता है।

एक दूसरा मत है जिसका कहना है कि ऋण तेजी और परिणामी आस्ति में अस्वाभाविक तेजी आवश्यक रूप से अपर्याप्त विनियमन का परिणाम हो सकती है। कमजोर रूप से विनियमित और पर्यवेक्षित बैंकों तथा अनुपयुक्त प्रोत्साहन ढाँचा की दृष्टि में वित्तीय उदारीकरण ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेज और निम्न ऋण चक्रों को बढ़ाया है (हरनेंडेज, आदि 2002 और बार्थ आदि 2002)। इसलिए, मौद्रिक प्राधिकारी को आस्ति मूल्यों के प्रति बड़े आघातों की आकस्मिकता के लिए वित्तीय प्रणाली तैयार करने हेतु अपनी नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों का आदर्श रूप से प्रयोग करना चाहिए (बनकि, 2002)।

संदर्भ

बार्थ, जेम्स आर, जेरार्ड केप्रियो जूनियर, और रॉस लेविन, 2002। ''फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड परफोर्मेंस क्रांस कंट्री इविडेंस'' इन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंटेग्रेशन एंड इंटरनेशनल क्राइसेज (इडीएस) लेनार्डो हर्नेडेज और क्लॉस स्मिट्ज टेब्वेल। 113-41, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, सेंटियागो।

बर्नेंकि, बेन एस, 2002। ''एसेट प्राइस बबल्स एंड मोनेटरी पॉलिसी'' बीआइएस, रिव्यू, सं.59. बीआइएस।

हेरेनंडेज. एल, और ओलेंडरेच. 2002। ''कैपिटल इन्फ्लोज, क्रेडिट बूम्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स बलेनटेबिलिटी : दि क्रास कंट्री इक्सपीरियंस'' इन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंटेग्रेशन एंड इंटरनेशनल क्राइसेज, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, सैंटियोगो।

मोहन, राकेश, 2005। ''सम एपरेंट पज्जल्स फॉर कंटेम्पोरेरी मोनेटरी पॉलिसी'' भारिबैं बुलेटिन, दिसंबर।

जो तीव्र ऋण वृद्धि की अवधि के दौरान हो सकती है, के प्रति लचीली है (सारणी 4.26)। विश्लेषण से पता चलता है कि यद्यपि हाल की तीव्र ऋण वृद्धि कुछ जोखिम उत्पन्न करती है, इस समय ये जोखिम खास नहीं लगते क्योंकि जीडीपी के प्रति ऋण का कुल अनुपात अब भी कम

सारणी 4.20 : निजी क्षेत्र को ऋण

(जीडीपी का प्रतिशत)

देश	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मेक्सिको	19	13	17	29	18	16	19	17	17	18
इंडोनेशिया	9	19	47	54	20	18	19	21	24	25
रूस संघ	..	..	..	9	13	16	18	21	24	26
पोलैंड	..	4	21	17	27	27	27	28	27	28
श्रीलंका	17	21	20	31	29	28	29	30	32	..
फिलीपीन्स	42	27	22	45	44	40	37	35	34	31
ब्राजील	42	42	39	37	36	35	36	35	35	41
भारत	**25**	**30**	**30**	**29**	**32**	**33**	**37**	**37**	**41**	**47**
चिली	47	69	47	54	63	63	65	62	63	66
कनाडा	67	65	76	77	77	80	81	81	86	88
फ्रान्स	101	74	94	86	85	88	86	89	91	94
थाइलैंड	41	58	83	140	108	97	103	103	97	96
जापान	132	151	196	203	193	187	176	103	99	99
सिंगापुर	81	106	97	106	111	130	114	115	106	102
ऑस्ट्रेलिया	26	35	62	69	87	88	91	98	102	109
जर्मनी	77	84	89	100	119	118	117	115	112	112
मलेशिया	49	87	69	124	140	149	146	141	130	127
न्यूजीलैंड	21	25	76	92	113	112	114	118	121	133
स्पेन	74	67	78	72	98	101	106	114	125	146
हांगकांग, चीन	..	..	161	150	153	152	148	149	148	146
यूनाइटेड किंगडम	28	47	116	115	133	138	142	148	156	166
यूनाइटेड स्टेट्स	112	128	144	173	231	225	212	236	249	260

.. : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : विश्व विकास संकेतक, ऑनलाइन डाटाबेस, विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक।

सारणी 4.21 : ऋण खातों की संख्या - चुनिंदा देश

(प्रति 100 व्यक्ति)

देश	तारीख	ऋण खाते
1	2	3
1. अर्जेंटीना	दिसंबर 2003	15.4
2. बांग्लादेश	दिसंबर 2003	5.5
3. बेल्जियम	दिसंबर 2002	5.9
4. ब्राजील	जून 2002	5.0
5. चिली	दिसंबर 2003	41.8
6. डेनमार्क	दिसंबर 2002	45.1
7. ग्रीस	दिसंबर 2003	77.6
8. भारत	**मार्च 2006**	**15.8**
9. इटली	दिसंबर 2002	32.8
10. मलेशिया	दिसंबर 2003	32.9
11. पाकिस्तान	दिसंबर 2004	2.2
12. रूस	दिसंबर 2003	5.4
13. सिंगापुर	जनवरी 2005	51.3
14. स्पेन	दिसंबर 2003	55.6
15. थाइलैंड	दिसंबर 2004	24.8
16. तुर्की	दिसंबर 2003	26.5

स्रोत : बेक, कुंट और पेरिया (2005) और भारतीय रिज़र्व बैंक।

है, पूँजी पर्याप्तता अनुपात काफी अधिक है और अनर्जक आस्ति अनुपात कम है।

सारणी 4.22 : भारत में वाणिज्य बैंक ऋण सुविधा की पहुंच

मद	1981	1991	2001	2005
1	2	3	4	5
1. वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में ऋण खातों की संख्या				
क) ग्रामीण	4.9	7.7	7.9	9.5
ख) शहरी	4.5	12.8	8.0	14.2
2. परिवार की संख्या के प्रतिशत के रूप में ऋण खातों की संख्या				
क) ग्रामीण	18.0	44.3	26.5	32.2
ख) शहरी	15.1	29.9	28.4	50.2
3. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि				
क) ग्रामीण	13.0	17.3	15.8	22.3
ख) शहरी	20.0	24.8	31.1	45.0
4. सभी ऋण खातों के प्रतिशत के रूप में छोटे उधारकर्ताओं के खाते				
क) ग्रामीण	–	–	80.0	61.6
ख) शहरी	–	–	50.7	32.2
5. कुल ऋण खातों में छोटे उधारकर्ता खातों का हिस्सा				
क) ग्रामीण	–	–	25.4	14.4
ख) शहरी	–	–	2.0	0.9

– : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणी के विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

सारणी 4.23 : प्रति 100 व्यक्तियों पर ऋण खातों की क्षेत्र-वार संख्या - भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक

	1991	2005	1991	2005	1991	2005
क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		कुल	
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी	6.6	5.1	5.9	6.7	6.4	5.7
उत्तर- पूर्वी	4.4	3.2	4.4	3.9	4.4	3.3
पूर्वी	7.2	4.2	4.3	4.3	6.6	4.2
मध्य	5.8	4.2	4.4	4.5	5.5	4.3
पश्चिमी	6.2	4.2	4.8	12.2	5.7	7.5
दक्षिणी	13.6	12.7	7.6	17.4	11.8	14.2
अखिल भारतीय	7.9	6.0	5.5	9.8	7.3	7.0

स्रोत : मोहन (2006बी)।

ऋण का मूल्यन

4.107 अप्रैल 2003 में पीएलआर की प्रणाली बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की प्रणाली में बदल गई, जैसाकि खंड III में दिया गया है। तथापि, बहुतायत बैंक उधार बीपीएलआर से नीचे की दर पर हो रहे हैं। बीपीएलआर से नीचे के उधार का हिस्सा मार्च 2007 में लगातार बढ़कर 82.0 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.27)।

4.108 नीति दरों की तुलना में बीपीएलआर के रुझानों का विश्लेषण बीपीएलआर की निम्नमुखता को बतलाता है। नीति दरों में गिरावट के अनुसार, बैंकों ने बाजार दशाओं के अनुरूप मार्जिन को बीपीएलआर के नीचे बदला, जबकि बीपीएलआर को अपरिवर्तित रखा। दूसरी तरफ, नीति दरों में वृद्धि का बीपीएलआर में ऊर्ध्वमुखी संशोधन करके त्वरित अनुसरण किया गया। परिणाम के रूप में, बीपीएलआर और नीति दर के बीच अंतर वर्षों में बढ़ा (चार्ट IV.19)।

4.109 13 अक्तूबर 2000 और 25 अक्तूबर 2005 के बीच नीति दर को 10 बार निम्नगामी रूप से संशोधित किया गया। इस अवधि के

सारणी 4.24 : भारत के परिवारों में ऋणग्रस्तता की स्थिति*

(प्रतिशत)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
1971	42.8	–
1981	20.0	17.4
1991	23.4	19.3
2002	26.5	17.8

* : ऋणग्रस्तता की स्थिति को सर्वेक्षण किए गए कुल परिवारों में से ऋणग्रस्त परिवारों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

– : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : एनएसएसओ (2006ए)।

सारणी 4.25 : परिवारों का ऋण-आस्ति अनुपात

(प्रतिशत)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
1971	4.42	–
1981	1.83	2.54
1991	1.78	2.51
2002	2.84	2.82

– : उपलब्ध नहीं

स्रोत : एनएसएसओ (2006ए)।

दौरान, एक बड़े प्रतिनिधि बैंक के द्वारा बीपीएलआर को केवल 6 बार संशोधित किया गया और अंतराल 6 से 13 महीनों के बीच भिन्न-

सारणी 4.26 : दबाव परीक्षण : विभिन्न परिदृश्यों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(प्रतिशत)

	सभी बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	दस बड़े बैंक
1	2	3	4	5	6	7
मार्च 2005 के अंत में वास्तविक स्थिति	12.8	12.8	12.5	12.1	14.1	12.7
दबाव परीक्षण परिदृश्य						
i) बढ़ाया गया प्रावधान	12.0	11.9	10.7	11.7	13.8	11.8
ii) अनर्जक अस्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि	10.4	10.0	7.5	11.1	13.2	10.1
iii) नए ऋणों के एनपीए होने की दर पुराने ऋण की दर के समान है	9.4	8.8	6.0	10.7	12.8	9.0

स्रोत : रोजकोव (2006)।

सारणी 4.27 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बीपीएलआर से कम दरों पर दिए गए ऋण का हिस्सा *

(प्रतिशत)

अवधि	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी बैंक
1	2	3	4	5
सितंबर 2004	33.2	50.4	64.5	38.9
दिसंबर 2004	62.0	75.3	80.9	65.1
मार्च 2005	50.6	78.1	88.6	58.9
जून 2005	57.3	80.5	89.7	64.2
सितंबर 2005	60.9	80.9	85.5	66.8
दिसंबर 2005	59.4	83.0	84.9	68.4
मार्च 2006	63.6	85.1	85.1	69.2
जून 2006	66.5	88.0	80.0	74.8
सितंबर 2006	70.6	87.5	80.1	75.3
दिसंबर 2006	72.5	88.2	78.6	77.3
मार्च 2007	76.3	91.8	72.4	82.0

– : उपलब्ध नहीं।

* : कुल उधार के प्रतिशत के रुप में।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

भिन्न था। उन अवसरों पर जब नीति दर को ऊर्ध्वमुखी रूप से संशोधित किया गया, बैंक ने 20 दिनों के निम्नतम समय अंतराल में तुरंत रेसपांड किया (सारणी 4.28)।

4.110 जबकि बीपीएलआर एक स्थिति में दिखा, प्रभावी उधार देने की दरें बाजार दशाओं के प्रति अस्थिर प्रतीत हुईं। चूँकि अधिकांश उधार बीपीएलआर से नीचे की दर पर दिए जा रहे हैं, वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे की दर को देश में प्रभावी बैंक उधार दर के लिए एक अच्छे प्रोक्सी के रूप में लिया जा सकता है। वाणिज्यिक पत्र दर में सरकारी प्रतिभूतियों पर भारित औसत आय के अनुरूप चढ़ाव-उतार देखा गया (चार्ट IV.20)।

चार्ट IV.19 : बैंकों की नीति और उधार दरें

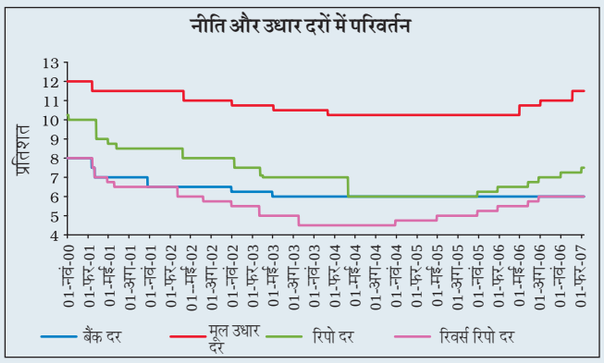

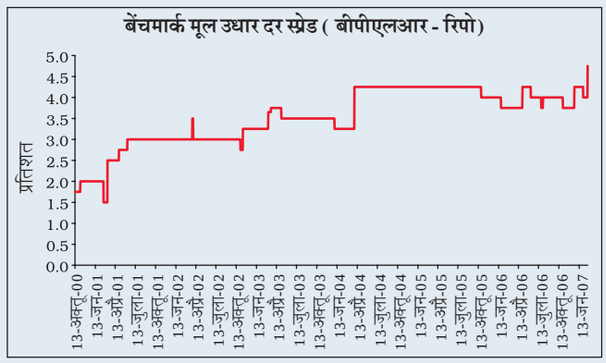

सारणी 4.28: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की रिपो दर और अग्रिम दर में परिवर्तन

रिपो दर		वाणिज्यिक बैंकों की अग्रिम दर*	
प्रभावी तारीख	दर (प्रतिशत)	प्रभावी तारीख	दर (प्रतिशत)
1	2	3	4
13.10.2000	10.25	01.03.1999	12.00
06.11.2000	10.00	01.04.2000	11.25
09.03.2001	9.00	12.08.2000	12.00
30.04.2001	8.75	19.02.2001	11.50
07.06.2001	8.50		
28.03.2002	8.00	01.04.2002	11.00
12.11.2002	7.50	01.11.2002	10.75
07.03.2003	7.10		
19.03.2003	7.00	05.05.2003	10.50
31.03.2004	6.00	01.01.2004	10.25
26.10.2005	6.25		
24.01.2006	6.50		
09.06.2006	6.75	01.05.2006	10.75
25.07.2006	7.00		
31.10.2006	7.25	02.08.2006	11.00
31.01.2007	7.50	22.12.2006	11.50
31.03.2007	7.75	20.02.2007	12.25

* : आंकड़े एक बड़े प्रातिनिधिक बैंक से संबंधित हैं।

मध्यस्थता की लागत

4.111 बैंकिंग प्रणाली के क्रमबद्ध रूप से अविनियमन और कई निजी और विदेशी बैंकों के प्रवेश ने धीरे-धीरे और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया, जिससे बैंकों को अपनी कारोबार रणनीति और प्रबंधन व्यवहारों को बदलने की प्रेरणा मिली और जिसने तकनीकी गतिविधियों सहित कार्यक्षमता में समग्र सुधार की ओर प्रेरित किया। यह मध्यस्थता लागत (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय) में परिलक्षित हुआ, जो 1996 में 2.77 प्रतिशत से घटकर 2006 में 2.11 प्रतिशत हो गया। इस सुधार के बावजूद, भारत में बैंकों की मध्यस्थता लागत अन्य देशों की तुलना में अब भी अधिक है (सारणी 4.29)। इस प्रकार, इसमें एशिया के अन्य देशों में बैंकों की मध्यस्थता लागत के स्तर तक घटाने की गुंजाइश है।

ऋण बाजार में परिवर्तन

4.112 पूर्व खंड के विश्लेषण से पता चलता है कि 1990 के दशक के प्रारंभ से ऋण बाजार में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के शुरू होने के पहले, ऋण संस्थाएं निश्चित ब्याज दर पर निधियां उधार लेती और उधार देती थीं और अल्प प्रतिस्पर्धा का सामना

चार्ट IV.20: सरकारी प्रतिभूतियों की उधार दर और आय

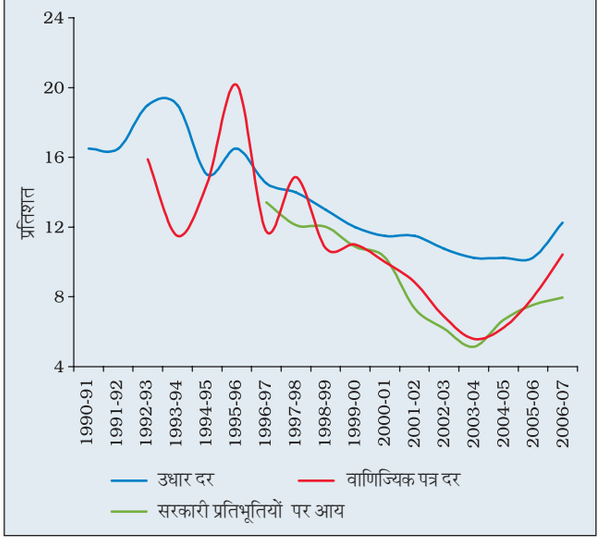

करती थीं। बैंक नियामक प्रतिबंधों के अन्तर्गत कार्य करते थे, जब उनके संसाधनों का अधिकांश भाग सीआरआर और एसएलआर के रूप में अवरुद्ध हो जाता था। बैंकों के पास परिचालनात्मक लोच और कार्यात्मक स्वायत्तता की भी कमी होती थी। ऋण संस्थाएं अकुशलतापूर्वक निधियों की मध्यस्थता करती थीं जैसा कि उनकी अधिक अनर्जक आस्तियों, अधिक मध्यस्थता लागत और कम लाभदायकता में परिलक्षित होता है।

सारणी 4.29 : प्रमुख एशियाई देशों में बैंकों की मध्यस्थता लागत*

(प्रतिशत)

वर्ष	चीन	कोरिया	मलेशिया	थाइलैंड	भारत
1	2	3	4	5	6
1996	1.23	2.24	1.42	1.50	2.94
1997	1.24	2.55	1.49	2.05	2.85
1998	1.40	2.53	1.68	2.54	2.63
1999	1.18	1.53	1.50	2.20	2.67
2000	1.12	1.46	1.70	1.98	2.50
2001	1.10	1.42	1.80	2.01	2.64
2002	1.05	1.39	1.73	1.78	2.19
2003	1.01	1.38	1.61	1.71	2.24
2004	–	–	–	–	2.21
2005	–	–	–	–	2.13
2006	–	–	–	–	2.11

– : उपलब्ध नहीं।

* मध्यस्थता लागत कुल आस्तियों की तुलना में परिचालनगत व्यय के प्रतिशत का द्योतक है।

स्रोत : 1. मोहन (2006सी)।
2. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

4.113 वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने वित्तीय रूप से नियंत्रित व्यवस्था से उदारीकृत व्यवस्था की ओर धीरे-धीरे संक्रमण करने में सहायता प्रदान की। बैंक अब ऐसे वातावरण में कार्य कर रहे हैं जिसमें उन्हें अपने कारोबार के नवोन्मेषण और विस्तार की स्वतंत्रता है। ब्याज दरों के अविनिमयन से बैंक देयता और आस्ति दोनों पक्षों के अपनों उत्पादों का अवमुक्त रूप से मूल्यन कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के नए बैंकों के आगमन और विदेशी बैंकों की बढ़ी हुई उपस्थिति ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है। ऋण बाजार की मांग और पूर्ति के दोनों पक्ष में कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं।

4.114 पूर्ति पक्ष में, सांविधिक आवश्यकताओं की कटौती ने ऋण की आपूर्ति पक्ष को प्रेरित किया। अप्रैल 1998 और अक्तूबर 2004 के बीच रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई समायोजनात्मक मौद्रिक नीति ने प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराई, जिसका ऋण की आपूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आस्ति वर्गीकरण मानदंडों की शुरुआत ने बैंकों को अपनी आस्ति गुणवत्ता के प्रति बहुत अधिक जागरूक बना दिया हैं जब उनके अनर्जक ऋण बहुत अधिक हो गए होते हैं तो वे इसके द्वारा बैंक ऋण की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और जब अनर्जक ऋण समुचित स्तर पर होते हैं तो आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। बैंकों द्वारा तुलन पत्रों को स्वच्छ बनाने से उन्हें अनुत्पादक आस्तियों में अवरुद्ध संसाधनों का पुनरुपयोग करने तथा उनकी लाभदायकता बढ़ाने में मदद मिली है। पूँजी पर्याप्तता मानदंडों की शुरुआत से, बैंक पूँजी आधार को बढ़ाने के पश्चात ही ऋण के आकार को बढ़ाने में समर्थ हो सके। इसलिए, बैंकों द्वारा बाजार से पूँजी जुटाना उनकी उधार देने की क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें उनमें बाजार अनुशासन भी आया है और कंपनी अभिशासन व्यवहारों को सुधारने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से बैंकों के स्प्रेड दबाव के अन्तर्गत आए। अपनी लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए बैंकों ने इसीलिए ऋण के परिमाण को बढ़ाया है। इस प्रकार, उस वातावरण से जब बैंक कुछ प्रकार की ऋण राशनिंग का सहारा लिया करते थे, वे अब अपने कारोबार के परिमाण को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नए-नए मार्गों की तलाश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में, ऋण बाजार का विभाजनीकरण लगभग समाप्त हो गया है, अब बैंक पारंपरिक अल्पकालिक निधियों के अलावा, दीर्घकालिक संसाधन भी प्रदान कर रहे हैं।

4.115 मांग पक्ष में, सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि ने ऋण की मांग को बढ़ाया है। पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा, घरेलू क्षेत्र बैंक ऋण के लिए मांग के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभरा है। आय के बढ़ते स्तर और आस्ति मूल्यों की वृद्धि ने घरेलू क्षेत्र के द्वारा ऋण की मांग को बढ़ाया।

4.116 ऋण बाजार अब मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा बाजार, ईक्विटी बाजार और ऋण बाजार जैसे अन्य बाजार घटकों के साथ घनिष्ठ रूप से समन्वित है। मुद्रा बाजार की दशाओं का ऋण बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ा है, अलबत्ता अंतराल के साथ। दूसरी तरफ, ऋण बाजार की दशाओं का सरकारी प्रतिभूति बाजार पर प्रभाव पड़ा है। बैंकों ने अपनी ऋण की मांग को निधि प्रदान करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लिया। पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी बाजार में बैंकों की सहभागिता के कारण भी ऋण बाजार और इक्विटी बाजार के बीच सहबद्धता बढ़ी है। आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ने भी ऋण बाजार को सहबद्ध किया है। एक सीमा तक, ऋण बाजार की अंतर-सहबद्धता अन्य बाजारों के साथ बढ़ी है, मौद्रिक नीति के संप्रेषण चैनल की प्रभावकारिता भी बढ़ी है।

4.117 सूचना तकनीक ने ऋण संस्थाओं पर निरंतर हमला बोला है और यह लेनदेनों के कंप्यूटरीकरण और एटीएम जैसे नए सुपुर्दगी चैनलों के रूप में कई पहलुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। पारंपरिक कागज आधारित निधियों की गतिविधियों के तेज तथा और कुशल इलेक्ट्रानिक मोड में अंतरण से निधियों का अंतरण आसान और निष्पादन के लिए कार्यक्षम हो गया है। निधियों के तेज निपटान का मुद्रा की उपलब्धता पर सीधा प्रभाव पड़ा है जिसका, परिणामस्वरूप, चलनिधि प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और अविनिमयन से ऋण संस्थाओं के सामने अनेक जोखिम खड़े हुए हैं जिससे उनको समुचित जोखिम प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरणा मिली है। जिन बैंकों के पास समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है वे अपने उत्पाद और सेवाओं का सही तरीके से मूल्य निर्धारित कर सके हैं। इस प्रकार, वर्षों से ऋण बाजार काफी अधिक प्रतिस्पर्धी, अधिक कार्यकुशल और अन्य बाजारों के साथ बेहतर रूप से समन्वित हो गया है।

4.118 संक्षेप में, ऋण संस्थाओं का एक बड़ा संजाल देश में कार्य कर रहा है। दो वित्तीय विकास संस्थाओं के बैंकों में मिल जाने के कारण आंशिक रूप से बैंकों का, जो ऋण बाजार में पहले से ही प्रबल सहभागी हैं, सापेक्षिक महत्व बढ़ गया है। 1990 के दशक के दूसरे उत्तरार्ध में मंदी की दशाओं के दिखने के बाद, 2002-03 की शुरुआत से बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में तेजी से विस्तार हुआ। जिसे सुदृढ़ समष्टि आर्थिक निष्पादन से बल मिला। हाल के वर्षों में अनर्जक आस्तियों की गिरावट ने भी बैंकों को अपना ऋण पोर्टफालियो बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। पिछले कुछ वर्षों में एक शुभ घटना कृषि में व्यापक ऋण विस्तार रहा है, जिसने 1990 के दशक की घटती प्रवृत्ति को उलट दिया है। यह कृषि क्षेत्र की बढ़ती ऋण सधनता में भी परिलक्षित हुआ। 1980 के दशक की तुलना में, उद्योग को दिया ऋण 1990 के दशक में और वर्तमान दशक में अब तक (2005-06 तक) कुछ घटा है। ऐसा उद्योग को दिए गए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण में वृद्धि के बावजूद हुआ, जिसे परियोजना आधारित गतिविधि के लिए माना गया है। इससे पता चलता है कि बैंक दो विकास वित्तीय संस्थाओं के बैंकों में कनवर्शन/विलयन के द्वारा हुए अंतर को भर रहे हैं। कुल मिलाकर, औद्योगिक क्षेत्र की ऋण सघनता बढ़ी है। लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण वृद्धि, जो

1999-2004 के बीच तेजी से घटी, 2004-05 में उलट गई। हाल के वर्षों की एक महत्वपूर्ण घटना नकद ऋण के हिस्से में तेजी से सुधार और मांग ऋण के हिस्से में वृद्धि रही है।

4.119 ऋण बाजार में एक बड़ी गतिविधि घरेलू क्षेत्र में ऋण का तीव्र विस्तार रहा है, जिसे कम ब्याज दर वातावरण और आय में वृद्धि से बल मिला। घरेलू ऋण अब कुल बैंक ऋण का एक काफी बड़ा हिस्सा हैं। अनुभववादी प्रमाण बतलाते हैं कि मई 2002 से ऋण रुझानों में संरचनात्मक तौर पर विगत संबंधों से अंतर है। विभिन्न देशों के अनुभव दर्शाते हैं कि कई देशों में तीव्र ऋण विस्तार से कठिनाइयां आई हैं। भारतीय संदर्भ में, घरेलू क्षेत्र की ऋणग्रस्तता, जो हाल के वर्षों में प्रमुख प्रेरक रही है, कम है। पूँजी पर्याप्तता की अधिकता और अनर्जक आस्तियों के कम होने से बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़ हुआ है। स्ट्रेस परीक्षणों से पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र तीव्र ऋण विस्तार के कारण हुए प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए पर्याप्त लचीला है।

4.120 यद्यपि जमाराशियां निधियों का प्रमुख स्रोत रही हैं, जमा से इतर स्रोतों पर बैंक की निर्भरता बढ़ी है। जबकि बीपीएलआर में निम्नगामी एक स्थिति दिखी, बैंक अपने ऋण का एक बड़ा हिस्सा बीपीएलआर से नीचे की दर पर दे रहे हैं। परिणाम के रूप में, प्रभावी उधार दरें बाजार स्थिति के अनुरूप हैं। मध्यस्थता की लागत लगातार गिरी है, यद्यपि यह अब भी कई अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है।

V. भावी पथ

4.121 वित्तीय सुधारों की शुरुआत से रिज़र्व बैंक ने धीरे-धीरे ऋण बाजार में विभिन्न नियंत्रणों को ढीला किया और व्यष्टि विनिमयन से समष्टि और विवेकपूर्ण विनिमयन की ओर अंतरण किया। ऋण और उसके मूल्यन पर प्रतिबंधों को क्रमिक रूप से हटाया गया। इसने बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के साथ बैंकों को, जो ऋण बाजार के बड़े सहभागी हैं, अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के अनुरूप अपने ऋण पोर्टफोलियो को विविधीकृत करने के लिए उत्साहित किया। जबकि हाल के वर्षों में कृषि तथा लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह बढ़ा है, इस क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की और आवश्यकता है, विशेष रूप से लघु और मझौले उद्यमों के लिए। ऋण के औपचारिक चैनल तक अधिकाधिक पहुँच को आसान बनाने तथा वृद्धि प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ऋण बाजार के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने हेतु समर्थ बनाने के लिए अल्प से मध्यम कालिक मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण ऋण

4.122 अद्यतन उपलब्ध अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 2002 के अनुसार, घरेलू क्षेत्र के बकाया नकद ऋणों में संस्थागत एजेंसियों का हिस्सा 1991 में 66.3 प्रतिशत से घटकर 2002 में 57.1 प्रतिशत हो गया, ऋण के अनौपचारिक चैनल में तदनुरूपी वृद्धि हुई। यद्यपि, संस्थागत ऋण का हिस्सा हाल के वर्षों में कृषि के प्रति बैंक ऋण में काफी वृद्धि के कारण बढ़ सका, ग्रामीण क्षेत्र में अपर्याप्त वृद्धि की चिंताएं बनी हुई हैं।

4.123 यद्यपि 1990 के दशक के पहले ऋण के प्रति आपूर्ति प्रधान दृष्टिकोण ने सब्सिडी दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की, यह वित्तीय रूप से अवहनीय हो गई क्योंकि इसने ऋण संस्थाओं की स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। जबकि कृषि क्षेत्र के प्रति ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से एक आवश्यकता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ मुद्दों को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है [4]। ये हैं: (i) किसान क्या चाहते हैं - ब्याज की कम दर अथवा उचित दर पर ऋण की भरोसे मंद प्राप्ति? (ii) क्या हमारा वर्तमान संस्थागत ढाँचा ऐसे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है जिनकी भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थिति है? (iii) क्या हमें ऐसी नए संस्थागत संरचनाओं जैसे स्वयं सहायता समूह, लघु वित्त संस्थान आदि को बनाने की आवश्यकता है जिससे बेहतर और भरोसेमंद ऋण प्रदान किया जा सके? अथवा क्या हमें साहूकारों को विनियमों के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता है? निकट भविष्य में इन प्रश्नों के उत्तर खोजे जाने की आवश्यकता है।

4.124 ऋण की भरोसेमंद प्राप्ति ऋण की लागत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए रिज़र्व बैंक अनारक्षित क्षेत्र में ऋण संस्थाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय कर रहा है। शाखा लाइसेंसिंग नीति में बैंक रहित जिलों/क्षेत्रों में शाखाएं खोलने पर जोर दिया गया है। बैंकों को अपने क्षेत्र विस्तार के लिए कारोबार में सहायता करने वाले (फेसीलिटेटर) और कारोबार प्रतिनिधि (कोरसपोंडेंट) की सेवाओं का उपयोग करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। बैंक अब गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और लघु वित्त संस्थानों का मध्यस्थों के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्ध कार्यक्रम के और जोर पकड़ने की आशा है, साथ ही नाबार्ड पहचाने गए 13 ऐसे राज्यों में इन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम बना रहा है जिसकी ग्रामीण गरीब जनसंख्या 70.0 प्रतिशत है।

[4] 18 अक्तूबर 2006 को दूसरे कृषि शीर्ष सम्मेलन के अवसर पर संबोधन

4.125 लघु वित्त संस्थानों के परिचालन के कुछ पहलुओं पर कुछ चिंताएं भी उभरी हैं। यद्यपि, लघु वित्त की गतिविधियां व्यापारिक रूप से व्यवहार्य हो सकती हैं, यह पता चला है कि कुछ लघु वित्त संस्थान बहुत अधिक ब्याज दर ले रहे हैं; जो बाद में प्रति-उत्पादक हो सकता है। जबकि लघु वित्त ढाँचे की अनौपचारिकता महत्वपूर्ण है, नाबार्ड और बैंकों को ऐसी प्रथाओं तथा लघु वित्त संस्थानों के साथ उनके संबंधों के प्रति समुचित देशी/स्थानीय रक्षोपाय करने की आवश्यकता है।

लघु और मझौले उद्यम के प्रति ऋण

4.126 बड़ी फर्मों की तुलना में लघु और मझौले उद्यम अपने वित्तीयन विकल्प में काफी बाध्य हैं। ऋण संस्थाओं से पर्याप्त ऋणों के अभाव में, उन्हें व्यापक रूप से आंतरिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी वृद्धि रुकती है। चूँकि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण अति महत्वपूर्ण है, रिज़र्व बैंक ने ऋण प्रवाह को सरल और कारगर बनाने तथा इस क्षेत्र की ऋण सुपुर्दगी संबंधी संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इसके कुछ उत्साहजनक परिणाम दिख रहे हैं और हाल के वृद्धि रुझानों को बनाए रखने की आवश्यकता है। एक बड़ी समस्या है कि बैंक लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र को अधिक जोखिम वाला समझते हैं और इसलिए ऋण पर सापेक्षिक रूप से अधिक ब्याज की दर लगाते हैं और संपार्श्विकीकृत जमानत की मांग करते हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 5 लाख तक के ऋणों पर संपार्श्विकीकृत जमानत न मांगें और 5 लाख रुपए से ऊपर और 25 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए बैंक लघु उद्योग क्षेत्र के अच्छे ट्रैक रिकार्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्श्विकीकृत जमानत की आवश्यकताओं से छूट देने पर विचार करें। तमाम तरीके हो सकते हैं जिससे इसका समाधान निकल सकता है और बिना संपार्श्विकीकृत जमानत के ऋण दिया जा सकता है। ऐसा एक विकल्प उधारकर्ताओं के ऋण के वृतांत की उपलब्धता है। लेकिन, देश भर में फैले उधारकर्ताओं की बड़ी संख्या का ऋण वृतांत तैयार करना एक कठिन कार्य है। ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। ऋण सूचना अधिनियम मई 2005 में पारित किया गया और नियम तथा विनियम इसके पश्चात् अधिसूचित किए गए। इससे और ऋण सूचना कंपनियों के निर्माण में मदद मिलेगी। ये कंपनियां उधारकर्ताओं के बारे में ऋण संबंधी जानकारी एकत्र करेंगी और प्रसारित करेंगी तथा वे अन्य देशों की तरह ऋण का अभिकलन भी शुरू कर सकती हैं। इससे लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण की गुणवत्ता सुधारने, लेनदेन की लागत घटाने तथा ऋण प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी। संपार्श्विकीकृत जमानत से बचने के लिए एक दूसरा विकल्प वैयक्तिक और फर्म दोनों उधारकर्ताओं की स्वतंत्र रेटिंग शुरू करना है। वर्तमान में देश में रेटिंग प्रवेशन बहुत कम है और रेटिंग को पाने के लिए लगने वाली लागत अधिक है। इसलिए समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिससे रेटिंग को उधार देने वाले और उधार लेने वाले दोनों के लिए एक स्वीकार्य अवधारणा के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके। दूसरा विकल्प है भविष्य में आनेवाले नकदी प्रवाहों को संपार्श्विकीकृत जमानत के रूप में समझा जाए जैसे आस्ति आधारित संपार्श्विकीकृत जमानत के स्थान पर खाते की प्राप्तियां।

4.127 ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों से लगाकर पूरे देश में उद्यमशीलता का एक विस्फोट सा हुआ है। इसे बनाए रखना और वित्त पोषित करना होगा। ऐसा केवल सभी आकारों वाले उद्यमों की वृद्धि के माध्यम से होगा; इससे प्रतिस्पर्धा को पाला-पोषा जा सकेगा। आज का एक छोटा उद्यमी कल का एक बड़ा उद्यमी बनेगा और यदि उसे वित्तीय सहायता दी जाए तो फलतः वह एक बहुराष्ट्रीय उद्यम बन सकता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि असफलताएं भी मिलेंगी और सफलताएं भी मिलेंगी। इसलिए बैंकों को अपने जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना होगा और अपने जोखिम प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में इन असफलताओं के लिए प्रावधान करता होगा। जोखिम के बावजूद, वित्तीय समावेशन और वृद्धि के लिए उद्यमों का पहली बार वित्त पोषण आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि सेवा उद्यमों का वित्तपोषण नई आय और रोजगार के अवसर पैदा करेगा (मोहन, 2006 बी)।

बढ़ता ऋण प्रवेशन

4.128 यद्यपि भारत की वित्तीय प्रणाली विविधीकृत है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की ऋण संस्थाएं हैं, कई अन्य विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ऋण प्रवेशन बहुत कम बना हुआ है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि विगत हाल में अधिक से अधिक लोगों, खास तौर से वंचित और कम आय वर्ग के गृहस्वामियों को बैंकिंग दायरे में लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। एक आदर्श विश्व में, प्रतिस्पर्धी दबाव सुनिश्चित करेंगे कि आबादी के सभी वर्गों की बैंकिंग आवश्यकताएं पूरी हों। अनुभव बतलाते है कि यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है कि कम आय वाले लोगों को उचित लागत पर ऋण सुविधाएं प्राप्त हों। इसलिए, देश में ऋण प्रवेशन को बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कम ऋण प्रवेशन के प्रमुख कारण सुविधाओं के बारे में जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करने के लिए अधिक लेनदेन लागत और संपार्श्विकीकृत जमानत देने में गरीब लोगों की असमर्थता।

4.129 समाज का ऐसा वंचित वर्ग जिसकी आय कम होती है सामान्यत: बैंक जाने में संकोच करता है और स्थानीय साहूकारों के चंगुल में फंस जाता है। इसलिए वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। वित्तीय शिक्षा का फोकस सामान्य जनता को अपनी जरूरतों के लिए औपचारिक ऋण संस्थाओं का प्रयोग करने के लाभ के बारे में शिक्षा देने पर होना चाहिए।

4.130 ऋण प्रवेशन को बढ़ाने में एक बड़ा मुद्दा संपार्श्विकीकृत जमानत है जिसके लिए बैंक ऋण प्रदान करते समय जोर देते हैं। जबकि बैंकों को बिना संपार्श्विकीकृत जमानत के छोटे ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बैंकों को संपार्श्विकीकृत जमानत पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता है।

4.131 ऋण प्रवाह को बढ़ाने का एक दूसरा प्रमुख मुद्दा लेनदेन की अधिक लागत से संबंधित है। इसका हल तकनीकी के समुचित उपयोग द्वारा निकाला जा सकता है। बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तुत कम लागत के सुपुर्दगी विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। इससे आवेदनों को निपटाने की लागत और समय को कम करने तथा खातों के रखरखाव और उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। साप्ताहिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, अनुषंगी कार्यालय और हब तथा स्पोक मॉडल को अपनाने जैसे अनेक तरीकों के प्रयोग से दूरवर्ती क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के लिए उपरि लागत को काफी कम किया जा सकता है। एक बार जब डाटा बेस और ट्रैक रिकार्ड बन गया, तो तमाम वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, ये सेवाएं हैं: बचत, प्रेषण, लेन देन और वेतन, पेंशन की प्राप्ति तथा उपयोगिताओं के लिए भुगतान जैसी बैंकिंग, आवास ऋण सहित ऋण, बीमा और म्युच्युअल फंड उत्पाद।

4.132 सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने के पहले एक पहलू पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता और तकनीकी ज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के बारे में जागरूकता का कम स्तर है। भाषा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, जो व्यापक रूप से अंग्रेजी आधारित है, एक दूसरी बाधा है। इस प्रकार, बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नए उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने होंगे। इस संबंध में, क्षेत्रीय भाषाओं और सूचना प्रौद्योगिकी में कतिपय मूल शिक्षा प्रदान करने वाले कार्यक्रमों पर समुचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

4.133 तथापि, बढ़ते ऋण प्रवेशन की नीति अकेले वाणिज्यिक बैंकों पर फोकस करने से वांछित परिणाम नहीं भी दे सकती है। सहकारी संस्थाओं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं जैसी अन्य संस्थाओं के लिए एक व्यापक नीति बनाया जाना भी वांछनीय है। एक ऐसा वातावरण बनाना आवश्यक है जिससे अल्प सेवा वाले बाजारों में कार्य करने के लिए समर्थ वित्तीय सेवा प्रदाताओं के उदय होने को बढ़ावा मिल सके।

ऋण का मूल्यन

4.134 बैंक की उधार देने की दरों के अविनिमयन के समय से ऋण के मूल्यन का काफी महत्व बढ़ गया है। यद्यपि ब्याज दरें मांग-पूर्ति की शक्तियों द्वारा संचालित हैं, बैंकों के बीपीएलआर में कुछ अधोगामी एक समान स्थिति देखी गई। इसके अलावा, बैंकों द्वारा लगभग 82 प्रतिशत उधार बीपीएलआर से नीचे दर की दर पर दिए जा रहे हैं जिससे तमाम चिंताएं बढ़ी हैं। जबकि बेहतर मालियत वाली कंपनियां बीपीएलआर से नीचे की दर पर ऋण ले रही हैं, कृषि, लघु उद्योग क्षेत्र और अन्य उधारकर्ताओं से सामान्य रूप में बीपीएलआर अथवा कुछ मामलों में अधिक दर ली जाती है। प्रशासित ब्याज दर केवल 2 लाख रुपए से कम कृषि ऋण तथा निर्यात ऋण के मामले में लागू है। बैंक 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण भी किसानों को प्रदान कर सकते हैं जिस पर बैंकों को सरकार द्वारा ब्याज पर 2 प्रतिशत सरकारी अनुदान प्रदान किया जाएगा। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 2002 ने पाया कि 30 जून 2002 को ग्रामीण ऋण का लगभग 82 प्रतिशत 12 से 20 प्रतिशत की ब्याज सीमा में था, जबकि बैंकों की मूल उधार दरें 11 से 12 प्रतिशत के दायरे में थीं।

4.135 बीपीएलआर से नीचे उधार देने में कई जटिताएं हैं। पहले, इसमें पारदर्शिता की कमी होती है और इसलिए यह उधार देने वालों और उधार लेने वालों दोनों को प्रभावित करता है। दूसरे, बीपीएलआर से नीचे की दर पर दिए गए उधार की प्रतिपूर्ति करने के लिए, अन्य घटकों से अधिक ब्याज दर लिया जाता है, इस प्रकार आर्थिक रूप से विपन्न उधारकर्ताओं की कीमत पर आर्थिक रूप से संपन्न उधारकर्ताओं को अनेक प्रकार की सहायता (सब्सिडी) प्राप्त हो जाती है। यद्यपि रिज़र्व बैंक बैंकों को निधियों की लागत, लेन-देन की लागत और जोखिम से समुचित सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना बीपीएलआर निर्धारित करने के लिए परामर्श देता रहा है, बीपीएलआर का निर्धारण नियम आधारित होने की अपेक्षा अधिक मनमाना बना हुआ है। इसलिए यह महसूस किया गया है कि बीपीएलआर निर्धारण करने की अवधारणा तलाशे जाने की आवश्यकता है जिससे इसे और पारदर्शी बनाया जा सके।

कार्यक्षमता बढ़ाना

4.136 उधार परिचालनों की बेहतर कार्यक्षमता (और अन्य बैंकिंग कारोबार में भी) सामान्य रूप से परिचालन व्यय, ब्याज स्प्रेड और मध्यस्थता की लागत को कम कर सकती है (मोहन, 2006 सी)। इससे ऋणों पर ब्याज दर घटाने में मदद मिलेगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर ऋण प्रवाह की सुविधा प्राप्त होगी। यद्यपि 1990 के दशक के प्रारंभ से भारत में मध्यस्थता लागत घटी है, यह अन्य उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अब भी अधिक है। इसलिए यह आवश्यक है कि मध्यस्थता की लागत घटाई जाए। बैंक परिचालनों में प्रौद्योगिकी सुधार से कार्यक्षमता में और सुधार आएगा तथा इस प्रकार परिचालनों की लागत कम होगी।

ऋण परामर्श

4.137 जबकि यह जरूरी है कि बाजार स्थानों में नवोन्मेषों और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए, ग्राहकों को पर्याप्त संरक्षण देना भी जरूरी है। आज के कुछ उत्पादों को समझना ग्राहकों के लिए कठिन

हो गया है क्योंकि वे जटिल हैं और उनके बारे में पारदर्शिता तथा मानकीकृत सूचना की कमी है। ऋण जोखिम का स्रोत है। कुछ ग्राहक ऐसे ऋण ले सकते हैं जो अनुपयुक्त और खर्चीले हो सकते हैं। कुछ ग्राहक परिस्थितियों वश भी ऋण ले सकते हैं। इसलिए ग्राहकों को सही समय पर सही सूचना देना आवश्यक है जिससे वे प्राप्त जानकारी के आधार पर ऋण ले सकें। बदलती वृद्धि गतिशीलता के कारण, जनसंख्या का एक हिस्सा आर्थिक परिवेश में अत्यधिक आशावाद के वशीभूत भी हो सकता है। इन कारणों को देखते हुए, यह बहुत लाभकारी होगा कि वैयक्तिकों को शिक्षित करने के लिए ऋण परामर्शदायी संस्थाएं खोली जाएं जिससे उनकी ऋण की मांग और ऋण प्रबंधन का मूल्यांकन किया जा सके और इस प्रकार दिवालिया होने के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा, ऋण परामर्शदायी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में विषम सूचनाओं को दूर कर सकती हैं और विभिन्न उपलब्ध स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिए वैयक्तिकों का मार्गदर्शन कर सकती हैं। नियामक के दृष्टिकोण से, ऋण परामर्श के माध्यम से दी गई वित्तीय शिक्षा सामान्य आदमी का सशक्तीकरण कर सकती है और इस प्रकार बाजार के असफल होने की संभावना कम हो सकती है जिसके लिए विषम प्रकार की सूचनाओं को उत्तरदायी माना जा सकता है।

4.138 कई देशों में, ऋण परामर्शदाता संगठनों की प्रणाली पहले से ही कार्य कर रही है। पहली विख्यात ऋण परामर्शदात्री एजेंसी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने और दिवालिएपन से बचने के लिए ग्राहकों की मदद के लिए अमरीका में 1951 में खोली गई। इसके बाद, कई अन्य देशों ने इस प्रकार के संगठन बनाए। उदाहरण के लिए ब्रिट्रेन में बैंकिंग संहिता में प्रावधान है कि सदस्य बैंक ग्राहकों के साथ वित्तीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे और मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना बनाएंगे। कनाड़ा में 2000 में एक गैर-लाभ परामर्शदाता संगठन बनाया गया है जिसे क्रेडिट काउंसलिंग कनाडा (सीसीसी) कहा जाता है, यह सभी नगरिकों के लिए बिना लाभ के ऋण परामर्श की गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाने का प्रयास करता है। दि बैंक निगारा मलेशिया ने वैयक्तिकों को ऋण परामर्श और ऋण पुनर्संरचना पर सलाह देने के लिए एक ऋण परामर्शदात्री और ऋण प्रबंधन (सीसीडीएम) एजेंसी की स्थापना की है। इस व्यवस्था के, बिना अदालत के हस्तक्षेप के लेनदार और देनदार के बीच चुकौती योजना के आधार पर, ऋण निपटान का एक त्वरित और लागत-प्रभावी साधन बनने की आशा है। मुख्य रूप से गैर जमानती ऋण पर बढ़ते दिवालिएपन को देखते हुए, विपदाग्रस्त ग्राहकों की वित्तीय रूप से मदद करने के लिए 2003 में क्रेडिट काउंसलिंग ऑफ सिंगापुर की स्थापना की गई। भारत में, कृषि ऋण की क्रियाविधि और प्रक्रिया की जाँच करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री सी.पी. स्वर्णकार) ने सिफारिश की कि बैंक ऋण और तकनीकी परामर्श के लिए या तो वैयक्तिक अथवा समूह संसाधनों के साथ, परामर्शदाता केन्द्र खोलने पर सक्रियता से विचार करें ताकि सापेक्षिक रूप से अल्पविकसित क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा सके।

ऋण मूल्यांकन, विवेकपूर्ण नियमन और पर्यवेक्षी मानकों को सुदृढ़ बनाना

4.139 जबकि भारतीय संदर्भ में ऋण में वृद्धि वित्तीय क्षेत्र की गहनता को दर्शाती है, प्रक्रिया धीमी रही है। अत्यधिक ऋण विस्तार से समष्टि आर्थिक और वित्तीय दुर्बलताएं बढ़ सकती हैं। तीव्र ऋण वृद्धि को प्रायः जोखिमपूर्ण समझा जाता है क्योंकि कमजोर उधारकर्ताओं को अच्छी आर्थिक स्थितिवाला समझा जा सकता है। भावी अर्जनों के बारे में अत्यधिक आशावादिता बैंकों को ऋण निर्माण पर फोकस करने के लिए प्रेरित कर सकती है जिससे ऋण निगरानी और जोखिम मूल्यांकन का खतरा हो सकता है और जिससे अनर्जक ऋणों में वृद्धि हो सकती है। हाल के वर्षों में तीव्र ऋण वृद्धि को देखते हुए, बैंकों को अपने ऋण मूल्यांकन मानकों को सुदृढ़ बनाने और संवितरण के पश्चात् समुचित निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

4.140 तीव्र ऋण विस्तार की अवधि के दौरान विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रिज़र्व बैंक ने संवेदनशील क्षेत्र में ऋण वृद्धि को कम करने के लिए पहले ही कई/महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण उपाय किए हैं। जैसा कि वार्षिक नीति वक्तव्य 2005-06 की अर्धछमाही समीक्षा में कहा गया, ऐसे चुनिंदा बैंकों में एक पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया शुरू की गई जिनका कुछ क्षेत्रों अर्थात जमीन-जायदाद, अत्यधिक लीवरेज्ड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उद्यम पूंजी निधियों और पूँजी बाजार के प्रति काफी एक्सपोजर है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के बनने से पर्यवेक्षण की गुणवत्ता काफी बढ़ गई है, यह बोर्ड अब सभी वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण के प्रति पूरा ध्यान देता है। पर्यवेक्षण प्रणाली को जोखिम आधारित बनाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके लिए पायलट प्रयोग चल रहा है। समुचित पूर्व चेतावनी प्रणाली और सतर्कता प्रणाली भी कार्य कर रही है। पर्यवेक्षी मशीनरी के भली प्रकार कार्य करते रहने की आवश्यकता है।

VI. सारांश

4.141 भारत में ऋण बाजार वित्तीय बाजार ढाँचे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के ऋण बाजार में उधारकर्ताओं के प्रकार/लिखतों के प्रकार/ऋण के मूल्य के अर्थ में पिछले 15 वर्षों में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। दो विकास वित्त संस्थाओं के बैंकों में विलय होने और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के कारोबारी परिचालनों में कमी के कारण, ऋण बाजार में बैंकिंग संस्थानों का आधिपत्य बढ़ा है। कारोबारी परिचालनों की बढ़ती स्वतंत्रता और निजी तथा विदेशी बैंकों और गैर-बैंक ऋण संस्थाओं की बढ़ती उपस्थिति से, ऋण बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है क्योंकि नए बैंक ऋण बाजार में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। उधारकर्ता कंपनियों और ऋण प्रदान करने के प्रयोजनों के अनुसार ऋण बाजार विविधीकृत भी हुआ है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को परिलक्षित करते हुए, घरेलू क्षेत्र के साथ सेवा क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण उधारकर्ता के रूप में सामने आया है।

4.142 1990 के दशक में कृषि में ऋण के गिरते हिस्से का रुझान उलट गया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तीव्र ऋण विस्तार हुआ है। यह रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा किए जा रहे समन्वित प्रयासों को परिलक्षित करता है। 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक और वर्तमान दशक में उद्योगों के प्रति ऋण घटा। बेहतर वित्तीय कार्य निष्पादन के परिणाम के रूप में, आंतरिक निधियों के निर्माण ने उद्योग की अल्पकालिक उधार की आवश्यकता को सीमित किया है। लघु उद्योग के प्रति ऋण वृद्धि जो 1999-2000 और 2003-04 के बीच घटी थी, पिछले दो वर्षों में बढ़ी है। लघु उद्योग के लिए ऋण के प्रवाह को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में बैंकों ने घरेलू क्षेत्र के लिए अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाया है। उद्योग के प्रति मध्यम और दीर्घकालिक ऋणों के हिस्से में वृद्धि तथा आवास ऋण में सुदृढ़ वृद्धि से हाल के वर्षों में कुल ऋण में मध्यम और दीर्घकालिक ऋणों के हिस्से में तीव्र वृद्धि हुई। बैंक जमाओं के अल्पकालिक स्वरूप को देखते हुए, समग्र मध्यम और दीर्घकालिक ऋण में काफी वृद्धि का बैंक के आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) पर प्रभाव पड़ सकता है।

4.143 2002-03 से बैंक ऋण तेज गति से बढ़ा है। हाल के वर्षों में बैंक ऋण की संरचना में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन घरेलू क्षेत्र के हिस्से में व्यापक वृद्धि रहा है। एक सीमा तक, तीव्र ऋण विस्तार को आस्ति गुणवत्ता में सुधार से प्रोत्साहन मिला है क्योंकि ऋण मध्यस्थता का कार्य अनर्जक आस्तियों की अधिकता के कारण 1990 के दशक के मध्य में कमजोर पड़ गया था। अनुभववादी प्रमाण बतलाते हैं कि मई 2002 से ऋण का रुझान संरचनात्मक रूप से पिछले संबंधों से भिन्न रहा है, यद्यपि हाल के वर्षों में ऋण विस्तार, स्वरूप में, चक्रीय-अनुकूल भी रहा है।

4.144 हाल के वर्षों में कई अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी तीव्र ऋण विस्तार का अनुभव किया जा रहा है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र ऋण विस्तार में कई कारकों ने योगदान किया है जैसे सुदृढ़ वृद्धि, समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण, सुदृढ़ आर्थिक दृष्टिकोण और कारोबार विश्वास में सुधार। भारत के मामले में, अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ऋण-जीडीपी अनुपात कम रहा है। इस प्रकार हाल के वर्षों में सुदृढ़ ऋण विस्तार कुछ सीमा तक वित्तीय गहनता की प्रक्रिया को दर्शाता है। यद्यपि हाल के वर्षों में घरेलू क्षेत्र के उधारों में तेजी से वृद्धि हुई है, घरेलू क्षेत्र का ऋण-आस्ति अनुपात कम बना हुआ है। यह जानने की आवश्यकता है कि ऋण का अधिक संचयन घरेलू क्षेत्र को भावी ब्याज दर/विनिमय दर आघातों के प्रति संवेदनशील बना सकता है क्योंकि बैंकों ने अपने बाजार जोखिम का एक बड़ा हिस्सा घरेलू क्षेत्र को अंतरित कर दिया, इस प्रकार घरेलू क्षेत्र के प्रति तीव्र ऋण वृद्धि की सुवहनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। जहाँ तक बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, सामान्यतया इसका पूँजी पर्याप्तता अनुपात अधिक और अनर्जक आस्तियों का स्तर कम है। स्ट्रेस परीक्षण से पता चलता है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र ऋण में तीव्र विस्तार के कारण हुए किसी प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने के लिए लोचशील है। तथापि, तीव्र ऋण वृद्धि के कारण हुए जोखिमों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने संवेदनशील क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को कम करने तथा बैंकिंग संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई विवेकपूर्ण और मौद्रिक उपाय किए हैं। ऋण मूल्यांकन और संवितरण पश्चात निगरानी को सुदृढ़ करना बैंकों की आवश्यकता है।

4.145 ऋण बाजार का सही ढंग से कार्य करना पर्याप्त प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। प्रतिस्पर्धी परिवेश में अधिक कार्यक्षम संस्थाएं कम कार्यक्षम संस्थाओं की कीमत पर बाजार हिस्से को हथिया लेती है जिससे प्रणाली की समग्र कार्यक्षमता सुधरती है। इससे ऋण संस्थाओं और ग्राहकों दोनों को लाभ होता है। जबकि ऋण संस्थाओं की प्राप्तियां लाभ के रूप में होती हैं, उपभोक्ताओं के लिए वे सेवाओं की कम लागत के रूप में होती हैं। समेकन की प्रक्रिया और पुनर्संरचना, जो भारत के ऋण बाजार में घटित हो रही है, का परिणाम अक्षम सहभागियों का समापन हो सकता है तथा ऋण बाजार भविष्य में और अधिक कार्यक्षम हो सकता है।

4.146 सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि ने ऋण की मांग को बढ़ाया है। सामान्यतया ऋण संस्थाओं और विशेषतया बैंकों का सही ढंग से कार्य करना सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि के लिए कुंजी है। अधिक ऋण विस्तार की वर्तमान स्थिति में, बैंक निर्धारित न्यूनतम तक, एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने अधिशेष निवेश को बेच रहे हैं। यह बिक्री जल्दी ही एक सीमा तक पहुँच जाएगी। इसलिए बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाकर और अपना जमा आधार व्यापक बनाकर स्थिर खुदरा जमाओं को आकर्षित करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, बैंकों को अपने जमाओं के जुटाव और ऋण विस्तार को संतुलित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से संसाधन एकत्र करने के लिए काल्पनिक तरीके खोजने की जरूरत होगी।

अनुबंध IV.1 : तीव्र ऋण वृद्धि को रेसपांड करने में नीतिगत विकल्पों की सूची

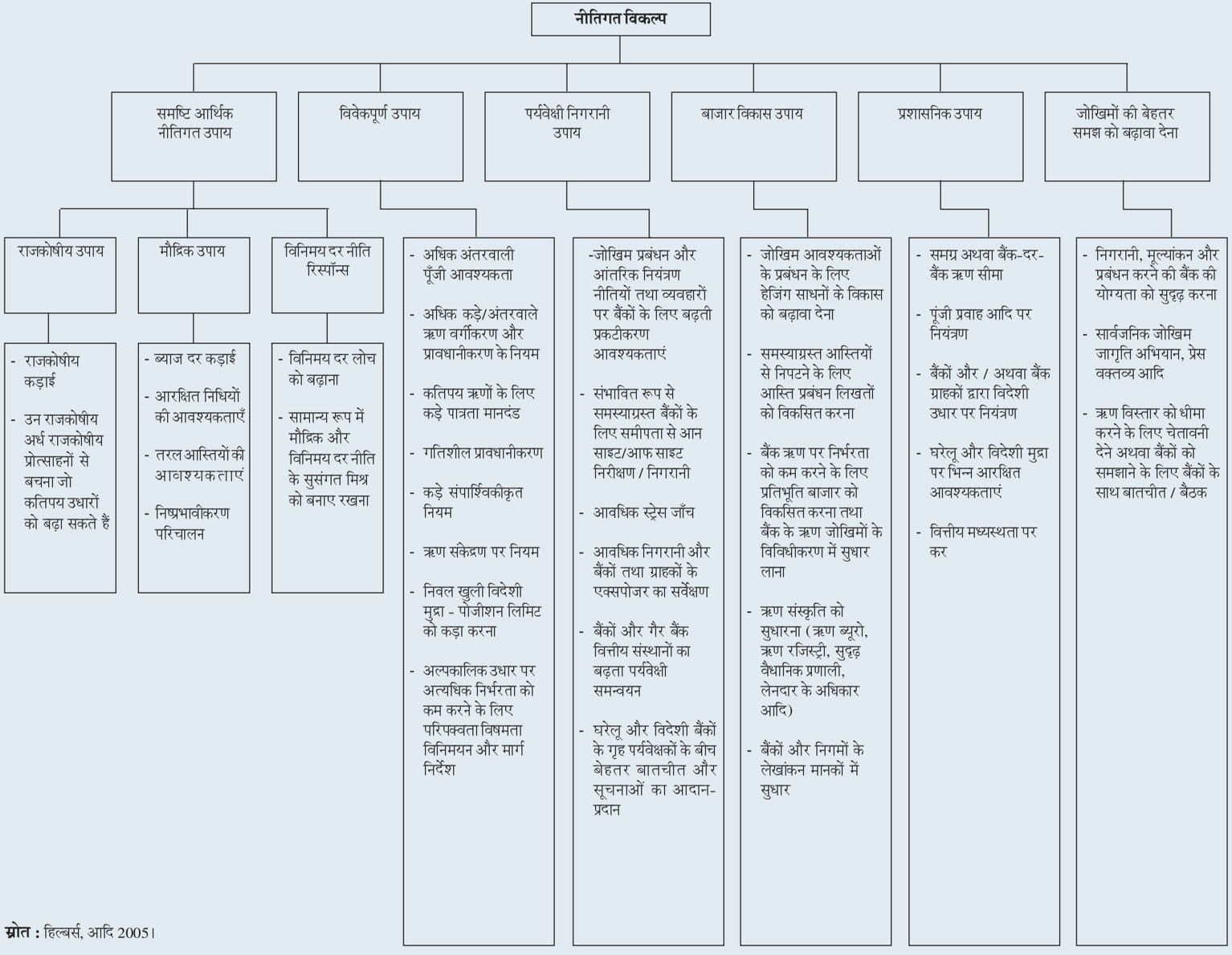

स्रोत : हिल्बर्स, आदि 2005।

अनुबंध IV.2 : तीव्र ऋण वृद्धि के प्रमुख जोखिमों के प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी उपाय

जोखिम का प्रकार	विशिष्ट उपाय
ऋण जोखिम	• अधिक और/अथवा अंतरवाली पूंजी आवश्यकता अथवा ऋण प्रकार, परिपक्वता और ऋण की मुद्रा संघटना के आधार पर जोखिम भारों का प्रयोग । • सामान्य प्रावधान बढ़ाना, ऋण वर्गीकरण और प्रावधानन आवश्यकता (अर्थात बैंकों के लिए तेजी से बढ़ते पोर्टफोलियो के साथ में जोखिमों के विभिन्न तत्वों को शामिल करना (अर्थात विदेशी मुद्रा ऋण, ऑफशोर, डेरिवेटिव, अथवा अन्य तुलन-पत्र गतिविधियों में); अथवा गतिशील प्रावधानीकरण। • कतिपय ऋणों के लिए ऋण - मूल्य अनुपात (अर्थात बंधक अथवा विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए) पर सीमाओं के माध्यम सहित कतिपय ऋणों के लिए पात्रता आवश्यकता को कड़ा करना। • कठोर (अथवा उचित) संपार्श्विकीकृत आवश्यकता (अर्थात संपार्श्विकीकृत, बाजार-दर-बाजार आस्ति मूल्यन के लिए पात्र आस्तियों को निर्धारित करना)। • ऋण के संकेंद्रण पर नियम (एकल उधारकर्ता अथवा संबंधित उधारकर्ताओं के समूह के व्यापक एक्सपोज़र तथा संबद्ध उधारों के विरुद्ध सीमा और विशेष उद्योग सेक्टर अथवा क्षेत्रों में ऋण संकेंद्रण के विरुद्ध सीमा)। • ब्याज दर विनिमय दर और आस्तिमूल्य परिवर्तनों के प्रयोग (बैंकों द्वारा स्वयं और पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा) के विरुद्ध बैंकों के तुलनपत्र की आवधिक स्ट्रेस जाँच का परीक्षण । • अधिक सघन निगरानी तथा संभावित समस्याग्रस्त बैंकों के ऑन साइट/आफसाइट निरीक्षण। • बैंकों और उनके उधारकर्ताओं के तुलनपत्रों तथा बैंकों के जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण नीतियों तथा व्यवहारों के लिए सुधारित रिपोर्टिंग/प्रकटीकरण नियम। • घरेलू ग्राहकों के लिए बैंकों के ऐसे विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्गित (अथवा सूचकांकित) ऋणों की आवधिक और सूक्ष्म निगरानी जिनके पास विदेशी मुद्रा के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं अथवा अन्यथा निहित जोखिमों से बचाव करने में असमर्थ हों, इसमें बैंकों तथा उनके उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के आवधिक सर्वेक्षण को करने की आवश्यकता शामिल है।
प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा	• प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा जोखिमों को सीमित करने के लिए बैंकों की निवल खुली पोजीशन लिमिट को कड़ा करना। • विदेशी मुद्रा जोखिमों के अप्रत्यक्ष जोखिम एक्सपोजर को सीमित करने के लिए ऋण की मुद्रा संघटना के आधार पर विशिष्ट पूंजी आवश्यकता अथवा जोखिम भार लगाना। • ऋण वर्गीकरण और प्रावधानन नियमों के लिए मानदंड में असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को शामिल करना। • विदेशी मुद्रा जोखिमों के लिए अप्रत्यक्ष एक्सपोजर को सीमित करने के लिए, विदेशी मुद्रा आय अथवा पर्याप्त हेजिंग के साथ उधारकर्ताओं के लिए ऐसे ऋणों को सीमित करने सहित, विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को कड़ा करना। • विनिमय दर परिवर्तनों के संबंध में बैंकों के तुलनपत्रों का आवधिक स्ट्रेस परीक्षण (बैंकों द्वारा स्वयं और पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा)। • अपने समग्र निवेश संविभाग में विदेशी मुद्रा में दिए गए उधारों का एक बड़ा भाग रखने वाले बैंकों की अधिक गहन चौकसी और आन साइट/आफ साइट निरीक्षण करना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि बैंकों में जोखिम मापन, मूल्यांकन और प्रबंधन हेतु उचित आंतरिक प्रक्रिया हो। • बैंकों के लिए सुधारित रिपोर्टिंग/प्रकटन नियमों तथा उनके ग्राहकों की विदेशी मुद्रा में खुली पोजीशन के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रति बैंकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक्सपोजर की पर्याप्त निगरानी अथवा बैंकों के आवधिक सर्वेक्षण को करने तथा उनके विदेशी मुद्रा उधारकर्ताओं के एक्सपोजर (बैंकों द्वारा स्वयं और/अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा) की आवश्यकता के माध्यम से (स्वयं बैंकों द्वारा और/ अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा)।
चलनिधि / परिपक्वता जोखिम	• ऋण की परिपक्वता संघटना के आधार पर विशिष्ट पूंजी आवश्यकता अथवा जोखिम भार लगाना। • परिपक्वता असमानता विनिमय (बैंक आस्तियों और देयताओं के बीच परिपक्वता असमानता का सक्रिय प्रबंधन, जिसके साथ बैंक द्वारा वहन किए गए विभिन्न लिखत एक्सपोजरों पर ऐसे अंतराल और सीमाओं के विरुद्ध सीमाएं लगाना)। • ब्याज दर परिवर्तनों के वैकल्पिक परिदृश्य के अंतर्गत बैंकों के तुलनपत्र के आवधिक स्ट्रेस परीक्षण का प्रयोग (स्वयं बैंकों द्वारा और पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा)। • निम्न पर बढ़ी हुई निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकता : (i) कई प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक और तिमाही परिपक्वता 'समूहों' में खंडित किए गए ब्याज संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता ढाँचे; (ii) जिसमें बैंकों की वास्तविक पोजीशन है, प्रत्येक मुद्रा का परिपक्वता ढाँचा; (iii) ब्याज वाली परिपक्वताओं के प्रकार तथा उनका परिपक्वता स्वरूप; (iv) बैंकों की तरल आस्तियां, प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह और निर्धारित भावी अवधि के लिए चलनिधि अंतराल, और चलनिधि प्रबंधन के ब्यौरे। • अल्पावधि अंतर-बैंक उधारों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने और चलनिधि के घरेलू और बाह्य स्रोतों की अस्थिरता तथा विश्वसनीयता के अंतर को ध्यान में रखते हुए निधियों के स्रोतों तथा देयताओं की अलग-अलग परिपक्वता के अर्थ में निधीयन आधारों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को मार्गदर्शन देना।

स्रोत : हिल्बर्स और अन्य 2005।